SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सरयू नहर परियोजना

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या-3, वर्ष 2025

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का

प्रतिवेदन

सरयू नहर परियोजना

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या-3, वर्ष 2025

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल**)**

विषयसूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	vii
कार्यकारी सार	-	ix
अध्याय - I प्रस्तावना		
अध्याय का सारांश	-	1
परिचय	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	4
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	5
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	5
लेखापरीक्षा आच्छादन और क्रियाविधि	1.5	6
परियोजना के घटक	1.6	7
परियोजना की पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा	1.7	9
प्रतिवेदन की संरचना	1.8	10
अभिस्वीकृति	1.9	10
अध्याय - II परियोजना नियोजन		
अध्याय का सारांश	-	13
परिचय	2.1	13
परियोजना का गठन	2.2	13
सर्वेक्षण और परीक्षण	2.2.1	14
स्थलाकृतिक सर्वेक्षण	2.2.1.1	15
जल विज्ञान सर्वेक्षण	2.2.1.2	20
भूकंपीय अध्ययन	2.2.1.3	22
समय की देरी एवं परिणामी लागत वृद्धि	2.2.2	24
अनुशंसा	-	27
अध्याय - III परियोजना का क्रियान्वयन		
अध्याय का सारांश	-	29
परिचय	3.1	30
वित्तीय प्रबंधन	3.2	30

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
आवंटन एवं व्यय	3.2.1	30
धन का शिथिल आवंटन	3.2.2	31
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से संबंधित गैप को पूर्ण करने हेतु धनराशि निर्गत करने में विलम्ब	3.2.2.1	34
लम्बित देनदारियां	3.3	35
भूमि अधिग्रहण	3.4	36
आवश्यकता के अनुरूप भूमि क्रय	3.4.1	36
भूमि अधिग्रहण/क्रय की धीमी गति	3.4.1.1	37
भूमि क्रय पर परिहार्य वित्तीय भार	3.4.1.2	39
भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण न होना	3.4.1.3	40
अनुबंध प्रबंधन	3.5	41
तकनीकी स्वीकृतियों में विलम्ब	3.5.1	41
त्रुटिपूर्ण दर विश्लेषण के कारण अधिक आंकलन	3.5.2	43
नहरों में मिट्टी के कार्य	3.5.2.1	43
नहरों में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्य	3.5.2.2	45
नहरों के डिजाइन एवं ड्राइंग का अनुमोदन	3.5.3	46
नहरों के डिजाइन अनुमोदन के बिना अनुबंध का गठन	3.5.3.1	47
पक्की संरचनाओं के ड्राइंग अनुमोदन के बिना अनुबंध का गठन	3.5.3.2	49
निविदा जमा करने हेतु अपर्याप्त समय	3.5.4	51
अधिक एवं अनियमित व्यय	3.6	52
प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों पर अधिक व्यय	3.6.1	52
ठेकेदारों को रॉयल्टी का अधिक भुगतान	3.6.2	53
ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान	3.6.3	54
ठेकेदारों को अनुचित लाभ	3.6.4	55
गुणवत्ता आश्वासन	3.7	56
मिट्टी कार्य का गुणवत्ता परीक्षण	3.7.1	57
पक्के कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण	3.7.2	59
आंतरिक नियंत्रण	3.8	61
आंतरिक लेखापरीक्षा	3.8.1	61

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	**पृष्ठ**
स्थलीय निरीक्षण	3.8.2	62
तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तकनीकी निरीक्षण	3.8.2.1	62
मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता द्वारा स्थलीय निरीक्षण	3.8.2.2	63
अभिलेखीकरण एवं साक्ष्य	3.9	64
भण्डार खातों का अनुचित रख-रखाव	3.9.1	64
कंक्रीट मिश्रण संयंत्र के अभिलेखों का रखरखाव न करना	3.9.2	65
तकनीकी निविदा के अभिलेख प्रस्तुत न करना	3.9.3	66
अन्य रुचिकर बिंदु	3.10	67
लागत प्राक्कलनों में अनियमित प्रावधान	3.10.1	67
वन भूमि के उपयोग के लिए वन मंजूरी प्राप्त न करना	3.10.2	68
ठेकेदारों को अग्रिम	3.10.3	68
मोबिलाइजेशन अग्रिम	3.10.3.1	68
मशीनरी अग्रिम	3.10.3.2	69
विविध प्रकीर्ण अग्रिमों का लंबित समायोजन	3.10.4	71
अनुशंसा	-	72
अध्याय - IV **परियोजना से प्राप्तियाँ**		
अध्याय का सारांश	-	75
परिचय	4.1	76
परियोजना की पूर्णता एवं लोकार्पण	4.2	76
नहरों का निर्माण	4.3	77
प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण की नहरों का अपूर्ण निर्माण	4.3.1	78
तृतीय चरण में अनिर्मित/आंशिक रूप से निर्मित नहरें	4.3.2	79
कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण	4.4	80
कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का उपयोग	4.5	82
नदियों से जल प्राप्त करने की व्यवस्था	4.5.1	82
नहर तंत्र में जल की आपूर्ति	4.5.1.1	84
सिंचाई आच्छादन	4.6	87

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
समादेश क्षेत्र का विकास	4.7	89
समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के घटकों का निष्पादन न किया जाना	4.7.1	92
जल उपयोगकर्ता संघ का गठन नहीं किया जाना	4.7.2	95
नहरों का अनुरक्षण	4.8	95
मानव संसाधन उपलब्धता	4.9	98
अनुशंसा	-	100

परिशिष्ट		
संख्या	विवरण	पृष्ठ
1.1	सरयू नहर परियोजना के चरण	103
1.2	सरयू नहर परियोजना के घटक	104
3.1	सरयू नहर परियोजना का वित्तीय विवरण	105
3.2	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि	107
3.3	नमूना जांच किये गये खण्डों में कार्य पर लंबित वित्तीय देनदारियां	109
3.4	नमूना जांच किये गये खण्डों में भूमि पर लंबित वित्तीय देनदारियां	110
3.5	1999-2022 के मध्य भूमि की लागत में वर्षवार वृद्धि	111
3.6	भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण न होना	112
3.7	अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनुबंधों की कुल संख्या	113
3.8	राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए छः प्रमुख कार्य	114
3.9	अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर के चयनित अनुबंधों की कुल संख्या	115
3.10	खण्डवार तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदाओं के आमंत्रण का विवरण (अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अनुबंध)	116

परिशिष्ट		
संख्या	**विवरण**	**पृष्ठ**
3.11	खण्डवार तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदाओं के आमंत्रण का विवरण (अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनुबंध)	117
3.12	खण्डवार तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदा खोले जाने का विवरण	118
3.13	राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के छः प्रमुख कार्यों के मिट्टी कार्य में अधिक आंकलन	120
3.14	नहरों के लम्बछिन्नक की स्वीकृति में विलम्ब	122
3.15	पक्की संरचनाओं के ड्राइंग का विलंबित अनुमोदन	124
3.16	खण्डवार अल्पकालिक निविदा सूचनाओं का विवरण	152
3.17	राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के छः प्रमुख कार्यों में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों की अधिक लागत	153
3.18	ठेकेदारों को रॉयल्टी का अधिक भुगतान	156
3.19	ठेकेदारों को अनुचित लाभ	159
3.20	मिट्टी कार्य एवं पक्की संरचनाओं के लिए गुणवत्ता परीक्षण मानदंड	163
3.21(अ)	मुख्य अभियंताओं द्वारा निरीक्षण	166
3.21(ब)	अधीक्षण अभियंताओं द्वारा निरीक्षण	166
3.22	मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली में विलम्ब	167
3.23	मशीनरी को दृष्टिबंधक न किया जाना	168
3.24	असमायोजित विविध अग्रिम	169
4.1	मांग के सापेक्ष जल की आपूर्ति	170
4.2	चयनित खण्डों में सिंचाई सघनता का सृजन	171
4.3(अ)	'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना में वर्षवार आवंटन एवं व्यय	172
4.3(ब)	'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना में वर्षवार भौतिक उपलब्धि	174
4.4	मानव संसाधन की उपलब्धता	176

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि को आच्छादित करते हुए सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे प्रकरण हैं जो वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये, साथ ही वे भी जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आये लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके तथा वर्ष 2021-22 के बाद की अवधि से सम्बंधित प्रकरणों को भी, जहां ऐसा किया जाना आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पादित की गयी है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से मार्च 2022 की अवधि में सम्पादित कार्यों पर केन्द्रित करते हुए की गयी थी। इसका उद्देश्य परियोजना से अपेक्षित लाभ प्राप्त करने में हुयी चूक, यदि कोई हुयी हो, की पहचान करते हुए परियोजना के क्रियान्वयन में दक्षता और मितव्ययिता का आंकलन करना था एवं राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में संशोधन एवं सुधार हेतु सुझाव देना था।

सरयू नहर परियोजना का गठन वर्ष 1982 में ₹ 299.20 करोड़ की अनुमानित लागत पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग में घाघरा नदी के उस पार के क्षेत्र में 3.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने के लिए 1978 में नियोजित बायाँ तट घाघरा नहर परियोजना के क्षेत्र को बढ़ाते हुए किया गया था। परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के नौ जनपदों को आच्छादित करते हुए 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का विकास किया जाना था। 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में 14.04 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता सृजित की जानी थी। सरयू नहर परियोजना दिसंबर 2021 में लोकार्पित की गयी तथा इस पर मार्च 2022 तक ₹ 10,003.11 करोड़ का व्यय किया गया। सरयू नहर परियोजना हेतु धन, राज्य सरकार के संसाधनों तथा भारत सरकार के द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय परियोजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ऋण से प्राप्त हुआ था।

परियोजना प्रमुखतः, आवश्यक भूमि के अधिग्रहण/क्रय में विलम्ब और विलम्बित वित्त पोषण से विपरीत रूप से प्रभावित रही। विभाग ने कृषकों से भूमि क्रय करने में लंबा समय लिया जिसके कारण न केवल परियोजना विलम्बित हुई अपितु इसमें लागत वृद्धि, जिसमें कृषकों को भूमि प्रतिकर की राशि में बढ़ोत्तरी भी सम्मिलित थी, के फलस्वरूप राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ा। परियोजना को वार्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप धन उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण भी कार्य की प्रगति बाधित हुई।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि नहरों के लम्बछिन्नक और पक्के कार्यों की संरचनाओं की ड्राइंग अनुमोदित किये बिना कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये गये थे जिसके फलस्वरूप अनुबंधों की कार्य परिधि में वृहद बदलाव हुए।

लागत अनुमान, दर अनुसूची और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार तैयार नहीं किये गये थे जिसके कारण कार्य के प्राक्कलनों में अनुमानों को बढ़ाकर बनाये जाने के प्रकरण थे।

अनुबंध प्रबंधन कमजोर था। निविदायें बिना तकनीकी स्वीकृति के आमंत्रित की गयी थीं। निविदादाताओं को निविदा जमा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। अधिक व्यय तथा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के प्रकरण संज्ञान में आये। कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता आश्वासन कमजोर रहा क्योंकि मिट्टी के कार्यों और पक्के कार्यों के लिए गुणवत्ता जांचे निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं की गयी थीं।

परियोजना दिसंबर 2021 में कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से लगभग 40 वर्ष पश्चात लोकार्पित की गयी। यद्यपि, कई नहरें अपूर्ण रह गयी थीं/निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ था। कुलाबों और सम्प्स के अभाव में नहरों से खेतों तक जल ले जाने के लिए राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणालियों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। समादेश क्षेत्र विकास का कार्य मात्र 20 प्रतिशत कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में ही पूर्ण किया गया था जिससे नहरों से खेतों तक जल प्रवाह बाधित हो रहा था।

अनुशंसायें

- *राज्य सरकार को परियोजना की आवश्यकताओं के त्रुटिपूर्ण आकलन के कारणों की जांच करनी चाहिये जिसके कारण कार्य संपादन की अवधि में, इसके कार्य की परिधि में वृहद बदलाव हुए और परियोजना की पूर्णता में परिणामी विलम्ब हुआ।*
- *राज्य सरकार को विकास हेतु आवश्यक कार्यों का सही आंकलन करने और सिंचाई के प्रभावी नियोजन हेतु सरयू नहर परियोजना से वास्तविक रुप से आच्छादित क्षेत्र का निर्धारण करने के लिये भूमि सर्वेक्षण करना चाहिये।*
- *कई योजनाओं/कार्यक्रमों में समय और लागत वृद्धि की स्थिति बनी रहने के दृष्टिगत, राज्य सरकार को परियोजना निष्पादन में हुई चूक और विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करना चाहिये।*

- *राज्य सरकार को उन परिस्थितियों का पता लगाना चाहिये जिसके कारण डिज़ाइन, ड्राइंग एवं कार्य की मात्राओं को अंतिम रुप दिये बिना कार्यों के ठेके दे दिये गये थे।*
- *परियोजना की प्रमुख संरचनाओं के निर्माण की गुणवत्ता का सत्यापन किया जाना चाहिये।*
- *नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा, तकनीकी निरीक्षण और अभिलेखों एवं दस्तावेजों के रखरखाव के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण तंत्र सुदृढ़ किया जाना चाहिये ।*
- *राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्मित नहरों को कुलाबों तथा सम्प्स एवं कुलाबों से आगे गुलों एवं नालियों का निर्माण करके तत्काल उपयोग में लाया जाना चाहिये ।*
- *सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र में पर्याप्त जल, विशेषकर रबी मौसम में, उपलब्ध कराने हेतु समाधानों की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है जिससे कि कृषकों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके।*
- *नहर तंत्र में उपलब्ध जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये जल उपयोगकर्ता संघों का गठन शीघ्र किया जाना चाहिये।*
- *सृजित संपत्तियों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिये जिससे कि अपेक्षित लाभ प्राप्त करने हेतु इन्हें उपयोग करने योग्य बनाये रखा जाये।*

अध्याय - I

प्रस्तावना

अध्याय - I

प्रस्तावना

इस अध्याय में सरयू नहर परियोजना के संक्षिप्त विवरण, लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, लेखा परीक्षा आच्छादन एवं क्रियाविधि पर चर्चा की गई है।

अध्याय का सारांश

- उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के नौ जनपदों में 12 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र सृजित करने हेतु सरयू नहर परियोजना ₹ 299.20 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर वर्ष 1982 में बनाई गयी थी। दिसंबर 2017 में कृषि योग्य समादेश क्षेत्र सृजन का लक्ष्य संशोधित कर 11.29 लाख हेक्टेयर किया गया था।
- परियोजना वर्ष 1988-89 में पूर्ण करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिसंबर 2021 में लोकार्पित की गई थी।
- सरयू नहर परियोजना को ₹10,346.70 करोड़ प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष मार्च 2022 तक ₹10,003.11 करोड़ का व्यय हुआ।

1.1 परिचय

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में घाघरा नदी के दूसरे पार के 3.54 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र को सिंचित करने के लिए बायाँ तट घाघरा नहर परियोजना बनायीं गयी थी। कालान्तर में राज्य सरकार ने मार्च 1982 में राप्ती नदी के दूसरे पार के क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हुए बायाँ तट घाघरा नहर परियोजना का समादेश क्षेत्र बढ़ाकर 12 लाख हेक्टेयर (सिंचन क्षमता: 14.04 लाख हेक्टेयर[1]) कर दिया तथा परियोजना को ₹ 299.20 करोड़ की अनुमानित लागत पर सरयू नहर परियोजना के नाम से पुनर्नामित करके वर्ष 1988-89 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया।

परियोजना प्रारंभ होनें बाद कई बार लागत संशोधन हुये और इसमें विलम्ब हुआ। निर्माण सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि, अपर्याप्त वित्त पोषण और परियोजना के कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त कार्यों को सम्मिलित करने के

[1] 14.04 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में खरीफ: 9.24 लाख हेक्टेयर और रबी: 4.80 लाख हेक्टेयर सम्मिलित है।

कारण परियोजना की लागत को संशोधित कर अगस्त 1985 में ₹ 696 करोड़[2] किया गया था। परियोजना को वर्ष 1992-93 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था। यद्यपि, यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजना के लिए अपेक्षित परिव्यय उपलब्ध नहीं हुआ और परियोजना की लागत को वर्ष 1992-93 में ₹ 1,256 करोड़ पर पुनः संशोधित किया गया। परियोजना के अवशेष कार्यों को तीन चरणों में विभाजित (1992-93) किया गया ***(परिशिष्ट 1.1)*** तथा प्रत्येक चरण के कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई। तृतीय चरण का कार्य वर्ष 2005-06 में पूर्ण किया जाना था।

जून 1998 में, राज्य सरकार की व्यय वित्त समिति ने तृतीय चरण (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली) के कार्य को रोक देने का निर्णय लिया तथा इन कार्यों के लिए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर पृथक से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया। अतः, इसके पश्चात् केवल प्रथम एवं और द्वितीय चरण के कार्य ही किये जाते रहे। प्रथम चरण और द्वितीय चरण के कार्यों की परियोजना लागत नवंबर 2006 में ₹ 2522.02 करोड़ पर पुनः संशोधित की गयी। इसी मध्य, फरवरी 2000 में राप्ती नहर प्रणाली (अर्थात् तृतीय चरण के कार्य) के व्यवहार्यता अध्ययन में राप्ती प्रणाली को व्यवहार्य पाया गया और मार्च 2010 में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में किये गये एक और संशोधन के कारण परियोजना लागत, जिसमें अन्य के साथ-साथ राप्ती प्रणाली के कार्य भी सम्मिलित कर लिए गये थे, बढ़कर ₹ 7,270.32 करोड़ हो गयी तथा परियोजना को वर्ष 2014 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके बाद, वर्ष 2017 में संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में राज्य सरकार ने परियोजना के समादेश क्षेत्र पर पुनर्विचार किया और शहरीकरण होने के कारण पहले से नियोजित 12 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र की मात्रा को घटाकर 11.29 लाख हेक्टेयर कर दिया। अतिरिक्त कार्यों को सम्मिलित करने तथा श्रम और सामग्री की लागत में वृद्धि के फलस्वरूप अक्टूबर 2017 में परियोजना की लागत, इसे दिसंबर 2019 तक पूर्ण कर लेने के लक्ष्य के साथ, बढ़कर ₹ 9,802.68 करोड़ हो गयी। यद्यपि, परियोजना दिसंबर 2021 में लोकार्पित की गयी और मार्च 2022 तक इस पर ₹ 10,003.11 करोड़ का व्यय हुआ। अग्रेतर, मार्च 2022 तक सभी मुख्य नहरें (257 किलोमीटर) और शाखा नहरें (777 किलोमीटर) पूर्ण हो

[2] परियोजना की पूंजीगत लागत (₹ 299.20 करोड़) 1978 के मूल्य सूचकांक पर आधारित थी।

गयीं थीं परन्तु 5,377 किलोमीटर की प्रस्तावित राजवाहा एवं अल्पिका नहरों के सापेक्ष 228 किलोमीटर लम्बाई की राजवाहा एवं अल्पिका नहरों का निर्माण नहीं किया गया था। परियोजना की वित्तीय बंदी माह अक्टूबर 2024 तक अवशेष थी।

वर्तमान में 11.29 लाख हेक्टेयर का कृषि योग्य समादेश क्षेत्र राज्य के नौ पूर्वी जनपदों यथा बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, महराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती को आच्छादित करता है, जैसा कि **मानचित्र 1.1** में दर्शाया गया है।

मानचित्र 1.1: सरयू नहर परियोजना से आच्छादित जनपद

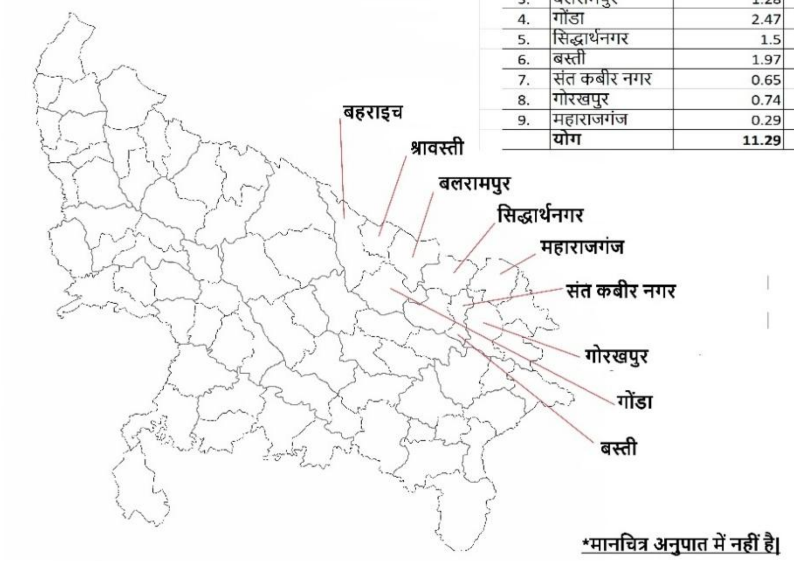

क्र०सं०	जिला	योग	
		कृषि योग्य समादेश क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	सिंचाई क्षमता (लाख हेक्टेयर)
1.	बहराइच	1.78	2.08
2.	श्रावस्ती	0.61	0.77
3.	बलरामपुर	1.28	1.68
4.	गोंडा	2.47	2.9
5.	सिद्धार्थनगर	1.5	1.96
6.	बस्ती	1.97	2.36
7.	संत कबीर नगर	0.65	0.76
8.	गोरखपुर	0.74	1.08
9.	महाराजगंज	0.29	0.45
	योग	**11.29**	**14.04**

सरयू नहर परियोजना (पूर्ववर्ती बायाँ तट घाघरा नहर परियोजना) का वित्त-पोषण 1977-78[3] से 1995-96 की अवधि में राज्य सरकार के संसाधनों से, 1996-97 से 2011-12 तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, 2012-13 से 2014-15 तक राष्ट्रीय परियोजना और 2015-16 से 2021-22 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत किया गया था। इसके अतिरिक्त,

[3] घाघरा नहर परियोजना के बाये तट पर (अब सरयू नहर परियोजना) यद्यपि वर्ष 1974 में तैयार की गई थी, परियोजना के लिए धन वर्ष 1977-78 से आवंटित किया गया था।

परियोजना को 1996-97 से 2004-05 तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार, सरयू नहर परियोजना को 1977-78 से 2021-22 की अवधि में ₹ 10,346.70 करोड़ प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष मार्च 2022 तक ₹ 10,003.11 करोड़ व्यय किये गये।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

सरयू नहर परियोजना को सिंचाई और जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया था जो राज्य में किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग का नेतृत्व प्रमुख सचिव करते हैं और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर प्रमुख अभियंता, अंचल स्तर पर मुख्य अभियंता, मण्डल स्तर पर अधीक्षण अभियंता और खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियंताओं के तकनीकी नियंत्रण में किया जाता है। सरयू नहर परियोजना का कार्यान्वयन आठ अधीक्षण अभियंताओं और 31 अधिशासी अभियंताओं के साथ मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या और सरयू परियोजना-2, गोंडा की तकनीकी देखरेख में किया गया था। सरयू नहर परियोजना का संगठनात्मक ढाचां चित्र 1.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1.1: **सरयू नहर परियोजना का संगठनात्मक ढांचा**

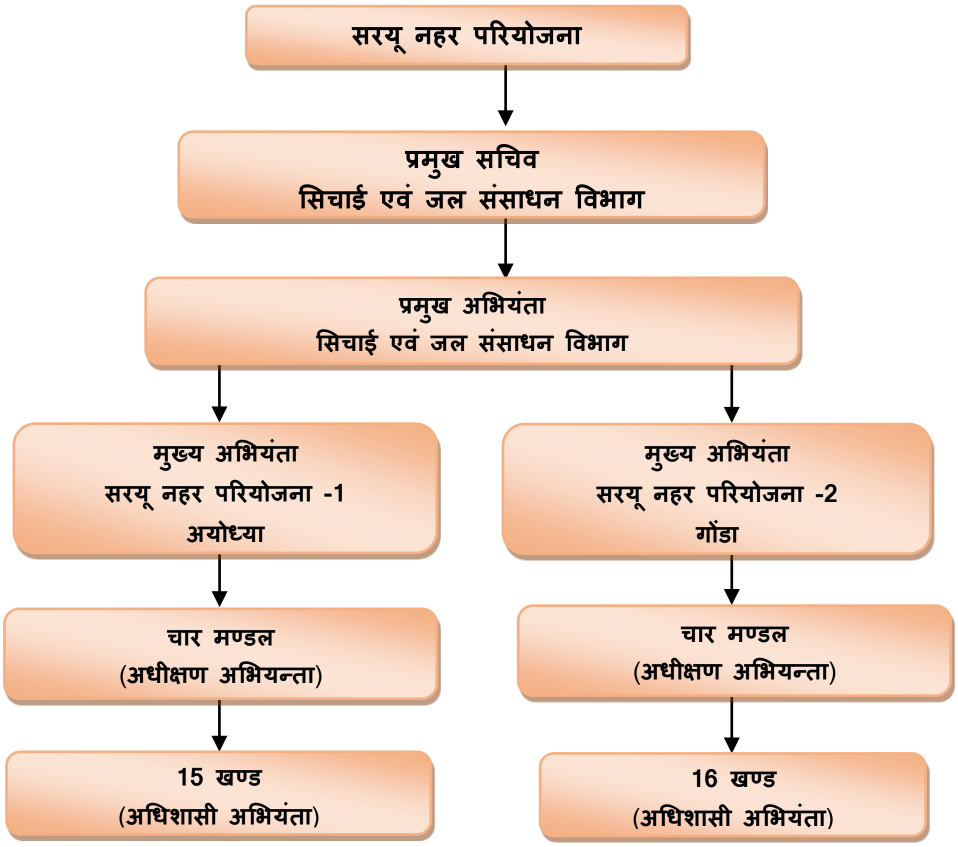

सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र में विकास का कार्य आयुक्त, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी, लखनऊ द्वारा किया गया था, जिसका भी प्रशासनिक नियंत्रण सिचाई एवं जल संसाधन विभाग के पास है।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखा परीक्षा निम्नलिखित लेखा परीक्षा उद्देश्यों के साथ की गयी कि:

- क्या परियोजना की परिकल्पना इसकी व्यवहार्यता का आकलन करके और समादेश क्षेत्र की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए की गयी थी;
- क्या धनराशि पर्याप्त थी, समय पर उपलब्ध थी और उसका उचित उपयोग किया गया था;
- क्या परियोजना का क्रियान्वन मितिव्ययता, दक्षता एवं प्रभावकारिता के साथ किया गया था;
- क्या लक्षित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का सृजन एवं उपयोग किया गया; और
- क्या परियोजना क्रियान्वन का प्रभावी अनुश्रवण किया गया था।

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गये थे:

- राज्य सरकार की सिंचाई आदेश नियमावली;
- केंद्रीय जल आयोग द्वारा निर्गत सिंचाई और बहु-उद्देशीय परियोजनाओं की प्रस्तुति, मूल्यांकन और स्वीकृति हेतु दिशानिर्देश-2010 एवं 2017;
- समादेश क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देश;
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,

2013, राज्य सरकार द्वारा भूमि क्रय के लिये निर्गत करार नियमावली, 1997 और अन्य शासकीय आदेश;

- वित्तीय नियम एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देश; और
- सरयू नहर परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन।

1.5 लेखापरीक्षा आच्छादन और क्रियाविधि

निष्पादन लेखापरीक्षा में आगे और पीछे की अवधि की कड़ियों को जोड़ते हुए 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि को आच्छादित किया गया जिससे यह आकलन किया जा सके कि क्या सरयू नहर परियोजना निर्माण की लंबी अवधि के बाद भी निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार पूर्ण हुयी और क्या वास्तव में अपेक्षित लाभ परियोजना के समादेश क्षेत्र में पहुंचाये गये थे। प्रमुख सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग), अभिलेखों की जांच प्रमुख अभियन्ता (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग), दो मुख्य अभियंताओं, आठ अधीक्षण अभियंताओं[4] और 17 खण्डों (निर्माण कार्य में सम्मिलित रहें समस्त 12 खण्ड एवं अनुरक्षण, मरम्मत और जल की आपूर्ति कार्य में सम्मिलित रहें 17 अन्य खण्डों[5] में से पांच खण्ड) के कार्यालयों में की गयी। नमूनों का चयन सांख्यिकीय सादर्ष विधि[6] का प्रयोग करके किया गया था।

सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र के विकास के संबंध में आयुक्त, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी के कार्यालय के अभिलेखों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से परियोजना के समादेश क्षेत्र में फसलों की उत्पादकता, उपज क्षेत्र और सूक्ष्म सिंचाई[7] सुविधा की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। अभिलेखों की जांच के अतिरिक्त, परियोजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव की स्थिति देखने हेतु लेखापरीक्षा द्वारा सरयू नहर

---

[4] (i) सिंचाई कार्य मण्डल, बहराईच, (ii) पंचदशम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा, (iii) गुणवत्ता नियंत्रण मण्डल, अयोध्या, (iv) ड्रेनेज मण्डल, गोण्डा, (v) सिंचाई कार्य मण्डल, बस्ती, (vi) नवम मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच, (vii) राप्ती नहर निर्माण मंडल-1, बलरामपुर, और (viii) राप्ती नहर निर्माण मंडल-2, बस्ती।

[5] दो गुणवत्ता नियंत्रण खण्डों को नमूनें में नहीं लिया गया था और गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में जानकारी अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण मंडल, अयोध्या से प्राप्त की गई थी, जिसके अधीन ये दोनों गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड कार्य कर रहे थे।

[6] प्रतिस्थापन विधि के बिना आकार के अनुपात में संभावना।

[7] जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सिंचाई विधि।

परियोजना के अधिकारियों के साथ चयनित नहरों[8] का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया।

26 सितंबर 2022 को राज्य सरकार के साथ आयोजित प्रारंभिक बैठक में लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों और विस्तार पर चर्चा की गयी थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के मसौदा प्रतिवेदन के निष्कर्षों और उसमें की गयी अनुशंसाओं पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार के साथ 21 नवंबर 2023 को समापन बैठक आयोजित की गयी। राज्य सरकार ने नवंबर 2023 और जनवरी 2024 में मसौदा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रेषित किया था, जिन्हें मसौदा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया था।

1.6 परियोजना के घटक

इस परियोजना में घाघरा नदी पर गिरिजा बैराज, सरयू नदी पर सरयू बैराज और राप्ती नदी पर राप्ती बैराज से परियोजना के नहर तंत्र में जलापूर्ति किये जानें की परिकल्पना की गई थी। संचयी रूप से, परियोजना के नहर तंत्र को खरीफ मौसम में 76.20 से 359.42 क्यूमेक तथा रबी मौसम में 14.50 से 178.03 क्यूमेक जलापूर्ति की जानी थी। परियोजना के प्रमुख घटकों में दो बैराज यथा सरयू बैराज और राप्ती बैराज; चार मुख्य नहरें यथा सरयू योजक नहर (47.135 किलोमीटर), सरयू मुख्य नहर (63.150 किलोमीटर), राप्ती योजक नहर (21.400 किलोमीटर) और राप्ती मुख्य नहर (125.682 किलोमीटर); दस शाखा नहरें (776.606 किलोमीटर; और राजवाहा और अल्पिका नहरें (5377.440 किलोमीटर) सम्मिलित हैं जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है। सरयू नहर परियोजना के घटकों का एक आरेख **चित्र 1.2** में दिया गया है।

[8] नमूने लेने के उद्देश्य से, प्रणाली की नहरों को ऊपरी भाग की नहरें, मध्य भाग की नहरें और टेल भाग की नहरों के समूह में समूहीकृत किया गया था। प्रत्येक समूह की नहरों को आच्छादित करते हुए कुल पैंतीस नहरों का चयन प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण विधि से किया गया था। चयनित नहरों के समादेश क्षेत्र के सभी 216 ग्रामों को फसल के प्रकारों और उनकी उत्पादकता से संबंधित आकड़ों की संवीक्षा करने के लिए निष्पादन लेखा परीक्षा जाँच के क्षेत्र में रखा गया था।

चित्र 1.2: सरयू नहर परियोजना का आरेख

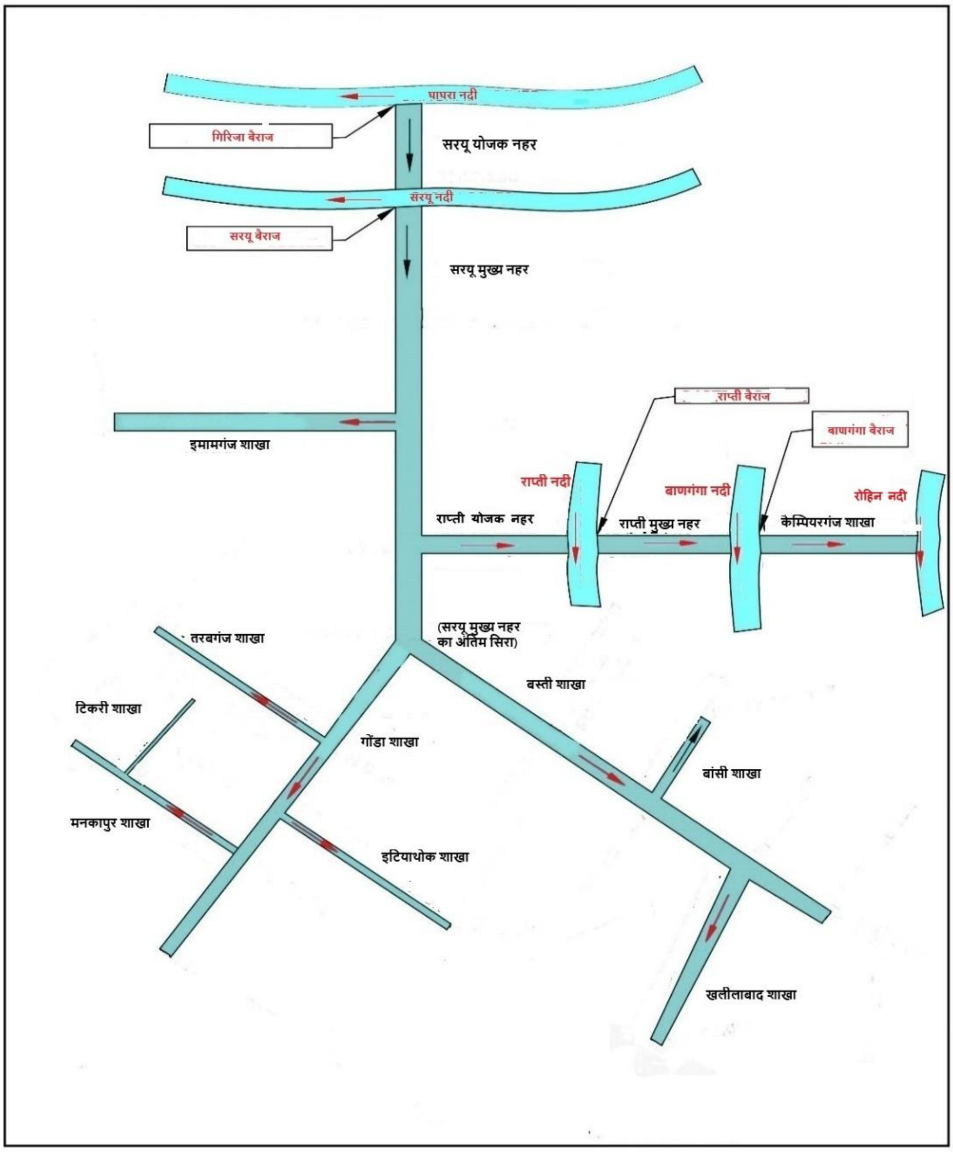

(स्रोत: मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराया गया सरयू नहर परियोजना का सूचक मानचित्र)

घाघरा नदी के उस पार के क्षेत्र को जल सरयू मुख्य नहर से इमामगंज शाखा नहर के माध्यम से, बस्ती शाखा नहर (बांसी और खलीलाबाद शाखा नहरों सहित) और गोंडा शाखा नहर (तरबगंज, मनकापुर, इटियाथोक और टिकरी शाखा नहरों सहित) से प्राप्त होता है। राप्ती नदी के उस पार के क्षेत्र को जल राप्ती बैराज से निकलने वाली राप्ती मुख्य नहर और बाणगंगा बैराज से निकलने वाली कैंपियरगंज शाखा नहर के माध्यम से मिलता है। नहर तंत्र में जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए परियोजना के अंतर्गत चार पंप नहरों यथा उतरौला, डुमरियागंज, अयोध्या और गोला पंप नहर का निर्माण भी किया जाना था। इसके अतिरिक्त, जल जमाव की स्थिति को नियंत्रित

करने के लिए परियोजना के समादेश क्षेत्र में नालों का निर्माण भी वर्ष 1989-90 तक कर लिया जाना था।

1.7 परियोजना की पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में 2003-04 से 2007-08 की अवधि के अभिलेखों की जांच पर आधारित सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखा परीक्षा सम्मिलित की गयी थी। पूर्व की निष्पादन लेखा परीक्षा में यह निष्कर्ष निकला था कि 1977-78 प्रारंभ की गयी परियोजना जिसे वर्ष 1988-89 तक पूर्ण कर लिए जाने की बात की गयी थी, 1977-2008 की अवधि में ₹ 2,440.72 करोड़ व्यय के बावजूद अनुचित नियोजन के फलस्वरूप अपेक्षित उदेश्यों को प्राप्त करने में विफल रही तथा इसकी लागत में ₹ 1,705.35 करोड़ की वृद्धि हो गयी और परियोजना में ₹ 517.47 करोड़ की नयी मदों का समावेश करना पड़ा। प्रतिवेदन में बताया गया था की परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब ठोस नीति और उचित दिशानिर्देशों के अभाव में भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रगति के कारण हुआ। नहर प्रणाली की क्रियाशील नहरों में बड़ी संख्या में गैप थे और ये नहरें सिंचाई के लिए अंतिम छोर तक जल ले जाने में असमर्थ थी। इसके अतिरिक्त, कार्यों के निष्पादन में अपर्याप्त गुणवत्ता आश्वासन और अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण में शिथिलता पर भी प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था।

पूर्व के निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित लेखा परीक्षा बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही का विवरण राज्य सरकार से नवम्बर 2024[9] तक प्रतीक्षित था। यद्यपि, वर्तमान निष्पादन लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा में बतायी गयी अधिकांश कमियाँ उसके बाद भी बनी रहीं जिसके कारण परियोजना की पूर्णता और इसके प्रतिफल विपरीत रुप से प्रभावित हुये, जैसाकि प्रतिवेदन में चर्चा की गयी है।

[9] लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश ने 11 नवम्बर 2024 को सूचित किया कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2007-08 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा के अवशेष प्रस्तरों का निस्तारण किया जाना शेष था और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

1.8 प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन को निम्नलिखित चार अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय - I : प्रस्तावना: यह सरयू नहर परियोजना की परिकल्पना एवं आच्छादित क्षेत्र, लेखा परीक्षा उद्देश्य, मानदंड, आच्छादन और क्रियाविधि से सम्बंधित है।

अध्याय - II : परियोजना नियोजन: यह भौगोलिक, पर्यावरणीय और तकनीकी मापदंडों पर सर्वेक्षण और अनुसंधान के आधार पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से संबंधित है।

अध्याय - III : परियोजना का क्रियान्वयन: यह वित्तीय प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण/क्रय, अनुबंध प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण, और आंतरिक नियंत्रण जिसमें साक्ष्य एवं अभिलेखीकरण से संबंधित प्रकरण सम्मिलित हैं, से सम्बंधित हैं।

अध्याय - IV : परियोजना से प्राप्तियाँ: यह परियोजना के पूर्ण एवं संचालित होने, कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का सृजन एवं और उपयोग, समादेश क्षेत्र विकास एवं नहर तंत्र के रखरखाव; और मानव संसाधनों की उपलब्धता से सम्बंधित है।

1.9 अभिस्वीकृति

हम सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखा परीक्षा के संपादन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों, कृषि विभाग और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

अध्याय - II

परियोजना नियोजन

अध्याय - II

परियोजना नियोजन

यह अध्याय सरयू नहर परियोजना के गठन से संबंधित प्रकरणों के विषय में है जिसमें परियोजना की सुदृढ़ता आंकलित करने हेतु सर्वेक्षण और अनुसंधान सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य: ***क्या परियोजना की परिकल्पना इसकी व्यवहार्यता का आकलन करके और समादेश क्षेत्र की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए की गयी थी।***

अध्याय का सारांश

- परियोजना की योजना अपर्याप्त और अपूर्ण थी क्योंकि नहरों के संरेखण, परियोजना क्षेत्र, निर्माण स्थलों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण और जांच पर्याप्त रूप से नहीं की गयी थी।

- राप्ती मुख्य नहर का संरेखण हिमालय पर्वतमाला की तलहटी के साथ एक समोच्च नहर की तरह था। यद्यपि, मानसून के दौरान पहाड़ियों से आने वाले तेज जल के बहाव के कारण नहर के बाएं तटबंध को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गयी थी। इससे राप्ती मुख्य नहर असुरक्षित हो गयी थी।

2.1 परिचय

नहर सिंचाई परियोजना की सफलता की रीढ़ व्यापक और गहन नियोजन है। केंद्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए भौगोलिक, पर्यावरणीय, तकनीकी पहलुओं के विभिन्न मापदंडों पर सर्वेक्षण और परीक्षण किया जाता है और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

2.2 परियोजना का गठन

केंद्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत सर्वेक्षण और परीक्षण के आधार पर परियोजना की व्यवहार्यता और सुदृढ़ता का आंकलन करने तथा विभिन्न प्रकरणों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय/अंतर-राज्यीय पहलुओं, जल विज्ञान, सिंचाई योजना, पर्यावरणीय पहलु, अपेक्षित लाभ आदि पर विचार करने के

बाद विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए। परियोजना गठन के संबंध में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

2.2.1 सर्वेक्षण और परीक्षण

केंद्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों में स्थलाकृतिक, जलविज्ञान, भूविज्ञान, भूकंपीयता, संरचनाओं की नींव और गुणवत्ता और मात्रा को दृष्टि में रखते हुए मितव्ययी निर्माण सामग्री[1] की उपलब्धता जैसे पहलुओं के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण की अपेक्षा की गयी है।

परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन[2] के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए स्थलाकृतिक, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान, पारिस्थितिकी, भूकंप विज्ञान और मृदा सर्वेक्षण किये गये थे। यह पाया गया कि परियोजना के समादेश क्षेत्र में स्थित 16 वर्षा मापी स्थानों के वर्षा के आंकड़ों और क्षेत्र में उपयोग के लिए वर्षा जल की उपलब्धता का विश्लेषण मौसम विज्ञान सर्वेक्षणों में किया गया था। जल विज्ञान सर्वेक्षणों के अंतर्गत घाघरा, सरयू और राप्ती नदी के जल निस्सरण का विश्लेषण किया गया था और परियोजना के समादेश क्षेत्र में भूजल संसाधनों का निर्धारण और विश्लेषण जल विज्ञान सर्वेक्षण के माध्यम से किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्माण स्थलों पर मिट्टी की गुणवत्ता का आकलन मिट्टी की जाँच के माध्यम से किया गया था।

स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और भूकंपीय सर्वेक्षणों का विवरण न तो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया था और न ही मुख्य अभियंता, सरयू नहर परियोजना और नमूना-जांच किये गये खण्डों ने इन्हें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया, जबकि इसकी मांग की गयी थी। यद्यपि, स्थलाकृतिक सर्वेक्षणों में कमियों एवं भूकंप जोखिम क्षेत्र के लिए समुचित भारतीय मानक संहिता को संज्ञान में लेते हुए प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं की डिजाइन से सम्बंधित अनेक प्रकरण लेखापरीक्षा के संज्ञान में आये जिन पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

---

1 खनन क्षेत्र की उपलब्धता और परियोजना के कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली उपलब्ध सामग्री की उपयुक्तता।

2 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017 में संशोधित किया गया।

2.2.1.1 स्थलाकृतिक सर्वेक्षण

नहर परियोजना का नियोजन करनें के लिए समादेश क्षेत्र का स्थलाकृतिक सर्वेक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारियों का उपयोग परियोजना के अंतर्गत आने वाले कृषि योग्य समादेश क्षेत्र और नहरों के लम्बछिन्नक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नहर का लम्बछिन्नक अन्य बातों के साथ-साथ नहरों के प्राकृतिक सतह का स्तर, नहरों में जल का पूर्ण बहाव स्तर और कुलाबा, रेगुलेटर, पुल, जल निकास क्रॉसिंग, एक नहर से दूसरी नहर निकालनें के स्थान आदि पर जल के दाब का विस्तृत विवरण दर्शाता है।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गयी है, स्थलाकृतिक सर्वेक्षणों के विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा में सर्वेक्षण की पर्याप्तता की जांच नहीं की जा सकी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में लम्बछिन्नक और समादेश क्षेत्र के निर्धारण में निम्नलिखित कमियाँ प्रकाश में आयीं:

(i) नहरों के लम्बछिन्नकों में कमियाँ

फरवरी 2013 में मुख्य अभियंता, सरयू नहर परियोजना द्वारा राप्ती मुख्य नहर का लम्बछिन्नक स्वीकृत किया गया था। यद्यपि, राप्ती मुख्य नहर का निर्माण स्वीकृत लम्बछिन्नक के अनुसार नहीं किया गया था, क्योंकि निर्माण के दौरान इसमें कई बदलाव किये गये थे। राप्ती मुख्य नहर के लम्बछिन्नक में स्वीकृत (फरवरी 2013) 209 पक्की संरचनाओं के सापेक्ष 45 नई संरचनाओं को सम्मिलित करने और 24 स्वीकृत संरचनाओं[3] को निकाल देने के कारण कार्य के निष्पादन के दौरान 230 पक्की संरचनाओं का निर्माण किया गया। इन नयी पक्की संरचनाओं में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अंतिम संशोधन (दिसंबर 2017) के बाद भी जोड़ी गयी 11 संरचनाएं[4] सम्मिलित हैं। लम्बछिन्नक की स्वीकृति के बाद भी डिजाइन को अंतिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को कार्य पूर्ण करने के लिए दी गयी समय सीमा का पालन नहीं किया जा सका, जैसा कि अध्याय- तीन में विस्तार से चर्चा की गयी है।

---

[3] इसमें नौ शीर्ष रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर के साथ दो स्केप, तीन नहर क्रॉसिंग और बाण गंगा नदी पर एक एक्वाडक्ट आदि सम्मिलित थे।

[4] तीन इनलेट, एक साइफन, तीन पाइप साइफन, दो हेड रेगुलेटर, एक नाला क्रॉसिंग और एक ग्राम सड़क पुल।

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि राप्ती मुख्य नहर के लम्बछिन्नक को उस समय किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर वर्ष 2013 में स्वीकृत किया गया था। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि पिछले वर्षों में शहरीकरण हुआ, गांवों की संख्या बढ़ी और सड़कें बनीं, जिसके कारण कुछ प्रस्तावित नहरों और अन्य संरचनाओं के स्थान और क्षमता में बदलाव किया गया। स्थलाकृतिक सर्वेक्षणों के विवरण की अनुपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार ने कहा कि सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र के संबंध में विस्तृत स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किया गया था जिसके अभिलेख परियोजना के संबंधित खण्डो के पास हैं। राज्य सरकार ने अपने उत्तर के समर्थन में परियोजना के स्थलाकृतिक और समोच्च शीट के नमूने भी उपलब्ध कराये (जनवरी 2024)।

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नहर के निर्माण के दौरान राप्ती मुख्य नहर के लम्बछिन्नक में वृहद विचलन हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि नहर संरचनाओं (लम्बछिन्नक) को बनाने हेतु स्थलाकृतिक सर्वेक्षणों के माध्यम से जानकारियों को प्राप्त करने/उनका उपयोग करने में अपर्याप्तता थी। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता एवं नमूना जांच के खण्डों ने स्थलाकृतिक सर्वेक्षणों के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

(ii) नहरों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त तकनीकी उपाय

नहर का संरेखण, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का आंकलन करने के बाद निर्धारित किया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राप्ती मुख्य नहर को क्षेत्र के प्राकृतिक जल निकासी ढाल के विपरीत संरेखित किया गया था और यह हिमालय पर्वतमाला के पद[5] के लगभग समानांतर है। राप्ती मुख्य नहर के संरेखण का एक रेखाचित्र **चित्र 2.1** में दर्शाया गया है।

[5] पहाड़ी के मुख का जमीन की सतह के साथ संगम।

चित्र 2.1: राप्ती मुख्य नहर

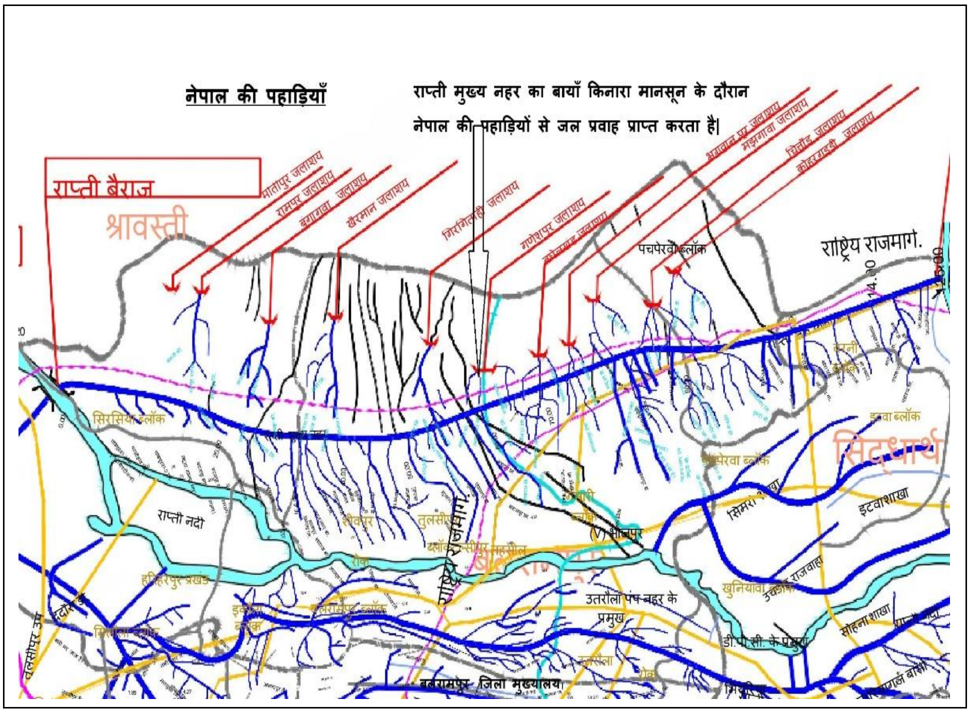

(स्रोत: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017)

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से प्रकाश में आया कि केन्द्रीय जल आयोग की विशेषज्ञ समिति ने जुलाई 2018 में राप्ती मुख्य नहर का भ्रमण किया और पाया कि बाढ़ के जल के कारण राप्ती मुख्य नहर अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गयी है, साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा बाढ़ के जल को नहर में प्रवाहित करने के कारण भी नुकसान हुआ है, क्योंकि यह राप्ती मुख्य नहर के बायीं ओर की समीप की पहाड़ियों से आने वाली जल धाराओं के प्राकृतिक प्रवाह में एक बाधक के रूप में कार्य करता है। यद्यपि नहर में अनेक जल निकासी क्रॉसिंग बनायीं गयी थीं, लेकिन क्रॉस ड्रेनेज प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही थी। विशेषज्ञों ने उपाय सुझाये, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राप्ती मुख्य नहर को जल के तेज प्रवाह से बचाने के लिए राप्ती मुख्य नहर के बायें तट के किनारे-किनारे उपयुक्त नाले बनाकर क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं/नालों तक जल पहुंचाना सम्मिलित था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अक्टूबर 2022 में भारी बारिश के जल के बहाव से राप्ती मुख्य नहर को नुकसान पहुंचा था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण (दिसंबर 2022) के दौरान लेखापरीक्षा ने राप्ती मुख्य नहर की सिंचाई परिसंपत्तियों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पाया, जैसा कि निम्नलिखित छायाचित्रों में दर्शाया गया है:

छायाचित्र-2.1: नेपाल की पहाड़ियों से जल के तेज बहाव के कारण किलोमीटर 20.300 पर राप्ती मुख्य नहर का क्षतिग्रस्त भाग	**छायाचित्र-2.2: नेपाल की पहाड़ियों से जल के तेज बहाव के कारण किलोमीटर 0.200-0.350 पर राप्ती मुख्य नहर का क्षतिग्रस्त भाग**

उपर्युक्त स्थितियों से पता चलता है कि केन्द्रीय जल आयोग की सिफारिशों के पश्चात भी, राप्ती मुख्य नहर के बायें तट को जल के प्रवाह से पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं किया गया था।

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2023) कि परियोजना के अन्तर्गत सभी मुख्य नहरों की परिकल्पना एवं निर्माण मुख्यतः समोच्च नहरों के रूप में किया गया है। समोच्च नहरें ऐसी नहरें होती हैं, जिनका निर्माण भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया जाता है तथा इसमें तकनीकी परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। राप्ती मुख्य नहर के बायें तट को सुरक्षा प्रदान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने उत्तर दिया कि जुलाई 2018 में केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सुझावों के आधार पर सरयू योजक नहर एवं सरयू मुख्य नहर के तटबन्ध को ऊंचा करने के लिए मिट्टी कार्य कराया गया। लगभग 46.450 किलोमीटर लम्बाई में डिच ड्रेन का निर्माण कराया गया तथा जल की समुचित निकासी के लिए राप्ती मुख्य नहर के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी यह कार्य प्रगति पर है।

तथ्य यथावत रहा कि यद्यपि राप्ती मुख्य नहर के लम्बछिन्नक को 2013 में मंजूरी दी गयी थी, लेकिन पास की पहाड़ियों से जल के तेज प्रवाह से राप्ती मुख्य नहर के बायें तट को नुकसान पहुंचने का प्रकरण जुलाई 2018 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विभाग के संज्ञान में लाया गया। यदि विभाग द्वारा राप्ती मुख्य नहर के निर्माण के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का व्यापक अध्ययन किया गया होता, तो पहाड़ियों से आने वाले जल प्रवाह से राप्ती मुख्य नहर के बाएं तटबंध को बचाने के लिए आवश्यक प्रावधान किये जा सकते थे।

(iii) कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का गलत निर्धारण

नहर परियोजना द्वारा नियंत्रित की जाने वाली कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का निर्धारण नहर परियोजना के नियोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नहर के शीर्ष निस्सरण का निर्णय लेने के बाद नहर प्रणाली द्वारा सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र को भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करके तथा अन्य कारकों, जैसे कि पहले से खेती किये जा रहे क्षेत्र, मिट्टी के प्रकार, बस्तियों, सड़कों, जल निकासी और क्षेत्र की रूपरेखा पर विचार करके निर्धारित किया जाता है। नियंत्रित क्षेत्र के आकार के आधार पर परियोजना से लाभ की मात्रा निर्धारित की जाती है।

1982 की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के नौ पूर्वी जिलों में 12 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र की परिकल्पना की गयी थी। विभाग ने 2017 में परियोजना के लागत संशोधन के समय कृषि योग्य समादेश क्षेत्र की पुनः समीक्षा की और 34 वर्षों की अवधि में शहरीकरण और कृषि योग्य समादेश क्षेत्र की मात्रा को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को उद्धृत करते हुए कृषि योग्य समादेश क्षेत्र को घटाकर 11.29 लाख हेक्टेयर कर दिया।

चलित नहरों के वास्तविक कृषि योग्य समादेश क्षेत्र की तुलना में सरयू नहर परियोजना में प्रस्तावित 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र को बढ़ाकर दिखाया गया था।

यद्यपि, अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पुनः निर्धारित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र की मात्रा वास्तविक कृषि योग्य समादेश क्षेत्र की तुलना में बढ़ाकर बतायी गयी थी। लेखापरीक्षा ने मुख्य अभियंताओं द्वारा प्रदान की गयी परियोजना की 894 नहरों की संयुक्त सूची जिसमें प्रस्तावित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र 11.29 लाख हेक्टेयर दर्शाया गया था, की तुलना नमूना जांच किये गये खण्डों में उपलब्ध नहरों की सूंची, जिसमें वास्तव में सृजित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र दर्शाया गया था, से की। नमूना जाँच किये गये पाँच[6] में से तीन खण्डों के अभिलेखों के अनुसार, 145 चलित नहरों का कृषि योग्य समादेश क्षेत्र 1.25 लाख हेक्टेयर पाया गया, जबकि मुख्य अभियंताओं द्वारा तैयार की गयी संयुक्त सूची में इन 145 नहरों का कृषि योग्य समादेश क्षेत्र 2.36 लाख हेक्टेयर प्रस्तावित था। इस प्रकार, इन 145 नहरों के संबंध में बनाया गया वास्तविक कृषि योग्य समादेश क्षेत्र इन नहरों के लिए प्रस्तावित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का केवल 53 प्रतिशत था। इससे

[6] नमूना जांच किये गये 17 खण्डों में से पांच खण्ड प्रथम चरण और द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्मित नहरों के संचालन में सलंग्न थे।

संकेत मिलता है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित 11.29 लाख हेक्टेयर का प्रस्तावित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र बढ़ाकर बताया गया था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने 145 नहरों के संबंध में 1.25 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का विवरण प्रदान किया (नवंबर 2023) लेकिन परियोजना से अच्छादित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र की वास्तविक उपलब्धता की तुलना में अधिक कृषि योग्य समादेश क्षेत्र दर्शानें के लेखापरीक्षा बिन्दु पर टिप्पणी नहीं दिया। परियोजना के समादेश क्षेत्र को बढ़ाकर दिखाया जाना अपर्याप्त स्थलाकृतिक सर्वेक्षण का संकेतक था।

2.2.1.2 जल विज्ञान सर्वेक्षण

घाघरा नदी और सरयू तथा राप्ती बैराजों के पहले की जल धारा और बाद की जल धारा में जल उपलब्धता की स्थिति का विश्लेषण, 1975 से 2016 की अवधि के आंकड़ें एकत्र करके, संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017 में किया गया था।

जल विज्ञान संबंधी अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि सरयू नहर परियोजना के लिए खरीफ मौसम में 76.20 से 359.42 क्यूमेक जल (सिंचन क्षमता: 9.24 लाख हेक्टेयर) और रबी मौसम में 14.5 से 178.03 क्यूमेक जल (सिंचन क्षमता: 4.80 लाख) आवश्यक था। जल विज्ञान अध्ययन में दिये गये विवरण के अनुसार सरयू नहर परियोजना के लिए जल की आवश्यकता और उपलब्धता का माहवार विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1 सरयू नहर परियोजना हेतु जल की आवश्यकता एवं उपलब्धता

(क्यूमेक में)

माह	जल की आकलित आवश्यकता	जल की औसत आकलित उपलब्धता	आकलित 75 प्रतिशत औसत जल उपलब्धता[7]	जल की औसत आकलित उपलब्धता के सापेक्ष कमी	आकलित 75 प्रतिशत औसत जल उपलब्धता के सापेक्ष कमी
जनवरी	173.98	102.26	50.48	71.72 (41)	123.50 (71)
फ़रवरी	178.03	74.76	32.40	103.27 (58)	145.63 (82)
मार्च	14.50	83.23	32.45	शून्य	शून्य
अप्रैल	शून्य	248.60	169.33	शून्य	शून्य
मई	76.20	327.65	281.96	शून्य	शून्य
जून	359.42	360	360	शून्य	शून्य

[7] 75 प्रतिशत औसत जल उपलब्धता वह विश्वसनीय जल प्रवाह है, जिसका आकलन जल बहाव के आंकड़ों की श्रृंखला का उपयोग कर किया जाता है और जिसका अर्थ है कि 75 प्रतिशत अवधि में जल उपलब्ध रहेगा।

माह	जल की आकलित आवश्यकता	जल की औसत आकलित उपलब्धता	आकलित 75 प्रतिशत औसत जल उपलब्धता[7]	जल की औसत आकलित उपलब्धता के सापेक्ष कमी	आकलित 75 प्रतिशत औसत जल उपलब्धता के सापेक्ष कमी
जुलाई	162.04	360	360	शून्य	शून्य
अगस्त	208.99	360	360	शून्य	शून्य
सितम्बर	334.38	360	360	शून्य	शून्य
अक्टूबर	273.47	360	360	शून्य	शून्य
नवम्बर	149.13	342.08	280.79	शून्य	शून्य
दिसम्बर	146.25	137.03	77.52	9.22(6)	68.73 (47)

(स्रोत: सरयू नहर परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन-2017)

रबी फसलों हेतु दिसम्बर, जनवरी और फरवरी माहों में जल की कमी के दृष्टिगत सरयू नहर परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017 में प्रस्तावित किया गया था कि विभाग को कम जल खपत वाली फसलों तथा सिंचाई के उन्नत तरीकों, जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई एवं भागीदारी आधारित दृष्टिकोण के साथ जल उपभोक्ता संघ का गठन कर सतही जल और भूजल के समन्वित उपयोग को अपनाने पर विचार करना होगा।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि रबी फसलें मुख्य रूप से शीतकालीन वर्षा पर निर्भर होती हैं और खरीफ फसलों की देर से बुवाई/कटाई के कारण दिसंबर और जनवरी की अवधि में रबी फसलों के लिए मात्र एक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि 2022-24 की अवधि में रबी फसलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने 2022-23 के रबी मौसम[8] में सरयू मुख्य नहर में जल की अपर्याप्त आपूर्ति पायी, जैसा कि **प्रस्तर 4.5.1.1** में विवरण दिया गया है।

अग्रेतर, प्रभावी जल परिवहन को बढ़ावा देने और स्प्रिंकलर, ड्रिप आदि के लिए भूमिगत पाइपिंग प्रणाली जैसी तकनीकों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना के विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत समादेश क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (हर खेत को पानी) और 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' घटकों के अंतर्गत उपलब्धि में कमियों पर **प्रस्तर 4.7** और **4.7.1** में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी है।

---

[8] राज्य सरकार ने केवल 2023-24 के खरीफ मौसम में जल की आपूर्ति के आँकड़े उपलब्ध कराये।

2.2.1.3 भूकंपीय अध्ययन

केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों में भूकंपीय अध्ययन और भूकंप के खतरे से प्रभावित क्षेत्रों में संरचनाओं के निर्माण के लिए स्थल विशेष डिज़ाइन मापदंडों के निर्धारण करने के बारे में कहा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकम्प के खतरे के स्तर को संज्ञान में लेते हुए प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के लिए भवनों की श्रेणियां, निर्माण सामग्रियां तथा निर्माण विधियों के सम्बन्ध में मानक संहितायें प्रतिपादित की है। इस संदर्भ में, भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रबलित सीमेंट कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं के डिजाइन हेतु मानक संहितायें यथा मानक संहिता 1893-2002 (संरचनाओं की भूकंप प्रतिरोधी डिज़ाइन के लिए मानदंड) तथा 13920-1993 (प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं में भूकंपीय बलों के विरुद्ध लचीलेपन का विवरण) निर्धारित किया है। अतः विभाग के लिये यह अनिवार्य था कि वह भूकंप के खतरे तथा भारतीय मानक ब्यूरो की संहिताओं को ध्यान में रखते हुए संरचनाओं के ड्राइंग और डिज़ाइन तैयार करे।

वर्ष 2017 के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नौ जनपदों में से सात जनपद यथा श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, बस्ती तथा गोंडा का कुछ भाग उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र जोन-4 जबकि बहराइच, गोंडा एवं बस्ती जनपदों का कुछ अन्य भाग मध्यम जोखिम क्षेत्र जोन-3 में आते हैं। राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जनपदों के क्षेत्र में स्थित है।

अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण से संबंधित छह अनुबंधों की शर्तों में यह उल्लेख किया गया था कि सभी कार्य अनुबंधों में वर्णित विस्तृत विनिर्देशों के अनुसार किये जायेंगे। यदि किसी कार्य के लिये कोई विशिष्ट विनिर्देश नहीं दिया गया है, तो उसे संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता/भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्टियों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। संरचनाओं के तकनीकी विनिर्देशों के संदर्भ में उपरोक्त शर्तों के बारे में आगे यह भी कहा गया कि संरचनाओं का निर्माण, भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता 456:2000 (साधारण और प्रबलित कंक्रीट) के अनुसार डिजाईन में दिखायी गयी रेखाओं/ग्रेड तथा आयामों पर किया जायेगा |

लेखापरीक्षा में राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्मित 874 संरचनाओं में से 270 संरचनाओं की ड्राइंग की नमूना जांच की गयी जिसमें इस तथ्य की पुष्टि हुई कि 98 ड्राइंग (36 प्रतिशत) भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता 456:2000 के प्रावधानों का उपयोग कर तैयार की गयी थीं। शेष 172 ड्राइंग में भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता के उपयोग या भूकंप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी अन्य मानक का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

इस प्रकार, राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के अंतर्गत 270 प्रबलित सीमेंट कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं की ड्राइंग बनाते समय भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता 1893-2002 (भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं के डिज़ाइन हेतु मानदंड) तथा भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता 13920-1993 (भूकंपीय बलों के विरुद्ध प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं में लचीलेपन का विवरण), जो भूकंप से सुरक्षित संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, को विचार में नहीं लिया गया था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने (जनवरी 2024) में बताया कि भूकंपीय बलों और भूकंप के प्रभाव से बचाव हेतु प्रबलीकरण की जरूरतों के सम्बन्ध में भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता 456:2000 की धारा 19.1, 19.4, 26.1 और 26.1.2 में प्रावधान दिये गये हैं। राज्य सरकार ने आगे कहा कि भूकंप के कारण संरचनाओं में मान्य तनाव में वृद्धि करने का प्रावधान भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता 456:2000 के परिशिष्ट बी 2.3 में दिया गया है, जिसे राप्ती मुख्य नहर की सभी ड्राइंग में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है।

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता 456 से आच्छादन के बारे में यह उल्लिखित है कि यह मानक, साधारण एवं प्रबलित कंक्रीट के सामान्य संरचनात्मक उपयोग से संबंधित है। राज्य सरकार ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि जल संरचनाओं और भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं की विशेष आवश्यकतायें, जिनका प्रावधान सम्बंधित मानकों में है, भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता 456 से आच्छादित नहीं है तथा इन मानकों को भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता 456 के साथ मिलाकर उपयोग किया जाना चाहिये।

अतः संरचनाओं जैसे शीर्ष रेगुलेटर्स, क्रॉस रेगुलेटर्स, नहर सड़क पुल, जल निकासी क्रॉसिंग, नहर क्रॉसिंग, साइफन, एक्वाडक्ट, फाल तथा सुपर पैसेज

के डिज़ाइन में भारतीय मानक ब्यूरो की संहिताओं यथा 1893-2002 तथा 13920-1993 उपयोग किया जाना चाहिये था।

2.2.2 समय की देरी एवं परिणामी लागत वृद्धि

जैसाकि प्रस्तर 1.1 में उल्लेख किया गया है, परियोजना लागत को 1992 में ₹ 299.20 करोड़ (मूल्य स्तर 1978) से 1985 में ₹ 696 करोड़ (मूल्य स्तर 1985), ₹ 1992 में ₹ 1256 करोड़ (मूल्य स्तर 1992), 2006 में ₹ 696 करोड़ (मूल्य स्तर 2004-05), 2010 में ₹ 7,270.32 करोड़ (मूल्य स्तर 2008) और 2017 में ₹ 9,802.68 करोड़ (मूल्य स्तर 2016) पर संशोधित किया गया था। परियोजना में लागत संशोधन मुख्य रूप से समय की देरी के कारण हुआ, जिससे निर्माण सामग्री, श्रम और भूमि अधिग्रहण की लागत में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कार्य की परिधि को अंतिम रुप नहीं दिया जा सका था जिसके कारण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में बाद के संशोधनों में अतिरिक्त कार्य जोड़े गये। यह परियोजना के लिए नियोजन की अपर्याप्तता की ओर इंगित करता है।

वर्ष 2017 में संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में यह प्रकाश में आया कि कार्य की मात्राओं में किये गये परिवर्तन मुख्य रूप से राप्ती नहर के निर्माण से संबंधित थे, जैसा कि **तालिका 2.2** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.2: राप्ती मुख्य नहर की मात्राओं में 2010-16 की अवधि में हुए परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

कार्य मदें	इकाई	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2010		विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017		मात्रा में बढ़त (+)/ कमी (-)
		मात्रा	लागत	मात्रा	लागत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)-(3)
ए- प्रारंभिक	एकमुश्त	एकमुश्त	3.29	एकमुश्त	17.04	लागू नहीं
बी- भूमि (स्थाई अधिग्रहण)	हेक्टेयर	1,600.00	62.63	1,421.71	255.69	(-)178.29
सी- कार्य (इनलेट्स)	संख्या	Nil	Nil	30	14.69	(+) 30
डी- रेगुलेटर	संख्या	32	9.10	39	16.49	(+)7
ई- फॉल	संख्या	10	6.86	12	18.51	(+) 2
एफ- क्रॉस ड्रेन	संख्या	42	197.70	70	1,522.27	(+) 28
जी - पुल	संख्या	57	42.90	103	295.00	(+) 46
एच- स्केप	संख्या	06	10.50	03	36.37	(-) 3
के- भवन	संख्या	775	20.26	150	18.29	(-) 625

कार्य मदें	इकाई	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2010		विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017		मात्रा में बढ़त (+)/ कमी (-)
		मात्रा	लागत	मात्रा	लागत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)-(3)
एल- मिट्टी का कार्य	लाख घन मीटर	276.46	254.24	173.19	218.13	(-)103.27
एम- वृक्षारोपण	किलोमीटर	125	1.12	अंकित नहीं	12.76	लागू नहीं
ओ- विविध	एकमुश्त	एकमुश्त	1.59	एकमुश्त	33.09	लागू नहीं
पी- अनुरक्षण	एकमुश्त	एकमुश्त	5.48	एकमुश्त	8.64	लागू नहीं
आर- संचार	किलोमीटर	250	8.73	61.05	6.84	(-)188.95
एक्स- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	एकमुश्त	एकमुश्त	0.60	एकमुश्त	0.99	लागू नहीं

(स्रोतः सरयू नहर परियोजना की विस्तृत परियाजना प्रतिवेदन)

जैसाकि तालिका 2.2 में विस्तृत रूप से बताया गया है, राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में वर्ष 2017 में 2010 की तुलना में पक्की संरचनाओं जैसे इनलेट (30 अदद), रेगुलेटर्स (7 अदद), फॉल (2 अदद), क्रॉस ड्रेनेज (28 अदद) और पुल (46 अदद) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुयी। इसके अतिरिक्त, मिट्टी, भवन और संचार कार्यों के प्रावधानों में कमी पायी गयी। अभिलेखों में इन परिवर्तनों के लिए कोई औचित्य नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सरयू नहर परियोजना के तृतीय चरण के कार्य, जिसमें राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण सम्मिलित था, को व्यय वित्त समिति द्वारा फरवरी 1999 में बीच में ही इस निर्देश के साथ रोक दिया गया था कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राप्ती नहर प्रणाली के वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया जाये।

इसके पश्चात्, व्यय वित्त समिति ने मार्च 2010 में संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2010 में राप्ती नहर प्रणाली के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी थी जिसने इस प्रणाली के निर्माण को व्यवहार्य पाया था। यद्यपि, मार्च 2010 में निर्धारित कार्य मदों की तुलना में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017 में बड़े परिवर्तन यह दर्शाते हैं कि संबंधित कार्य मदों को पर्याप्त सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया था।

जैसाकि अध्याय- तीन में चर्चा की गयी है, परियोजना में समय की देरी मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण/क्रय में विलम्ब, वार्षिक कार्य योजनाओं में आंकी गयी आवश्यक धनराशि की तुलना में धीमी गति से धन आवंटन, कार्य की मात्रा का सही अनुमान न लगा पाने के कारण कार्य की परिधि में बदलाव, विभागीय अधिकारियों द्वारा नहरों और संरचनाओं के डिज़ाइन एवं ड्रॉइंग को अनुमोदित करने में विलम्ब, तथा ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुआ था। विलम्ब के इन कारणों और कार्य की परिधि में संशोधनों के कारण परियोजना में लागत वृद्धि हुयी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने (नवंबर 2023) बताया कि यह परियोजना मूल रूप से 1982 में ₹ 299.20 करोड़ की लागत से प्रारम्भ की गयी थी। इसके बाद, इसकी लागत क्रमशः 2002 में ₹ 2,765.16 करोड़**,** 2010 में ₹ 7,270.32 करोड़**,** और 2017 में ₹ 9,802.68 करोड़ संशोधित की गयी। राज्य सरकार ने आगे बताया कि निर्माण कार्य विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर तथा कार्यस्थल की परिस्थितियों के अनुसार पूर्ण किये गये। परियोजना के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने के लिए, भूमि के सर्किल दर तथा अनुसूची दरों में वृहद बदलाव के कारण परियोजना की लागत समय-समय पर संशोधित की गयी।

तथ्य यथावत है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2010 के लिए राप्ती मुख्य नहर के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु किया गया सर्वेक्षण अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके कारण परियोजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक संरचनाओं की संख्या में बड़े बदलाव हुए। इसके परिणामस्वरूप नहरों और संरचनाओं के डिज़ाइन एवं ड्रॉइंग को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ जिससे परियोजना और अधिक विलंबित हो गयी। इसके अतिरिक्त, परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण भूमि अधिग्रहण की लागत में वृद्धि और मूल्य वृद्धि भी हुयी।

संक्षेप में, परियोजना अपर्याप्त सर्वेक्षणों और जांचों के कारण विपरीत रुप से प्रभावित हुयी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे लाभान्वित होने वाले समादेश क्षेत्र का निर्धारण, प्रस्तावित क्षेत्र को आच्छादित करने वाली नहरों का लम्बछिन्नक, परियोजना कार्यों की परिधि और कार्य मदों की मात्रा को अंतिम रूप, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017 के अंतिम संशोधन तक भी नहीं दिया जा सका। इससे परियोजना

में अत्यधिक समय की देरी और लागत वृद्धि हुयी। परियोजना को इसके प्रारंभ होने (1982) के लगभग 40 वर्ष बाद ही संचालित किया जा सका।

अनुशंसा 1: *राज्य सरकार को परियोजना की आवश्यकताओं के त्रुटिपूर्ण आकलन के कारणों की जांच करनी चाहिये जिसके कारण कार्य संपादन की अवधि में, इसके कार्य की परिधि में वृहद बदलाव हुए और परियोजना की पूर्णता में परिणामी विलम्ब हुआ।*

अनुशंसा 2: *सिंचाई परियोजनाओं के समय पर पूर्ण होने के लिए कठोर निगरानी हेतु प्रभावी तंत्र तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है।*

अनुशंसा 3: *राज्य सरकार को विकास हेतु आवश्यक कार्यों का सही आंकलन करने और सिंचाई के प्रभावी नियोजन हेतु सरयू नहर परियोजना से वास्तविक रुप से आच्छादित क्षेत्र का निर्धारण करने के लिये भूमि सर्वेक्षण करना चाहिये।*

अध्याय - III

परियोजना का क्रियान्वयन

अध्याय - III

परियोजना का क्रियान्वयन

यह अध्याय सरयू नहर परियोजना के अपेक्षित लाभ प्राप्त करने हेतु वित्तीय प्रबंधन तथा कार्यों के निष्पादन से संबंधित है।

लेखापरीक्षा उद्देश्यः ***क्या निधियां पर्याप्त थीं, समय से उपलब्ध थीं तथा उनका उचित प्रकार से उपयोग किया गया; परियोजना का निष्पादन मितव्ययी, कुशल तथा प्रभावी रूप से किया गया; तथा प्रभावपूर्ण अनुश्रवण किया गया ?***

अध्याय का सारांश

- सरयू नहर परियोजना को 1977-2022 के मध्य परियोजना के क्रियान्वयन हेतु धन, राज्य सरकार से, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय परियोजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार से और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त हुआ। 1977-78 से 2021-22 के मध्य सभी स्रोतों से ₹ 10,346.70 करोड़ के आवंटन के सापेक्ष मार्च 2022 तक ₹ 10,003.11 करोड़ व्यय किया गया।
- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि समय पर तथा पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिसके कारण 2012-22 (2015-16 तथा 2020-21 को छोड़कर) के मध्य वार्षिक कार्ययोजनाओं के अनुरूप धन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पायी तथा यह 17 से 85 प्रतिशत तक सीमित रही।
- समय पर भूमि क्रय नहीं किये जाने के कारण परियोजना का कार्य विलंबित हुआ तथा समय व्यतीत होने के साथ भूमि की लागत में भी वृद्धि हुयी जिससे राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा।
- राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु ठेकेदारों से अनुबंध, नहरों के डिजाइन एवं ड्राइंग स्वीकृत किये बिना ही कर लिये गये। इसके बाद अनुबंधों के कार्य परिधि में व्यापक परिवर्तन हुए तथा कार्य विलम्ब से पूर्ण हुए।
- राप्ती मुख्य नहर एवं उसकी वितरण प्रणाली के कार्यों के प्राक्कलन मानक से अधिक दरों पर तैयार किये गये, जिसके परिणामस्वरूप प्राक्कलित लागत में वृद्धि हुयी।

> ➢ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं हुयी क्योंकि उनकी गुणवत्ता जांच निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुरूप नहीं करायी गयी।
>
> ➢ आंतरिक नियंत्रण शिथिल था।

3.1 परिचय

नहर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से आवश्यक है धन की पर्याप्त तथा समय पर उपलब्धता, भूमि का समय से अधिग्रहण एवं क्रय, कार्यों के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना तथा कार्यों के निष्पादन हेतु अनुबंध गठित करना।

वित्तीय प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण तथा कार्यों के निष्पादन से सम्बंधित लेखापरीक्षा बिन्दुओं पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है:

3.2 वित्तीय प्रबंधन

3.2.1 आबंटन एवं व्यय

सरयू नहर परियोजना को 1977-78[1] से 2021-22 के मध्य ₹ 10,346.70 करोड़ प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष मार्च 2022 तक ₹ 10,003.11 करोड़ व्यय किये गए। इसमें, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत ली गयी अवधि 2017-22 के मध्य ₹ 4,817.68 करोड़ का व्यय सम्मिलित है। वर्षवार विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है:

तालिका 3.1: 1977-2022 के मध्य आवंटन एवं उसके सापेक्ष व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	बचत/समर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
1977-1978 से 2016-17	5,285.93	5,185.43	100.50
2017-2018	994.83	767.81	227.02
2018-2019	1,060.00	1,060.00	0.00
2019-2020	1,510.25	1,494.18	16.07
2020-2021	1,055.25	1,055.25	0.00
2021-2022	440.44	440.44	0.00
योग	**10,346.70**	**10,003.11**	**343.59**

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

[1] इसमें तत्कालीन बांया तट घाघरा नहर परियोजना (जिसे मार्च 1982 में सरयू नहर परियोजना का नाम दिया गया) के लिए 1977-82 के मध्य प्राप्त धनराशि भी सम्मिलित है|

अनुमानित परियोजना लागत ₹ 9,802.68 करोड़ के सापेक्ष सरयू नहर परियोजना पर ₹ 10,346.70 करोड़ के आवंटन में, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (1996-2012 के मध्य ₹ 828.62 करोड़) एवं राष्ट्रीय परियोजना/प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (2012-22 के मध्य ₹ 2,243.18 करोड़) के अंतर्गत केंद्रीय ऋण सहायता/अनुदान तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक[2] (1996 से 2005 के मध्य ₹ 238.39 करोड़) से ऋण सम्मिलित था। विभिन्न स्रोतों से वित्तपोषण का वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने अवशेष भुगतानों को पूरा करने हेतु, राज्य सरकार की व्यय वित्त समिति को परियोजना लागत में एक और संशोधन कर इसे 10,198.04 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया। अप्रैल 2024 में, व्यय वित्त समिति ने निर्देश दिया कि प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। यद्यपि, अक्टूबर 2024 तक मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्रक्रियाधीन था। इस प्रकार, परियोजना का वित्तीय समापन किया जाना अभी शेष था।

3.2.2 धन का शिथिल आवंटन

परियोजना के अवशेष कार्य को मार्च 2016 तक पूरा करने हेतु सरयू नहर परियोजना को 2012-13 में राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। वर्ष 2012-13 से 2021-22 के मध्य मुख्य अभियंताओं द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना में आंकलित धन की वार्षिक आवश्यकता तथा राज्य सरकार द्वारा परियोजना को आवंटित धनराशि का विवरण **तालिका 3.2** तथा **लेखाचित्र 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष धन का आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार धन की आवश्यकता	स्तंभ 2 के सापेक्ष आवंटन (स्तंभ 2 का प्रतिशत)	कुल व्यय (स्तंभ 3 का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
2012-13	300.00	224.47 (75)	224.47 (100)
2013-14	750.00	499.70 (67)	499.70 (100)
2014-15	1,200.00	623.00 (52)	623.00 (100)
2015-16	654.00	834.00 (128)	834.00 (100)

[2] राज्य सरकार ने नाबार्ड से प्राप्त ऋण के नियम एवं शर्तें उपलब्ध नहीं कराये (नवंबर 2024)।

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार धन की आवश्यकता	स्तंभ 2 के सापेक्ष आवंटन (स्तंभ 2 का प्रतिशत)	कुल व्यय (स्तंभ 3 का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-17	1,787.63	300.00 (17)	300.00 (100)
2017-18	1,500.00	994.83 (66)	767.81 (77)
2018-19	1,251.87	1,060.00 (85)	1,060.00 (100)
2019-20	2,789.55	1,510.25 (54)	1,494.18 (99)
2020-21	लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया	1,055.25	1,055.25 (100)
2021-22	555.00	440.44 (79)	440.44 (100)
योग		**7,541.94**	**7,298.85**

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपभोग प्रमाणपत्र)

लेखाचित्र 3.1: वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष धन का आवंटन

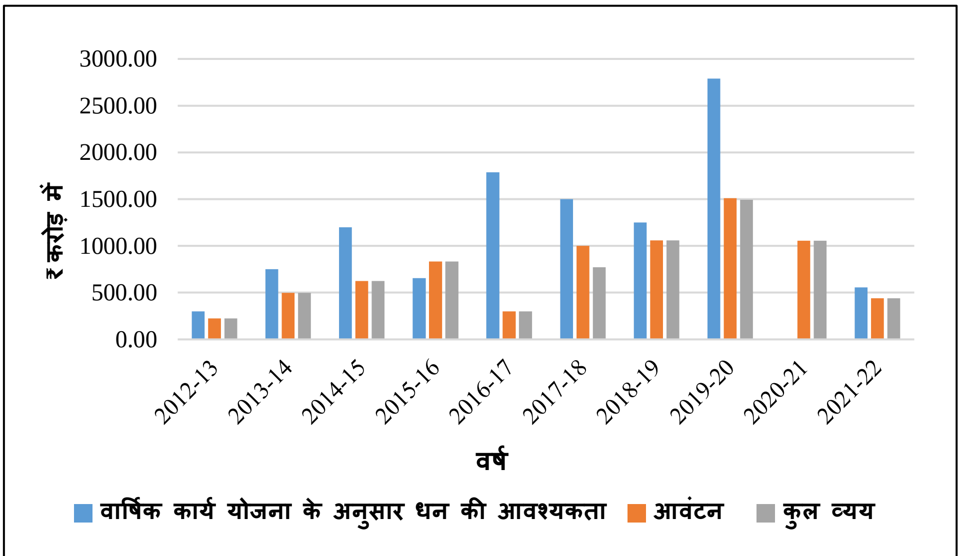

वार्षिक कार्ययोजना में निर्धारित आवश्यकता के अनुसार परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी।

तालिका 3.2 में यह देखा जा सकता है कि 2012-22 के मध्य मुख्य अभियन्ताओं द्वारा तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वांछित धन के सापेक्ष उपलब्धता 17 से 85 प्रतिशत तक सीमित थी (2015-16 तथा 2020-21 के अतिरिक्त)।

अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित (दिसंबर 2012) समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत सरकार को मार्च 2016 तक, सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत 4.73 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सृजन हेतु राज्य सरकार को ₹ 2,710.38 करोड़

(कार्य की शेष लागत ₹ 3,011.53 करोड़ का 90 प्रतिशत) निर्गत करना था। पिछली किस्त के रूप में निर्गत धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर वर्षवार केन्द्रीय सहायता प्रदान की जानी थी। भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता से सम्बंधित आवंटन आदेशों में राज्य सरकार को निर्धारित लक्ष्यों तथा अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक अनुश्रवण प्रणाली स्थापित करने हेतु निर्देशित किया था।

भारत सरकार द्वारा 2012-13 से 2014-15 के बीच ₹ 659.58 करोड़ की केन्द्रीय सहायता निर्गत की गयी। तत्पश्चात, परियोजना को भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 60:40 की संशोधित वित्तीय भागीदारी अनुपात के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अवशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में अप्रैल 2015 तक आंकलित आवश्यकता ₹ 1,728.58 करोड़ के सापेक्ष परियोजना के लिए 2015-16 से 2021-22 के मध्य ₹ 1,583.60 करोड़ की केन्द्रीय सहायता निर्गत की गयी।

अनुमानित लक्ष्यों के अनुरूप वार्षिक भौतिक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुए तथा 2012-13 और 2019-20 के मध्य इनमें 14 प्रतिशत[3] से 100 प्रतिशत की कमी थी जैसाकि ***परिशिष्ट 3.2*** में दर्शाया गया है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017 के अनुसार परियोजना के लिए कम धनराशि निर्गत होने के कारण लक्ष्य के अनुरूप कार्य की प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जनवरी 2024) कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु समय-समय पर भारत सरकार से आवश्यक धनराशि की मांग की गयी। राज्य सरकार ने आगे बताया कि 2012-13 से 2014-15 के मध्य बजट प्रावधानों के अनुरूप केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुयी जिसके कारण कार्यों की प्रगति समय सीमा के अनुसार नहीं हो पायी। राज्य सरकार ने आगे कहा कि विवादों को देखते हुए भूमि अधिग्रहण में हुए विलम्ब के कारण भी कार्यों की प्रगति प्रभावित हुयी।

तथ्य यथावत रहा कि अनुमानित आवश्यकता के अनुरुप परियोजना के लिए धन का आवंटन नहीं किया गया। अग्रेतर, राष्ट्रीय परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता से सम्बंधित 2015-16 के उपभोग प्रमाणपत्र से यह ज्ञात हुआ कि समझौता ज्ञापन में उल्लिलखित 4.73 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष, राज्य सरकार द्वारा मार्च 2016 तक मात्र 1.27 लाख

[3] दस प्रतिशत तक की कमी को नहीं लिया गया है।

हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का सृजन किया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता, सरयू नहर परियोजना के अभिलेखों में केंद्रीय सहायता कम निर्गत होने का कोई कारण उपलब्ध नहीं था। विभाग के उत्तर में, कम धनराशि प्राप्त होने के कारण के रूप में, लक्ष्यों का निर्धारण अथवा उन्हें प्राप्त न कर पाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

3.2.2.1 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से संबंधित गैप को पूर्ण करने हेतु धनराशि निर्गत करने में विलम्ब

इस परियोजना को वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था जिससे कि 2003-04 तक 9.31 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जा सके। यद्यपि, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण) का कार्य मार्च 2010 तक भी पूर्ण नहीं किया जा सका। मार्च 2010 में संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत ₹ 1,575.33 करोड़ की लागत के कार्य उस समय तक पूर्ण किये जाने शेष थे। इन शेष कार्यों में, लगभग 540.03 किलोमीटर लम्बाई में, गैप में नहरों का निर्माण किया जाना सम्मिलित था जो 9.31 लाख हेक्टेयर सृजित सिंचन क्षमता में से लगभग 3.10 लाख हेक्टेयर (अवरुद्ध क्षमता) के उपयोग को प्रभावित कर रहा था।

वर्ष 2012-13 में, जब परियोजना के शेष कार्यों को राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत ले लिया गया था तो, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के शेष कार्यों (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का भाग) को राष्ट्रीय परियोजना के कार्यों की परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः, राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक था कि वो इन चरण के शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु धन उपलब्ध कराये। यद्यपि, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017 के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्मित नहरों में गैप को पूर्ण करने के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं करायी। तथापि, राज्य सरकार ने प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण की नहरों में गैप को पूरा करने के लिए 2016-22 के मध्य ₹ 1,279.16 करोड़ प्रदान किये। इस प्रकार, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों को पूरा करने में विलम्ब हुआ क्योंकि राज्य सरकार ने 2012-16 के मध्य नहरों में गैप को पूर्ण करने हेतु धन उपलब्ध नहीं कराया।

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि धनराशि का आवंटन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की उस समय विद्यमान नीतियों तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया गया था। राज्य सरकार ने आगे कहा कि विवादों को देखते हुए भूमि अधिग्रहण में हुए विलम्ब के कारण भी कार्यों की प्रगति प्रभावित हुयी।

तथ्य यथावत रहा कि प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के गैप के कार्यों को पूरा करने के लिए 2012-16 के मध्य परियोजना को आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

3.3 लम्बित देनदारियां

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 14 खण्डों में ₹ 108.46 करोड़ की वित्तीय देनदारियां सृजित की गयी थीं तथा धन के अभाव में मार्च 2022 तक असमायोजित थीं ***(परिशिष्ट 3.3)***। देनदारियों के सृजन में मुख्य रूप से ठेकेदारों द्वारा सम्पादित तथा मापी किये गये कार्य हेतु भुगतान सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नमूना जांच किये गये 14 खण्डों में भूस्वामियों के प्रति ₹ 29.51 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.4)*** की देयता थी, जिसमें भूमि का उपयोग नहरों के निर्माण के लिए किया गया परन्तु भूमि का पंजीकरण राज्य सरकार के पक्ष में किया जाना अभी शेष था।

राज्य सरकार द्वारा नमूना जांच किये गये 14 खण्डों में ₹ 108.46 करोड़ की देनदारियों के सृजन का कारण नहीं बताया गया। नमूना जांच किये गये 14 खण्डों में भूस्वामियों को ₹ 29.51 करोड़ के लंबित भुगतान के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2023) कि भूमि पर नहरों का निर्माण किसानों की सहमति से किया गया था परन्तु किसानों में आपसी विवाद, उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रकरण, भूस्वामियों की अनुपलब्धता, आदि के कारण भूमि का पंजीकरण नहीं हो सका।

कार्यों का निष्पादन

3.4 भूमि अधिग्रहण

3.4.1 आवश्यकता के अनुरूप भूमि क्रय

परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017 के अनुसार परियोजना हेतु 31,290.35 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष 2016 तक 23,128.40 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित/क्रय की गयी। तत्पश्चात, विभाग द्वारा परियोजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा का पुनर्निर्धारण किया गया (2017) तथा 23,128.40 हेक्टेयर क्रय हो चुकी भूमि के अतिरिक्त मात्र 1,868.10 हेक्टेयर भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य अभियंता, सरयू नहर परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, 2017 में भूमि की पुनर्निर्धारित आवश्यकता के सापेक्ष मार्च 2022 तक मात्र 1487.36 हेक्टेयर भूमि क्रय की गयी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राप्ती मुख्य नहर, कैम्पियरगंज शाखा नहर एवं उनकी वितरण प्रणालियों के अंतर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित, 0.24 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र वाली 18 नहरों का निर्माण मार्च 2022 तक नहीं किया गया था, जैसाकि प्रस्तर 4.3.2 में वर्णन किया गया है।

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि भूमि अधिग्रहण निरंतर किया गया, तथा परियोजना लोकार्पित की गयी। राज्य सरकार ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नहरें दाब सिंचाई के अंतर्गत आच्छादित हैं तथा भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से दाब सिंचाई प्रणाली के निर्माण हेतु परियोजना बनाने का कार्य प्रगति पर था।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग 24,996.50 हेक्टेयर की पुर्ननिर्धारित आवश्यकता के अनुरूप भी भूमि क्रय नहीं कर पाया जिसके कारण मार्च 2022 तक 380.74 हेक्टेयर की कमी रही तथा नहरों का कृषि योग्य समादेश क्षेत्र, जिसे इस परियोजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाना था, उसे अब किसी अन्य परियोजना के अंतर्गत आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव है।

3.4.1.1 भूमि अधिग्रहण/क्रय की धीमी गति

भूमि की क्रय/ अधिग्रहण की गति धीमी थी, जिससे नहर निर्माण कार्य की गति प्रभावित हुयी|

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। भारत सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया, जो जनवरी 2014 से लागू हुआ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में, राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की जाती है तथा संबंधित जनपद का जिलाधिकारी भूमि क्रय/अधिग्रहण के बदले में भूस्वामियों को प्रतिकर प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा और अधिनिर्णय की घोषणा) नियमावली, 1997 (करार नियमावली) भी सितम्बर 1997 से लागू हुयी। करार नियमावली, 1997 के अनुसार जिस निकाय या विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, वह कार्यवाही के किसी भी चरण में, भूस्वामियों के साथ अधिग्रहण के अधीन भूमि के लिये नियम, शर्तें एवं दरें तय कर सकता है। तत्पश्चात, जून 2011 में, राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण हेतु एक नयी नीति लागू की, जिसमें भूमि के विक्रय हेतु प्रतिकर की निश्चित राशि के साथ-साथ भूस्वामियों के पुनर्वास हेतु एकमुश्त धनराशि दिये जाने का प्रावधान किया गया।

लेखापरीक्षा में भूमि अधिग्रहण/क्रय की धीमी गति पायी गयी, जिससे नहर निर्माण कार्यों की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लेखापरीक्षा द्वारा, 2012-13 से 2021-22[4] के मध्य भूमि क्रय से संबंधित अभिलेखों का विश्लेषण किया गया एवं पाया गया कि परियोजना हेतु कुल 24,615.76 हेक्टेयर क्रय भूमि में से 2,899.24 हेक्टेयर भूमि 2012-22 के मध्य क्रय की गयी थी। विभाग द्वारा 2012-22 के मध्य भूमि क्रय के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को, 2018-19 और 2019-20 को छोड़कर, किसी भी वर्ष प्राप्त नहीं किया गया था। 2012-13 से 2021-22 के मध्य लक्ष्य के सापेक्ष भूमि क्रय का वर्षवार विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

[4] इस अवधि में, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के शेष कार्यों तथा तृतीय चरण के अंतर्गत नहरों के निर्माण हेतु भूमि क्रय की गयी|

तालिका 3.3: भूमि क्रय का वर्षवार विवरण

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वर्ष	वर्ष के लिए लक्ष्य	वर्ष में अधिग्रहित/ क्रय की गयी भूमि	लक्ष्य के सापेक्ष कमी (-) / अधिकता (+)	वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)	(5)
2012-13	500.30	110.03	(-) 390.27	(-) 78
2013-14	1,800.00	540.25	(-) 1,259.75	(-) 70
2014-15	1,550.00	412.45	(-) 1,137.55	(-) 73
2015-16	500.00	229.76	(-) 270.24	(-) 54
2016-17	696.44	116.39	(-) 580.05	(-) 83
2017-18	550.00	267.93	(-) 282.07	(-) 51
2018-19	489.70	584.62	(+) 94.92	(+) 19
2019-20	401.69	507.86	(+) 106.17	(+) 26
2020-21	132.02	103.44	(-) 28.58	(-) 22
2021-22	41.34	23.51	(-) 17.83	(-) 43
योग		**2,896.24**		

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू नहर परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

तालिका 3.3 से देखा जा सकता है कि 2012-22 (2018-20 को छोड़कर) के मध्य वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार भूमि क्रय नहीं की जा सकी। भूमि क्रय की धीमी गति के कारण न केवल परियोजना की पूर्णता बाधित हुयी, अपितु समय के साथ भूमि की दरों में कई गुना वृद्धि होने के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुयी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि अवसंरचनाओं को तीव्र गति से विकसित करने हेतु भूमि के निर्विघ्न अधिग्रहण/क्रय के लिए, नियमों एवं प्रावधानों को समय-समय पर बदलना पड़ा। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि भूमि के बंटवारे को लेकर किसानों के बीच आपसी विवाद के कारण, परस्पर बातचीत से भूमि क्रय करने में भी विलम्ब होता है। सरकार ने अग्रेतर कहा कि विभाग द्वारा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के माध्यम से तथा किसानों के साथ परस्पर बातचीत के माध्यम से भूमि क्रय करने हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया सफल रही।

तथ्य यथावत रहा कि सरयू नहर परियोजना को इसके कार्य परिधि में संशोधन के पश्चात् वर्ष 1982 में प्रारम्भ किया गया था, परन्तु विभाग द्वारा 2022 तक परियोजना के लिए भूमि क्रय की जाती रही। इस अवधि में, भूमि की सर्किल दर में निरंतर वृद्धि होती रही, जिसके परिणामस्वरूप

भूमि अधिग्रहण पर व्यय भी कई गुना बढ़ गया। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने 1999-2022 के मध्य भूमि क्रय से सम्बंधित अभिलेखों का विश्लेषण किया तथा पाया कि भूमि की लागत में तीव्र वृद्धि हुयी, जैसाकि आगामी प्रस्तर में उल्लेख किया गया है।

3.4.1.2 भूमि क्रय पर परिहार्य वित्तीय भार

वर्ष 1999 से 2006[5] के मध्य भूमि की औसत प्रति हेक्टेयर लागत ₹ चार लाख थी जो 2017 से 2022 के मध्य बढ़कर ₹ 1.73 करोड़ प्रति हेक्टेयर हो गयी। 1999-2022 के मध्य भूमि की लागत में वर्षवार वृद्धि का विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में तथा **लेखाचित्र 3.2** में इसके सारांश का चित्रण किया गया है।

लेखाचित्र 3.2: भूमि की औसत लागत में वृद्धि

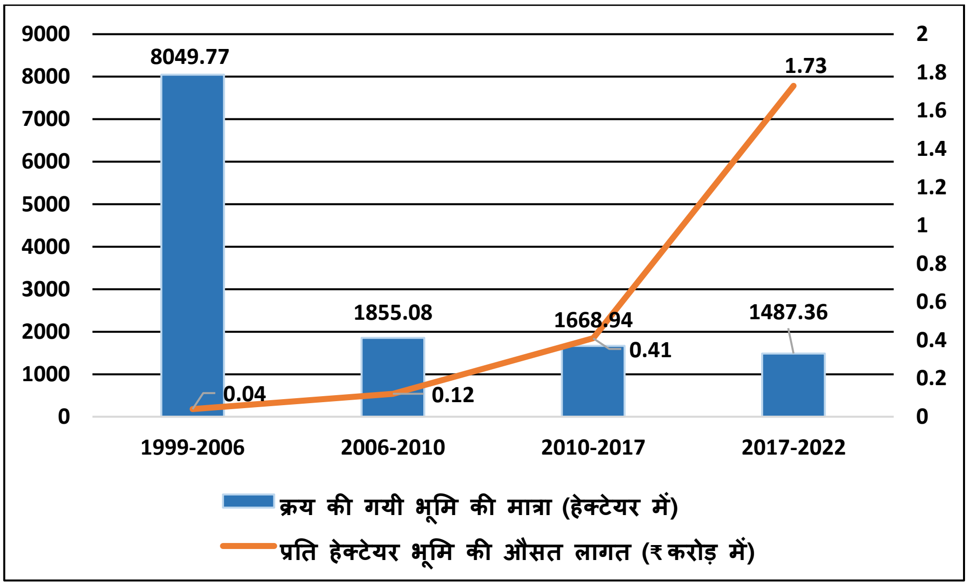

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के मध्य भूमि की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी (₹ 1.79 करोड़ प्रति हेक्टेयर से बढ़कर ₹ 2.30 करोड़ प्रति हेक्टेयर), जिसका मुख्य कारण भूस्वामियों को सर्किल दर से चार गुना अधिक भूमि प्रतिकर का भुगतान किया जाना था, जैसाकि 2015-16 से प्रख्यापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में अनिवार्य किया गया था।

---

[5] वर्ष 1999-2022 के मध्य परियोजना की लागत वर्ष 1999, 2006, 2010 एवं 2017 में संशोधित की गयी, अतः भूमि की लागत की जांच, 1999-2006, 2006-10, 2010-17 एवं 2017-22 के मध्य क्रय की गयी भूमि के सम्बन्ध में की गयी।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि सर्किल दरों में लगातार वृद्धि के कारण भूमि क्रय पर अधिक व्यय हुआ।

तथ्य यथावत रहा कि परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण भूमि के क्रय पर परिहार्य वित्तीय भार पड़ा।

3.4.1.3 भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण न होना

भूस्वामियों से भूमि अधिग्रहण/क्रय के बाद भूलेखों में विभाग के नाम पर भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित कराना आवश्यक था।

परियोजना के लिए क्रय की गयी भूमि के संबंध में स्वामित्व हस्तांतरण की समग्र स्थिति लेखाभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 से 2021-22 के मध्य चयनित 17 खण्डों में से नौ[6] खण्डों द्वारा 1,228.36 हेक्टेयर भूमि क्रय की गयी थी। नमूना जांच किये गये नौ खण्डों में, मार्च 2022 तक मात्र 826.20 हेक्टेयर (67 प्रतिशत) भूमि का स्वामित्व ही विभाग के पक्ष में हस्तांतरित हुआ था ***(परिशिष्ट 3.6)***।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि सरयू नहर परियोजना के लिए क्रय की गयी अधिकांश भूमि का नामांतरण विभाग के पक्ष में हो चुका है। राज्य सरकार ने आगे कहा कि विभाग द्वारा क्रय की गयी शेष भूमि के नामान्तरण के लिये संबंधित खण्डों द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया तथा चकबंदी के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिये जिला चकबंदी अधिकारियों के माध्यम से कार्यवाही की गयी। राज्य सरकार ने आगे बताया कि हस्तांतरण की प्रक्रिया का अनुश्रवण राज्य सरकार के स्तर पर किया जाता है।

तथ्य यथावत रहा कि नमूना जांच किये गये नौ खण्डों में 2012-22 के मध्य विभाग द्वारा क्रय की गयी लगभग 33 प्रतिशत भूमि का नामांतरण, मार्च 2022 तक राज्य सरकार के पक्ष में नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप, भूस्वामियों के द्वारा भूमि के स्वामित्व के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

[6] शेष आठ खण्डों ने भूमि के क्रय तथा नामांतरण की सूचना प्रस्तुत नहीं की।

3.5 अनुबंध प्रबंधन

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि (2017-22) के मध्य आठ अधीक्षण अभियंताओं तथा 17 चयनित खंडो द्वारा क्रमशः 293 अनुबंधों (अनुबंधित लागत: ₹ 2,946.99 करोड़) तथा 1,557 अनुबंधों (₹ 142.83 करोड़) के अंतर्गत कार्य निष्पादित[7] ***(परिशिष्ट 3.7)*** किये गये थे। इसमें राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के किलोमीटर 0.000 से 125.682 के निर्माण हेतु, मार्च-अप्रैल 2013 के मध्य गठित छह प्रमुख अनुबंध सम्मिलित थे ***(परिशिष्ट 3.8)*****।**

सभी सक्रिय अनुबंधों के अभिलेखों की सामान्य जांच के अतिरिक्त, अधीक्षण अभियन्ता स्तर के 15 प्रतिशत अनुबंध तथा अधिशासी अभियन्ता स्तर के 10 प्रतिशत अनुबंधों के अभिलेखों को विस्तृत जांच हेतु चयनित[8] किया गया। तदानुसार, अधीक्षण अभियन्ता स्तर के तथा अधिशासी अभियन्ता स्तर के कमश: 77 अनुबंधों (अनुबंधित लागत: ₹ 2,366.06 करोड़) तथा 184 अनुबंधों (अनुबंधित लागत: ₹ 33.40 करोड़) को ***(परिशिष्ट 3.9)*** निष्पादन लेखा परीक्षा की विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

3.5.1 तकनीकी स्वीकृतियों में विलम्ब

राज्य सरकार के आदेश (अगस्त 2011) के अनुसार अनुबंधों के क्रियान्वयन के लिए निविदायें, वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निर्गत की जानी चाहिए।

यद्यपि, लेखा परीक्षा में पाया गया कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निष्पादित 48 नमूना जांच किये गये अनुबंधों[9] में से 25 अनुबंधों (लागत: ₹ 804.92 करोड़) के संबंध में निविदा आमंत्रण हेतु सूचना, मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने से पूर्व निर्गत की गयी थी। अग्रेतर यह देखा गया कि इन कार्यों के लिए तकनीकी

---

7 इसमें वे अनुबंध भी सम्मिलित हैं जो 2017-18 से पूर्व गठित किये गये थे परन्तु इन अनुबंधों पर 2017-22 के मध्य भी कार्य कराये गये।

8 चयनित अनुबंधों में वे अनुबंध सम्मिलित हैं जो 2017-22 के मध्य गठित हुए तथा ऐसे अनुबंध जो 2017 से पूर्व गठित हुए परन्तु इन अनुबंधों पर 2017-22 के मध्य भी कार्य चलते रहे।

9 अधीक्षण अभियन्ता के 77 चयनित अनुबंधों में से मात्र 48 अनुबंधों की तकनीकी स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण का विवरण लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया गया।

स्वीकृति, इनके निविदा आमंत्रण की तिथि से 395 दिन तक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रदान की गयी थी ***(परिशिष्ट 3.10)***।

इसी प्रकार, अधिशासी अभियन्ता द्वारा निष्पादित अनुबंधों में से 76 नमूना जांच किये गये अनुबंधों[10] में से 11 अनुबंधों (लागत: ₹ 1.72 करोड़) में निविदा आमंत्रण, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व निर्गत किये गये। इन 11 कार्यों के विस्तृत प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति, निविदा आमंत्रण की तिथि से 324 दिन तक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रदान की गयी थी ***(परिशिष्ट 3.11)***।

संबंधित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदायें आमंत्रित करने की सूचना निर्गत की गयी थी।

अग्रेतर, उपरोक्त वर्णित 36 निविदा आमंत्रण सूचनाओं में 15 ऐसी निविदा आमंत्रण सूचनायें सम्मिलित हैं जिनके संबंध में वित्तीय निविदा भी सक्षम प्राधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना खोली गयी थीं ***(परिशिष्ट 3.12)***।

निविदाओं में सम्मिलित बिल ऑफ क्वांटिटी, तकनीकी स्वीकृति पर आधारित होनी चाहिये। इस प्रकार, कार्यों के निष्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति से पहले निविदाओं का आमंत्रण निर्गत करना निविदा में पारदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि दिसंबर 2017 में राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना के लिये ₹ 9,802.68 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। राज्य सरकार ने आगे कहा कि सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत सभी कार्यों के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति वित्तीय हस्त पुस्तिका, खंड-6 के प्रस्तर 318 के अनुसार परियोजना के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्राप्त हो गयी थी। वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रस्तर में कहा गया है कि "सम्पादित किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक कार्यों के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु एक उचित विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए"। यह स्वीकृति प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति कहलाती है और इसे कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्राप्त किया जाना चहिये।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने आदेश (अगस्त 2011) में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को स्पष्ट रूप से

---

[10] अधिशासी अभियन्ता के 184 चयनित अनुबंधों में से, मात्र 76 अनुबंधों की तकनीकी स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया।

निर्देशित किया था कि सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की जाये। राज्य सरकार के इस निर्देश में पहले से ही वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रस्तर 318 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा गया था। अग्रेतर, विस्तृत प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना निविदा के लिए बिल ऑफ क्वांटिटी का उचित निर्धारण नहीं किया जा सकता। तकनीकी स्वीकृति यह आश्वासन देती है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ हैं, अनुमान उचित हैं तथा इनकी गणना पर्याप्त आकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार, ठेकेदार के माध्यम से संपादित कराये जाने वाले कार्यों में तकनीकी स्वीकृति, कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व तथा निविदा अभिलेख निर्गत किये जाने से पहले प्राप्त की जानी चाहिये थी।

3.5.2 त्रुटिपूर्ण दर विश्लेषण के कारण अधिक आंकलन

अनुचित दरों को अपनाये जाने के कारण मिट्टी के कार्य तथा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों की अनुमानित लागत में वृद्धि हुयी।

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खंड-6 के प्रस्तर 523 के अनुसार प्राक्कलनों में ली गयी दरें सामान्यतया दर अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरयू नहर परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में विभिन्न कार्यमदों की दर विश्लेषण सम्मिलित थी। अत:, सरयू नहर परियोजना से सम्बंधित मुख्य अभियंताओं के लिए यह अत्यावश्यक था कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित मानकों का अनुसरण करते हुए तथा दर अनुसूची में दी गयी दरों को अपनाते हुए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए दर विश्लेषणों को तैयार किया जाये।

3.5.2.1 नहरों में मिट्टी के कार्य

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की दर अनुसूची में मिट्टी के कार्यों से सम्बंधित विभिन्न घटकों जैसे मानवीय साधनों या ट्रैक्टर द्वारा नहर का निर्माण, मिट्टी को उठाना एवं फेंकना, संघनन, दरेसी, आदि की प्रति घनमीटर दरें निर्धारित की गयी हैं। दर अनुसूची में हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के लिए किराये की दरें भी दी गयी हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के लिए स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन (मार्च 2013) में, मिट्टी के कार्यों की दर विश्लेषण में मानवीय साधनों अथवा ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी की खुदायी की दरों को लिया गया था। संबंधित मंडलों के लिए लागू दर अनुसूची में हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के लिए अनुमोदित दरें भी दी गयी थीं। लेखापरीक्षा

द्वारा, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर (पोकलेन) के माध्यम से मिट्टी की खुदायी की दरों को अपनाते हुए तथा अनुमोदित विस्तृत प्राक्लानों की दर विश्लेषण में मिट्टी के कार्य में सम्मिलित अन्य घटकों जैसे मिट्टी उठाना, उसको फेकना, दरेसी, इत्यादि के लिए दी गयी दरों के अनुरूप ही दरों का प्रावधान करते हुए मिटटी के कार्यों की लागत का निर्धारण किया गया। मानवीय साधनों के द्वारा तथा हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के माध्यम से मिट्टी के कार्य की प्रति घन मीटर लागत की तुलना करने पर पाया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा किये गये विश्लेषण में मिट्टी के कार्य की प्रति घनमीटर लागत ₹ 6.65 से ₹ 29.17 प्रति घनमीटर तक कम थी। परिणामस्वरूप, राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण से सम्बंधित छः अनुबंधों में, नहरों में मिट्टी के कार्य की लागत ₹ 18.95 करोड़ तक अधिक आंकलित की गयी थी ***(परिशिष्ट 3.13)***।

लक्ष्मीनगर, बलरामपुर में राप्ती मुख्य नहर के निर्माण में हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के उपयोग को छायाचित्र-3.1 में देखा जा सकता है जिसे राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ने उपलब्ध कराया था।

छायाचित्र-3.1: हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर (पोकलेन मशीन) का उपयोग कर लक्ष्मीनगर, बलरामपुर में राप्ती मुख्य नहर की खुदायी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (नवंबर 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा मिट्टी के कार्यों की दर का आंकलन अन्य तकनीकी पहलुओं को सम्मिलित किये बिना किया गया। राज्य सरकार द्वारा आगे कहा गया कि प्राक्कलन में मिट्टी के कार्य की दर विश्लेषण में मिट्टी की खुदायी, नहर के भाग के निर्माण हेतु खुदायी में निकली मिट्टी को नहर के दोनों किनारों पर रखने के लिए उठाने एवं फेंकने की गणना, डौला निर्माण की दरें, इत्यादि सम्मिलित था। राज्य सरकार ने उत्तर में जोड़ा कि केवल पोकलेन मशीन से मिट्टी की खुदायी के आधार पर मिट्टी के कार्य की दर की गणना करना उचित नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित दर विश्लेषण में, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर (पोकलेन मशीन) द्वारा मिट्टी की खुदायी तथा विभाग द्वारा दर विश्लेषण में किये गये प्रावधानों के अनुरूप ही अन्य सभी घटक जैसे मिटटी उठाने, फेंकने, संघनन, दरेसी, इत्यादि सम्मिलित थे। अनुमोदित विस्तृत प्राक्कलन में मिट्टी के कार्य के लिए दी गयी दर विश्लेषण में डौला के निर्माण की दरें सम्मिलित नहीं थीं। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा 2016-17 में सरयू योजक नहर तथा सरयू मुख्य नहर की पुनर्स्थापना कार्य के लिए अर्थ एक्सकेवेटर (पोकलेन) का उपयोग कर दर विश्लेषण की गयी थी। अत: राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के कार्यों की दर विश्लेषण मानवीय साधनों द्वारा तथा अलग ढंग से करना तर्कसंगत नहीं था।

3.5.2.2 नहरों में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्य

प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्य की समेकित लागत में सामग्री (पत्थर की गिट्टी, मोटी रेत एवं सीमेंट) की लागत तथा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट की ढलाई की लागत सम्मिलित थी। सामग्री क्रय के लिए की गयी दर विश्लेषण में सामग्री की लागत तथा खदान से कार्यस्थल तक परिवहन शुल्क सम्मिलित था।

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण से सम्बंधित छः कार्यों में से दो कार्यों[11] के विस्तृत प्राक्कलन में, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों की दर विश्लेषण में एक से तीन किलोमीटर तक सामग्री की पुन:ढुलाई/ढुलाई के मद में ₹151.20 प्रति घनमीटर का प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि कार्यस्थल तक सामग्री ले जाने के लिए परिवहन शुल्क तथा सामग्री की पुन:ढुलाई का प्रावधान प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों हेतु सामग्री क्रय करने के लिए की गयी दर विश्लेषण में पहले से ही किया गया था। इस प्रकार, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट की ढुलाई के कार्यों हेतु प्राक्कलनों में दुबारा पुन:ढुलाई शुल्क को सम्मिलित करना अनुचित था तथा इसके कारण कार्यों की अनुमानित लागत में ₹ 4.71 करोड़ की वृद्धि हुई, जैसाकि **तालिका 3.4** में बताया गया है।

[11] किलोमीटर 80.000 से 114.000 तथा 114.000 से 125.682 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण |

तालिका 3.4: प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों में पुन:ढुलाई शुल्क

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण	**मार्च 2022 तक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्य की निष्पादित मात्रा (घनमीटर)**	**प्राक्कलन में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों पर पर लिया गया पुन:ढुलाई शुल्क (प्रति घनमीटर)**	**पुन:ढुलाई की राशि (स्तम्भ 2 x 3) (₹ लाख में)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
किलोमीटर 80.000 से 114.00	1,92,165.88	151.20	290.55
किलोमीटर 114.000 से 125.682	1,19,263.80	151.20	180.33
कुल योग	**3,11,429.68**		**470.88 अर्थात ₹ 4.71 करोड़**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

उल्लेखनीय यह है कि राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के अन्य चार कार्यों में, सामग्रियों के लिए पुन:ढुलाई शुल्क केवल एक बार कार्यस्थलों पर सामग्री लाने के समय प्रदान किया गया था।

उत्तर में, राज्य सरकार द्वारा बताया गया (नवंबर 2023) कि कार्यस्थलों पर निर्माण सामग्री की ढुलाई/परिवहन में बाधा के कारण पुन:ढुलाई शुल्क प्राक्कलन में सम्मिलित किया गया था क्योंकि कार्यस्थल दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में स्थित थे तथा ज्यादातर कच्ची सड़कों के माध्यम से पहुंचने योग्य थे।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यस्थल तक सामग्री की ढुलाई तथा पुन:ढुलाई, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की लागत में पहले से ही सम्मिलित थी।

3.5.3 नहरों के डिजाइन एवं ड्राइंग का अनुमोदन

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खंड-6 के प्रस्तर 356 के अनुसार किसी कार्य का अनुबंध करने से पहले, एक अनुबंध प्रलेख तैयार किया जाना चाहिये जिसमें प्रस्तावित कार्य के सामान्य मापों को दर्शाने वाली समस्त ड्राइंग शामिल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के छः कार्यों के अनुबंध प्रलेख में इस बात का उल्लेख किया गया था कि निर्माण हेतु प्रस्तावित संरचनाओं की ड्राइंग को अनुबंध का भाग बनाया जाये, अर्थात, अनुबंध करते समय ठेकेदार को संरचनाओं की ड्राइंग उपलब्ध कराया जाना था।

सिंचाई नियमावली के अनुसार, नहरों के लम्बछिन्नक मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। मई 1990 में, प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने तीन क्यूमेक तक निस्सरण क्षमता वाली नहरों के लम्बछिन्नक की स्वीकृति के लिए मुख्य अभियंता की शक्तियां अधीक्षण अभियंता को सौंप दी। पक्की संरचनाओं की ड्राइंग के अनुमोदन के संबंध में भी, प्रमुख अभियंता ने (मई 1990) पक्की निर्माण संरचनाओं की ड्राइंग के अनुमोदन के लिए मुख्य अभियंता की शक्तियां अधीक्षण अभियंता को (15 क्यूमेक नहर निस्सरण क्षमता तक) तथा अधिशासी अभियंता को (1.50 क्यूमेक निस्सरण क्षमता तक) सौंप दी।

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि सभी छः कार्यों में, सक्षम अधिकारियों द्वारा नहरों के लम्बछिन्नक और पक्की संरचनाओं की ड्राइंग के अनुमोदन के बिना ही अनुबंध गठित किये गये, जैसाकि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

3.5.3.1 नहरों के डिजाइन अनुमोदन के बिना अनुबंध का गठन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के संबंध में निष्पादित छः अनुबंधों के अंतर्गत 13 राजवाहों और 38 अल्पिकाओं का निर्माण किया जाना सम्मिलित था। मुख्य अभियंता, सरयू नहर परियोजना द्वारा 13 राजवाहों और 38 अल्पिकाओं के लम्बछिन्नक को अंतिम रूप दिये बिना, मार्च 2013 में छः विस्तृत प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। इन कार्यों के लिए अनुबंध मार्च और अप्रैल 2013 के मध्य गठित किये गये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 51 नहरों में से, मात्र एक नहर[12] का लम्बछिन्नक अनुबंध किये जाने से पूर्व अनुमोदित किया गया था। विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

[12] बहादुरपुर राजवाहा नहर का लम्बछिन्नक अनुबंध गठन की तिथि से पूर्व अनुमोदित हुआ।

तालिका 3.5: लम्बछिन्नक की स्वीकृति में विलम्ब

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण	नहर की श्रेणी	निर्मित नहरों की कुल संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि	नहरों की संख्या, जिनका लम्बछिन्नक अनुबंध गठन की तिथि से पूर्व अनुमोदित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
किलोमीटर 00.000 से 35.000	राजवाहा	01	02.03.2013	30.03.2013	01
	अल्पिका	14			00
किलोमीटर 35.000 से 50.000	राजवाहा	02	02.03.2013	15.04.2013	00
	अल्पिका	08			00
किलोमीटर 50.000 से 60.000	राजवाहा	04	04.03.2013	08.04.2013	00
	अल्पिका	02			00
किलोमीटर 60.000 से 80.000	रजवाहा	03	04.03.2013	08.04.2013	00
	अल्पिका	02			00
किलोमीटर 80.000 से 114.000	राजवाहा	01	04.03.2013	19.04.2013	00
	अल्पिका	07			00
किलोमीटर 114.000 से 125.682	राजवाहा	02	04.03.2013	12.04.2013	00
	अल्पिका	05			00
योग		**51**			**01**

(स्रोतः नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि इन नहरों के लम्बछिन्नक, अनुबंध गठन की तिथि से 06 से 79 माह (12 राजवाहा नहरें) और 03 से 73 माह (38 अल्पिका नहरें) की अवधि व्यतीत होने के पश्चात स्वीकृत हुए ***(परिशिष्ट 3.14)***।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2023) कि राप्ती मुख्य नहर के निर्माण के पश्चात ही राजवाहा एवं अल्पिका नहरों का कार्य कराया जाना उचित था। राज्य सरकार ने आगे कहा कि राप्ती मुख्य नहर का निर्माण पूर्ण होने/स्तर चिन्हित होने के बाद इन राजवाहा और अल्पिका नहरों के लम्बछिन्नक को तैयार/संशोधित कर राजवाहा और अल्पिका नहरों का कार्य कराया गया।

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 2013 में मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विस्तृत प्राक्कलन में राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली, दोनों के ही कार्य सम्मिलित थे। इस प्रकार, राजवाहा और अल्पिका नहरों के लम्बछिन्नक को तैयार किये बिना ही विस्तृत प्राक्कलनों में वितरण

प्रणाली के लिए प्रावधान किये गये थे। इसके कारण अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित होने वाले कार्यों की मात्रा में अत्यधिक विचलन हुए, जैसा कि प्रस्तर 3.5.3.2 में चर्चा की गयी है।

3.5.3.2 पक्की संरचनाओं के ड्राइंग अनुमोदन के बिना अनुबंध का गठन

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए अधीक्षण अभियंता द्वारा निष्पादित छः अनुबंधों के अंतर्गत 874 पक्की संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित था। इनमें से 859 पक्की संरचनाओं की ड्राइंग के अनुमोदन का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया ***(परिशिष्ट 3.15)***। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के अनुबंधों का गठन, इन 859 संरचनाओं की ड्राइंग का अनुमोदन हुए बिना किया गया। ऐसे प्रकरणों का सार **तालिका 3.6** में अंकित किया गया है।

तालिका 3.6: पक्की संरचनाओं की ड्राइंग के अनुमोदन का विवरण

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण	पक्के कार्यों की संख्या	अनुबंध गठन की तिथि	पक्की संरचनाओं की संख्या जिनकी ड्राइंग अनुबंध गठन की तिथि से पहले स्वीकृत हुयी	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग स्वीकृत होने में विलम्ब (माह में)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
किलोमीटर 0.000 से 35.000	166	30.03.2013	00	04 से 97
किलोमीटर 35.000 से 50.000	149	15.04.2013	00	06 से 90
किलोमीटर 50.000 से 60.000	173	08.04.2013	00	10 से 71
किलोमीटर 60.000 से 80.000	106	08.04.2013	00	10 से 94
किलोमीटर 80.000 से 114.000	141	19.04.2013	00	09 से 102
किलोमीटर 114.000 से 125.682	124	12.04.2013	00	09 से 92
कुल योग	**859**			

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

राजवाहे और अल्पिका नहरों के लम्बछिन्नक तैयार किये बिना तथा संरचनाओं की ड्राइंग को अंतिम रूप दिये बिना तैयार किये गये विस्तृत प्राक्कलन के परिणामस्वरूप कार्यमदों की मात्रा का त्रुटिपूर्ण आंकलन हुआ। इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि कार्य निष्पादन के समय न केवल कार्यों की मात्रा में व्यापक भिन्नता हुयी, अपितु कई कार्यमदें पूर्ण रुप से अनिष्पादित रहीं। इस संबंध में विवरण **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7: प्रक्क्लनो के कार्यों की मात्रा में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण	कार्य की अनुमानित लागत	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार कार्यमदों की संख्या	अनिष्पादित कार्यमदें		आंशिक रूप से निष्पादित कार्यमदें	
			कार्यों की संख्या	कार्य की लागत	कार्यों की संख्या	कार्य की लागत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
किलोमीटर 0.000 से 35.000	375.77	90	35	10.61	44	162.09
किलोमीटर 35.000 से 50.000	305.49	90	07	5.53	45	103.05
किलोमीटर 50.000 से 60.000	153.93	69	18	3.73	23	45.85
किलोमीटर 60.000 से 80.000	308.06	69	33	48.87	18	65.50
किलोमीटर 80.000 से114.000	365.41	77	33	31.70	27	119.31
किलोमीटर 114.000 से 125.682	317.48	77	35	28.96	19	197.30
कुल योग	**1,826.14**	**472**	**161**	**129.40**	**176**	**693.10**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि विस्तृत प्राक्कलन, राप्ती मुख्य नहर के अनुमोदित लम्बछिन्नक तथा विभिन्न संरचनाओं जैसे पुल, ड्रेनेज साइफन, नहर क्रॉसिंग, फॉल, शीर्ष रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, आदि की प्रतीकात्मक ड्राइंग के आधार पर तैयार किये गये थे। राज्य सरकार ने आगे कहा कि वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं होने के कारण, वितरण प्रणाली में विभिन्न संरचनाओं के निर्माण हेतु प्राक्कलन, नहरों की निस्सरण क्षमता और संरचनाओं की प्रतीकात्मक ड्राइंग के आधार पर तैयार किये गये थे।

तथ्य यथावत रहा कि कार्यों के प्राक्कलन, डिजाइन और ड्राइंग को अंतिम रूप दिये बिना तैयार किये गये थे तथा इन्हें अनुबंध गठन की तिथि से काफी समय व्यतीत होने के पश्चात अनुमोदित किया गया था। अग्रेतर, ड्राइंग को अंतिम रूप देने में हुयी देरी के कारण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब हुआ तथा यह सभी छः अनुबंधों में ठेकेदारों को समय वृद्धि प्रदान करने का एक आधार बना। इसके अतिरिक्त, बिल ऑफ क्वांटिटी में सम्मिलित कई कार्य या तो किये नहीं गये या आंशिक रूप से सम्पादित किये गये।

3.5.4 निविदा जमा करने हेतु अपर्याप्त समय

परीक्षण-जांच किये गये 39 प्रतिशत अनुबंधों में निविदा जमा करने के लिए संभावित निविदादाताओं को अपर्याप्त समय दिया गया था।

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-6 के प्रस्तर 360 (2) में यह उल्लिखित है कि निविदायें जमा करने का समय, पहले विज्ञापन की तिथि के पश्चात कम से कम एक माह होना चाहिए।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 261 नमूना जांच किये गये अनुबंधों में से 103 अनुबंधों[13] (39 प्रतिशत) में, एक माह के न्यूनतम निर्धारित समय के सापेक्ष निविदायें जमा करने हेतु मात्र पांच से 28 दिन का समय दिया गया था। इनमें ऐसे 16 अनुबंध भी सम्मिलित थे, जिनमें संभावित निविदादाताओं को निविदा जमा करने के लिए मात्र आठ से 18 दिनों का समय दिया गया था। विवरण ***परिशिष्ट 3.16*** में दिया गया है। यद्यपि, निविदा जमा करने के लिए कम समय देने और इसके लिए उच्चाधिकारियों की अनुमति का कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, संभावित निविदादाताओं को कार्य का अपना आंकलन कर, अपनी तकनीकी और वित्तीय निविदा तैयार कर प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया।

उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (नवंबर 2023) कि अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित करने का निर्णय, कार्यों को पूरा करने की तात्कालिकता के कारण लिया गया तथा अधिकांश प्रकरणों में तीन-चार निविदादाताओं ने भाग लिया। राज्य सरकार द्वारा अग्रेतर कहा गया कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की अवधि की आवश्यकता उस समय थी जब प्रचार के लिये निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया जाता था। आजकल इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों पर निविदा का प्रचार तत्काल हो जाता है।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निविदा सूचनाओं की प्रकाशन विधि की अपेक्षा, निविदा और अनुबंध के संबंध में वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना था।

[13] 103 अनुबंधों में 87 अनुबंध अधिशासी अभियंता स्तर के तथा 16 अनुबंध अधीक्षण अभियंता स्तर के सम्मिलित हैं |

3.6 अधिक एवं अनियमित व्यय

3.6.1 प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों पर अधिक व्यय

प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट के मिश्रण में पत्थर की गिट्टी, सीमेंट, रेत और जल सम्मिलित होता है। इन सामग्रियों के मिश्रण का अनुपात प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट के डिज़ाइन मिश्रण के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के कार्यों के लिए गठित अनुबंध की शर्तों में यह निर्धारित था कि डिज़ाइन मिश्रण में परिवर्तन के कारण, सीमेंट का उपयोग कम या ज्यादा होने की स्थिति में, उपयोग में भिन्नता को अनुबंध में दी गयी सीमेंट की निर्गम दर पर तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण से सम्बंधित छः कार्यों के प्राक्कलनों, जिनमें पक्की संरचनाओं के निर्माण हेतु प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट मिश्रण[14] का उपयोग किया गया था, की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों की प्रति घनमीटर लागत का आकलन, 4.30 से 11.90 बोरी सीमेंट प्रति घनमीटर उपयोग के आधार पर किया गया था। यद्यपि, कार्यों के निष्पादन के दौरान, संरचनाओं के लिए तैयार किये गये डिज़ाइन मिश्रण में सीमेंट का उपयोग 4.20 से 9.52 बोरी प्रति घनमीटर प्रावधानित था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि डिज़ाइन मिश्रण में परिवर्तन के कारण सीमेंट के उपयोग में आयी भिन्नता को, चार कार्यों में संबंधित खण्डों द्वारा समायोजित नहीं किया गया[15]। इसके कारण 3,18,987.24 घनमीटर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों का निष्पादन ₹ 14.08 करोड़ अधिक लागत पर हुआ। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 3.17*** में दिया गया है।

उत्तर में राज्य सरकार द्वारा बताया गया (नवंबर 2023 और जनवरी 2024) कि 2012-13 में, राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली हेतु गठित अनुबंधों की शर्तों के अनुरूप डिज़ाइन मिश्रण के अनुसार सीमेंट के कम उपयोग के आधार पर उपरोक्त चार अनुबंधों में ₹ 26.33 करोड़ की कटौती की गयी।

---

[14] पत्थर की गिट्टी, सीमेंट, रेत तथा जल|

[15] राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर द्वारा आंशिक रुप से भिन्नता का समायोजन किया गया|

लेखापरीक्षा द्वारा, तत्पश्चात, सम्बंधित खण्डों के अभिलेखों से वास्तविक कटौती की स्थिति का सत्यापन किया गया (जून 2024) और पाया कि ₹ 26.33 करोड़ की उक्त वसूली में से, ₹ 12.26 करोड़ की वसूली, नहर निर्माण के किलोमीटर 50.000 से 60.000 के मध्य (₹11.18 करोड़[16]) तथा किलोमीटर 60.000 से 80.000 के मध्य (₹ 1.08 करोड़), माप पुस्तिका में अंकित नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, अन्य कार्यों/ अन्य कार्य की मदों से संबंधित ₹ 1.17 करोड़ की वसूली भी ₹ 26.33 करोड़ की उक्त वसूली में सम्मिलित पायी गयी। अग्रेतर, ₹ 14.08 करोड़ की वसूली, जैसाकि ***परिशिष्ट 3.17*** में उल्लिखित है, जून 2024 तक नहीं की गयी थी, जबकि ₹ 12.90 करोड़ की वसूली माप पुस्तिका में अंकित की गयी थी परन्तु इसका समयोजन ठेकेदार को भुगतान होने वाले अंतिम देयक से किया जाना शेष था।

3.6.2 ठेकेदारों को रॉयल्टी का अधिक भुगतान

राज्य सरकार के आदेश (नवंबर 2012) के अनुसार मिट्टी के कार्यों पर ₹ 14.00 प्रति घनमीटर की दर से रॉयल्टी ली जानी थी। इसके बाद, मार्च 2018 के राज्य सरकार के आदेश द्वारा उक्त रॉयल्टी को निरस्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण से सम्बंधित छः प्राक्कलनो में, मिट्टी के कार्य की प्राक्कलित लागत में ₹14.00 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी सम्मिलित थी और तदनुसार ही ठेकेदारों के साथ अनुबंध गठित किये गये थे। अतः राज्य सरकार के मार्च 2018 के आदेश के बाद, ठेकेदारों को किये गये भुगतान के प्रकरणों में, मिट्टी के कार्य की प्राक्कलित लागत में सम्मिलित रॉयल्टी की राशि की वसूली किया जाना आवश्यक था।

अभिलेखों की जांच में यह ज्ञात हुआ कि छः कार्यों में से चार में खण्डों द्वारा, मार्च 2018 से मिट्टी के कार्यों पर रॉयल्टी वापस लेने के बाद भी, ठेकेदारों को अनुबंधित दर पर मिट्टी के कार्यों के लिए भुगतान किया गया परन्तु ठेकेदारों से रॉयल्टी के अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की गयी।

[16] राज्य सरकार द्वारा दिये गये उत्तर कि सीमेंट के कम उपयोग होने के कारण आयी भिन्नता के लिये ₹ 12.78 करोड़ की वसूली कर ली गयी, के सापेक्ष मात्र ₹ 1.60 करोड़ का अंकन माप पुस्तिका में समायोजन हेतु किया गया था तथा अंतिम देयक का भुगतान किया जाना शेष था|

इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 5.98 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जैसाकि ***परिशिष्ट 3.18*** में बताया गया है।

राज्य सरकार ने उत्तर में कहा (जनवरी 2024) कि प्राक्कलनों में रॉयल्टी का प्रावधान उस समय प्रचलित दरों के अनुसार किया गया था और तदानुसार रॉयल्टी की कटौती की गयी। राज्य सरकार ने अग्रेतर कहा कि 2018 से मिट्टी के कार्य पर रॉयल्टी समाप्त कर दी गयी थी तथा मिट्टी के कार्यों की अंतिम रूप से मापी गयी मात्रा के आधार पर ₹ 14.00 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी की वसूली की गयी। राज्य सरकार द्वारा चार कार्यों के संबंध में, मार्च 2022 तक कुल सम्पादित मात्रा के सापेक्ष ₹ 21.67 करोड़ की रॉयल्टी की वसूली का कार्यवार विवरण भी प्रदान किया गया।

तत्पश्चात लेखापरीक्षा द्वारा, मार्च 2018 में रॉयल्टी वापस लेने के बाद सम्पादित मिट्टी के कार्यों पर रॉयल्टी की वसूली की स्थिति का सत्यापन किया गया (जून 2024) और पाया कि ***परिशिष्ट 3.18*** में उल्लिखित ₹ 5.98 करोड़ की वसूली जून 2024 तक लंबित थी, जबकि माप पुस्तिका में इसका अंकन किया गया था।

3.6.3 ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली (किलोमीटर 0.00 से 35.000 के मध्य तथा किलोमीटर 0.485 से 6.740 एवं किलोमीटर 23.340 से 23.880 को छोड़कर) के निर्माण हेतु मार्च 2013 में गठित अनुबंध की विशेष शर्तों के अंतर्गत शर्त संख्या 27 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में लागू श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किये जायेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के जून 2019[17] तक के चालू देयकों में, पहले तीन करोड़ रुपये का श्रम उपकर जोड़ा गया और फिर उसे घटाया गया। इस प्रकार, ठेकेदार के देयकों से श्रम उपकर की कटौती होने के पश्चात भी, श्रम उपकर के भुगतान का वित्तीय भार विभाग द्वारा वहन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ठेकेदार को ₹ तीन करोड़ रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

[17] सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच द्वारा ₹1.61 करोड़: 57वें चालू देयक तक (जून 2019) और सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच द्वारा ₹1.39 करोड़: 46वें चालू देयक तक (जून 2019)।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि श्रम उपकर के रूप में ठेकेदार को भुगतान की गयी ₹ तीन करोड़ की वसूली माप पुस्तिका में अंकित की गयी थी। यद्यपि, ठेकेदार के देयक से श्रम उपकर की वसूली की स्थिति का लेखापरीक्षा में सत्यापन (जून 2024) किया गया तथा यह ज्ञात हुआ कि जून 2024 तक ऐसी कोई वसूली नहीं की गयी थी।

3.6.4 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए गठित अनुबंध की शर्त (शर्त संख्या 31) अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करती है कि यदि ठेकेदार कार्य को सम्पादित करने में लापरवाही बरतता है अथवा वांछित प्रतिबद्धता के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में विफल रहता है अथवा अनुबंध के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है और यदि वह संतोषजनक सुधारात्मक कार्यवाही करने में असफल रहता है तो, कार्य के लिए प्रभारी अभियंता अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर देगा। यदि अनुबंध पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है तो, प्रतिभूति के रूप में जमा राशि के साथ-२ किये गये कार्य की लागत जिसका भुगतान नहीं हुआ है, सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। अनुबंध की शर्त में अग्रेतर कहा गया है कि ऐसे कार्यों के पूर्ण होने पर, यदि कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया गया व्यय ठेकेदार को भुगतान की गयी कार्य की लागत से अधिक है तो, अंतर की राशि का वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत ठेकेदार परिनिर्धारित क्षति के लिए भी उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के किलोमीटर 0.000 से 35.000 के मध्य निर्माण हेतु मेसर्स एस ई डब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ अनुबंध गठित किया गया (मार्च 2013) जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 29 सितम्बर 2015 थी। यद्यपि, मेसर्स एस ई डब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने फरवरी 2020 तक भी कार्यों को पूर्ण नहीं किया। कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए मुख्य अभियंता ने कार्य पूरा करने के लिए नए अनुबंध निष्पादित करने का निर्णय लिया (फरवरी 2020)। तत्पश्चात, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता द्वारा मेसर्स एस ई डब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ किये गये अनुबंध के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए 2019-20 से 2021-22 के मध्य 100 अनुबंध गठित किये गये। इन 100 अनुबंधों में से पांच अनुबंधों में, कार्य की 17 मदों को, मेसर्स एस ई डब्ल्यू के साथ गठित मूल अनुबंध

में सहमत दरों की तुलना में उच्च दरों (चार से 89 प्रतिशत) पर सम्पादित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, यह 17 कार्य मदें ₹ 12.60 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर सम्पादित हुयीं ***(परिशिष्ट 3.19)***। अनुबंध की शर्तों के अनुरूप मेसर्स एस ई डब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से ₹ 12.60 करोड़ के अधिक व्यय को उचित परिनिर्धारित क्षति के साथ वसूल किया जाना था। यद्यपि, दिसंबर 2022 तक ठेकेदार पर न तो कोई कटौती भारित की गयी और न ही कोई वसूली की गयी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (नवम्बर 2023) कि अनुबंध संख्या 21/एसई/2012-13 के कार्य, अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत, डेबिटेबल संस्थाओं[18] के माध्यम से पूर्ण कराये गये। राज्य सरकार ने आगे कहा कि एक अनुबंध के कार्य को पूरा करने हेतु, डेबिटेबल संस्थाओं को लगाये जाने पर मूल अनुबंध को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि डेबिटेबल संस्थाओं के द्वारा कार्यों को मूल अनुबंध से अधिक दरों पर सम्पादित किया जाता है तो, मूल अनुबंध के देयक से अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए प्रावधान उपलब्ध है। अनुबंध संख्या 21/एसई/2012-13 के संबंध में राज्य सरकार ने बताया कि मेसर्स एस ई डब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंतिम देयकों से अधिक भुगतान की वांछित वसूली के साथ-साथ अन्य सभी विधिक वसूलियां प्रस्तावित की गयी हैं।

यद्यपि, राज्य सरकार ने, ठेकेदार (मैसर्स एस ई डब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) के विरुद्ध पहले कार्यवाही न करने का कोई कारण नहीं बताया। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार से प्रस्तावित वसूली किया जाना अभी शेष था।

3.7 गुणवत्ता आश्वासन

निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता एवं मानक तथा अपेक्षा के अनुरूप आकार, माप, क्षमता, आदि को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए अनुबंध की शर्तों (तकनीकी विशिष्टि संख्या 20) में यह उल्लिखित था कि गुणवत्ता परीक्षण प्रासंगिक भारतीय मानक संहिताओं के अनुसार निर्धारित अंतराल पर कराये जायेंगे ***(परिशिष्ट 3.20)***। राष्ट्रीय परियोजना के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच दिसंबर 2012 में निष्पादित हुए समझौता ज्ञापन में भी यह कहा गया था कि राज्य सरकार, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने

[18] ऐसे ठेकेदार जिन्हें अनुबंध संख्या 21/एसई/2012-13 का शेष कार्य दिया गया।

हेतु, परियोजना क्षेत्र में स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण संगठन तथा पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। नमूना चयन एवं परीक्षण प्रासंगिक भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता के अनुसार किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए दो गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड, एक गोंडा में और दूसरा बस्ती में स्थापित किये गये थे। यद्दपि, लेखापरीक्षा ने गुणवत्ता परीक्षण में कमियाँ देखीं जिनकी आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

3.7.1 मिट्टी कार्य का गुणवत्ता परीक्षण

मिट्टी के कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण चार प्रयोगशाला परीक्षणों, जैसे दाने के आकार का विश्लेषण, क्षेत्र घनत्व एवं नमी की मात्रा, मानक प्रॉक्टर परीक्षण तथा मिट्टी में नमी की मात्रा के माध्यम से किया जाता है। इन चारों परीक्षणों की आवृत्ति और उद्देश्य को **तालिका-3.8** में वर्णित किया गया है।

तालिका 3.8: मिट्टी के कार्य के लिए गुणवत्ता परीक्षण की आवश्यकता

परीक्षण का नाम	परीक्षण की आवृत्ति	परीक्षण का उद्देश्य
(1)	(2)	(3)
कण के आकार का विश्लेषण और एटरबर्ग सीमायें	प्रत्येक 3000 घन मीटर	वास्तव में उपयोग की जाने वाली मिट्टी के वर्गीकरण को जानने के लिये
क्षेत्र घनत्व[19]	प्रत्येक 1500 घन मीटर के लिए एक परीक्षण तथा तटबंध पर बिछायी गयी प्रत्येक परत हेतु कम से कम एक परीक्षण	स्थापन घनत्व तथा आर्द्रता की मात्रा निर्धारित करने के लिये
मानक प्रॉक्टर परीक्षण	प्रत्येक 10000 घन मीटर सघन मिट्टी या जहां पर उत्खनन क्षेत्र में परिवर्तन होता है या मिट्टी की बनावट में परिवर्तन होता है, न्यूनतम तीन नमूने तथा अधिकतम 10 नमूने	मिट्टी का अधिकतम शुष्क घनत्व तथा इष्टतम आर्द्रता की मात्रा निर्धारित करने के लिये
आर्द्रता की मात्रा	प्रत्येक नमूने में एक परीक्षण	नमूने में आर्द्रता की मात्रा जानने के लिये

(स्रोत: अनुबंध की शर्तें)

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 2012-2022 के मध्य

[19] प्रॉक्टर घनत्व द्वारा नियंत्रित स्थापन घनत्व परीक्षण तथा सापेक्ष घनत्व परीक्षण द्वारा नियंत्रित असंयोजित मिट्टी का स्थापन घनत्व परीक्षण|

₹ 184.23 करोड़ की लागत से 161.87 लाख घन मीटर मिट्टी के कार्य सम्पादित किये गये थे। यद्यपि, नमूना जांच किये गये खण्डों के अभिलेखों में लेखापरीक्षा को ऊपर उल्लिखित चार संकेतकों के सापेक्ष मिट्टी के कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण कराने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

जब लेखापरीक्षा ने विशेष रूप से मिट्टी के कार्यों के लिए निर्धारित गुणवत्ता परीक्षण न कराने के बारे में पूछा तो, राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण में शामिल, नमूना जांच किये गये 12 खण्डों में से तीन खण्डों ने कहा कि उनके नियंत्रण में आने वाला राप्ती मुख्य नहर का भाग, खुदायी द्वारा निर्मित है इसलिए किसी गुणवत्ता परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी तथा यह भी कहा कि प्राक्कलन के दर विश्लेषण में मानवीय संघनन[20] का प्रावधान किया गया था एवं तदनुसार ही कार्य कराया गया। पांच अन्य खण्डो ने मिट्टी के कार्य से संबंधित आवश्यक चार गुणवत्ता परीक्षण नहीं कराने के कारण नहीं बताए। इन पांच खण्डों[21] ने मुख्य रूप से मशीनों के उपयोग, परत-वार संघनन, आवश्यकता के अनुसार परीक्षण कराये जाने, आदि के बारे में बताया। शेष चार खण्डों ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण मंडल, अयोध्या ने भी पुष्टि की कि कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण केवल प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों तक ही सीमित थे।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और मात्र यह कहा (नवंबर 2023) कि राप्ती मुख्य नहर के निर्माण के लिए मिट्टी का कार्य नियंत्रित संघनन के बिना किया गया था जिसमें संघनन मानवीय तरीकों से किया जाता है। राज्य सरकार ने अग्रेतर कहा कि प्राकृतिक तौर पर मिट्टी पहले वर्ष में 90 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 95 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 97.5 प्रतिशत तक संघनित हो जाती है, अत: संघनन परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी।

इस प्रकार, मिट्टी के कार्यों की गुणवत्ता और अंतत: मिट्टी की स्थिरता से समझौता किया गया, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि राप्ती मुख्य

[20] वाइब्रो संघनक का उपयोग कर मिट्टी के संघनन को यांत्रिक संघनन कहा जाता है, जबकि मानवीय माध्यम से किये गये संघनन को मानवीय संघनन कहा जाता है।

[21] 12 निर्माण खण्डों में से शेष पांच खण्डों ने मिटटी के कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण से सम्बंधित लेखापरीक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया|

नहर का बायां तट, पहाड़ियों से जल के तीव्र प्रवाह के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जैसाकि अध्याय-II में उल्लेख किया गया है।

3.7.2 पक्के कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण

संरचनाओं की वांछित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधि नमूनों के अनुसार प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण किया जाना चाहिए था। वांछित गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नमूनों का प्रकार, मात्रा और परीक्षणों का उद्देश्य विभिन्न भारतीय मानक संहिताओ में वर्णित किया गया है, जैसाकि **तालिका 3.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: पक्के कार्यों के लिए गुणवत्ता परीक्षण का विवरण

परीक्षण का नाम	परीक्षण की आवृत्ति	परीक्षण का उद्देश्य
(1)	(2)	(3)
1. **सीमेंट** रासायनिक और भौतिक विश्लेषण	प्रत्येक खेप के लिये	क्षार, ऑक्साइड, क्लोराइड, सूक्ष्मता, सुदृढ़ता, स्थिरता, जमने की अवधि, संपीड़न शक्ति, आदि जानने के लिये
2. **सूक्ष्म समुच्चय** छलनी विश्लेषण, आयतन वृद्धि, अशुद्धियाँ, सुदृढ़ता, विशिष्ट गुरुत्व, आर्द्रता की मात्रा, आदि।	प्रत्येक 150 घन मीटर के लिए एक परीक्षण	रेत के कणों का आकार एवं रेत की सूक्ष्मता मापांक, रेत की गुणवत्ता जानने के लिये
3. **मोटा समुच्चय** छलनी विश्लेषण, सुदृढ़ता, अशुद्धियाँ, शैलिकी परीक्षण, आदि।	प्रत्येक 150 घन मीटर या उससे कम के लिए एक परीक्षण तथा एक कार्य मौसम में दो बार (शैलिकी परीक्षण)	मोटे समुच्चय में विभिन्न माप के समुच्चय के प्रकार एवं प्रतिशत, गुणवत्ता, हानिकारक घटकों और गाद को जानने हेतु
4. **जल** जल का pH मान	प्रत्येक स्रोत के लिए दो नमूने	जल का pH मान जानने के लिये (कार्बनिक और अकार्बनिक)
5. **प्रबलन**	प्रत्येक खेप के लिये	भार, व्यास, अंतिम परीक्षण, क्षमता, उपज तनाव और बढ़ाव आदि जानने के लिये
6. **चिनाई एवं कंक्रीट में सीमेंट गारा** कंक्रीट और सीमेंट गारा के लिए घन परीक्षण	प्रति 50 घन मीटर कंक्रीट पर 3 नमूनों का परीक्षण, जिसमें कि कंक्रीट की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिदिन न्यूनतम तीन नमूने हों	सम्पीडक क्षमता

(स्रोत: अनुबंध की शर्तें)

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 2012-2022 के मध्य

₹ 709.91 करोड़ का व्यय कर 8.74 लाख घन मीटर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्य सम्पादित किये गये। इन कार्यों के संबंध में गुणवत्ता परीक्षण निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाना चाहिये था। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने गुणवत्ता परीक्षण में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

(i) 15 प्रकार के गुणवत्ता परीक्षणों[22] में से, पक्की संरचनाओं के संबंध में केवल दो प्रकार के गुणवत्ता परीक्षण (कंक्रीट घन परीक्षण और छलनी विश्लेषण परीक्षण) कराये गये। शेष 13 प्रकार के गुणवत्ता परीक्षण न कराने के सम्बन्ध में कोई कारण, अधीक्षण अभियंता, गुण नियंत्रण मण्डल, अयोध्या और नमूना जांच किये गये खण्डों के अभिलेखों में नहीं था। अपूर्ण गुणवत्ता परीक्षण इंगित करता है कि पक्के कार्यों की गुणवत्ता का आश्वासन पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं किया गया।

(ii) संबंधित भारतीय मानक संहिताओं में निर्धारित प्रतिनिधि नमूनों के अनुसार गुणवत्ता परीक्षण किया जाना चाहिए था। किसी भी गुणवत्ता परीक्षण के लिए नमूने का आकार, सामग्री की मात्रा और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट के मिश्रण पर आधारित होता है। खण्डों के लिए आवश्यक था कि कार्य में प्रयुक्त सामग्री/मिश्रण की मात्रा, किये गये परीक्षण का विवरण एवं गुणवत्ता परीक्षणों के परिणाम के साथ-साथ गुणवत्ता परीक्षणों हेतु लिये गये नमूने का विवरण रखे जाने हेतु अभिलेखों का रख-रखाव किया जाये। गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से बतायी गयी किसी भी कमी के प्रकरण में सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिये थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 17 नमूना जांच किये गये खण्डो में, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये सभी 2,759 गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन, जो 176 पक्की संरचनाओं से संबंधित थे, संतोषजनक पाये गये। यद्यपि, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों, जिनके नमूने लिए गये और परीक्षण किया गया, की मात्रा के उल्लेख के अभाव में लेखापरीक्षा में इन 2,759 परीक्षण प्रतिवेदन हेतु एकत्र किये गये नमूनों की पर्याप्तता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि कार्यस्थल पर कंक्रीट के परीक्षण हेतु आवश्यक अधिकांश निर्धारित गुणवत्ता परीक्षण जैसे, रेत की गुणवत्ता जानने हेतु छलनी विश्लेषण, गाद की मात्रा, आदि तथा कंक्रीट कार्य के लिए स्लंप परीक्षण, घन परीक्षण और सामग्री की गुणवत्ता जाँच, संबंधित

---

[22] सीमेंट: दो; सूक्ष्म समुच्चय: पांच; मोटा समुच्चय: चार; जल: एक; प्रबलन: एक; तथा सीमेंट गारा, चिनाई एवं कंक्रीट: दो परीक्षण |

संस्थाओं द्वारा करायी गयी। राज्य सरकार ने अग्रेतर कहा कि निर्माण कार्यों से संबंधित खण्डों द्वारा कराये गये कंक्रीट कार्यों के लिए घन परीक्षण मानकों के अनुसार कराये गये, जिनके अभिलेख संबंधित खण्डों के पास उपलब्ध थे।

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 15 प्रकार के निर्धारित गुणवत्ता परीक्षणों में से, नमूना जाँच किये गये खण्डों ने कंक्रीट घन परीक्षण और छलनी विश्लेषण परीक्षण का विवरण प्रदान किया। साथ ही, राज्य सरकार ने गुणवत्ता परीक्षण के लिए कंक्रीट मिश्रण के नमूने के अभिलेखों का रखरखाव न करने का कारण नहीं बताया।

3.8 आंतरिक नियंत्रण

3.8.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

संगठन को प्रतिक्रियाशील तथा लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से, यह आवश्यक था कि त्रुटि संकेतों का पता लगाने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाये और उसका पालन किया जाये। यह देखा गया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के विभिन्न संगठनों के अंतर्गत खण्डों की आंतरिक लेखापरीक्षा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वित्त नियंत्रक के अधीन कार्यरत लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखा एवं लेखापरीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश से कार्ययोजना स्वीकृत होने के पश्चात की गयी थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के मध्य, सरयू नहर परियोजना के 31 खण्डों में आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना तैयार की गयी थी परन्तु केवल चार (13 प्रतिशत) से 17 (55 प्रतिशत) खण्डों की लेखापरीक्षा की गयी। यह भी देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित खण्डों द्वारा अनुपालन शिथिल था क्योंकि 2017-22 के मध्य निर्गत 51 में से 22 प्रतिवेदनों (43 प्रतिशत) पर कोई अनुपालन नहीं किया गया था तथा 20 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (39 प्रतिशत) पर सम्बंधित खण्डों द्वारा आंशिक अनुपालन किया गया था।

इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा अपर्याप्त होने के साथ-साथ अप्रभावी भी थी क्योंकि इसके द्वारा उठाये गये तथ्यों का अनुपालन नहीं किया गया था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि खण्डों की आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय लेखापरीक्षा दलों द्वारा समय-समय पर की गयी थी।

राज्य सरकार का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि 2017-22 की अवधि में सभी परीक्षण जांच किये गये खण्डों में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी जैसाकि ऊपर चर्चा की गयी है।

3.8.2 स्थलीय निरीक्षण

कार्यों के निष्पादन में ड्राइंग, डिजाइन, विशिष्टियां, सामग्री की गुणवत्ता, कार्यकुशलता, आदि के पालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी निरीक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भी स्थलीय निरीक्षणों पर बल दिया तथा कहा कि स्थलीय निरीक्षण मूल रूप से किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए है तथा गुणवत्ता से कोई भी समझौता, न केवल ऐसे विस्तृत गुणवत्ता मानक निर्धारित करने के उद्देश्य को विफल करेगा अपितु राजकोष को अपूर्णीय क्षति भी पहुंचायेगा।

राज्य स्तर पर स्थापित तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा, कार्यों के सभी तकनीकी निरीक्षण समय-समय पर कार्य स्थल का भ्रमण कर सम्पन्न किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को तकनीकी दृष्टिकोण से कार्यस्थलों का निरीक्षण भी करना था जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्य निष्पादन के मध्य सुधार एवं संशोधन किया जा सके।

3.8.2.1 तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तकनीकी निरीक्षण

2017-22 के मध्य तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तकनीकी निरीक्षण नहीं किया गया।

सरयू नहर परियोजना के लिए गठित अनुबंधों के अनुसार कार्य की प्रगति के समय तथा समस्त कार्य पूर्ण होने के बाद भी, समस्त कार्य सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ[23] /परियोजना की गुणवत्ता नियंत्रण शाखा द्वारा निरीक्षण के अधीन होंगे। तकनीकी परीक्षक द्वारा इंगित की गयी सामग्री या कार्यकुशलता के सम्बन्ध में कोई भी त्रुटि पाये जाने पर ठेकेदार को अपने व्यय पर सुधार करना होगा। तकनीकी परीक्षक/गुणवत्ता नियंत्रण शाखा के अधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गयी दरों में कमी के लिये कोई भी वसूली ठेकेदारों के बाद के देयकों या सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अन्य खण्डों के पास उपलब्ध ठेकेदारों के अवशेष भुगतान अथवा ठेकेदारों के प्रतिभूति जमा से वसूल की

[23] शासन स्तर पर गठित तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ, समय-समय पर कार्यों के निरीक्षण के लिये उत्तरदायी है।

जायेगी, भले ही उस कार्य को कार्यप्रभारी अभियंता द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।

यद्दपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2017-22 के मध्य नमूना जांच किये गये 17 खण्डों में से किसी में भी तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तकनीकी निरीक्षणों के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गयी, जबकि 2017-22 के मध्य बड़ी संख्या में निर्माण कार्य हुए थे।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि राज्य सरकार के तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ ने 2022-23 के मध्य निरीक्षण किया गया था। यद्यपि, इसके द्वारा यह नहीं बताया कि किस कारण से नमूना जांच किये गये खण्डों में 2017-22 के मध्य तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, कार्यों के तकनीकी निरीक्षण के लिए विद्यमान पद्धति का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया गया कि कार्य का निष्पादन निर्धारित विशिष्टियों और गुणवत्ता के अनुरूप हुए।

3.8.2.2 मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता द्वारा स्थलीय निरीक्षण

उत्तर प्रदेश की सिंचाई आदेश नियमावली के प्रस्तर 4.3 के अनुसार, मुख्य अभियंता को निर्माण स्थलों का बार-बार भ्रमण करना आवश्यक था। अधीक्षण अभियंता द्वारा कार्यों के निरीक्षण के संबंध में, सिंचाई आदेश नियमावली के प्रस्तर 6.5 में यह प्रावधान है कि अधीक्षण अभियंता, मण्डल के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करेंगे।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि मुख्य अभियंता, सरयू नहर परियोजना ने 2019-22 के मध्य, नमूना जांच किये गये 17 खण्डों में से 11 खण्डों द्वारा किये गये कार्यों से सम्बंधित कार्यस्थलों के 43 भ्रमण किये। इसके अतिरिक्त, सरयू नहर परियोजना के आठ में से चार अधीक्षण अभियंताओं ने 2019-22 के मध्य 34 कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। विवरण ***परिशिष्ट 3.21(अ)*** और ***3.21(ब)*** में दिया गया है। 2017-22 के मध्य किये गये निर्माण कार्यों में मुख्य रूप से राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण सम्मिलित था। राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण में 874 पक्के कार्यों का निर्माण होना था। इसके सापेक्ष मुख्य अभियंताओं द्वारा 115 संरचनाओं में से 43 का तथा अधीक्षण

अभियंताओं द्वारा 233 संरचनाओं में से 34 का कार्यस्थल निरीक्षण अपर्याप्त प्रतीत हो रहा था।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और कहा (नवंबर 2023) कि स्थल निरीक्षण किये गये थे जो कि विभाग को गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूर्ण करने में सहयक बना। यद्यपि, लेखापरीक्षा मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओ द्वारा कार्यस्थल भ्रमण की पर्याप्तता से आश्वस्त नहीं हो सकी।

3.9 अभिलेखीकरण एवं साक्ष्य

3.9.1 भण्डार खातों का अनुचित रख-रखाव

वित्तीय नियम, खंड-6 के प्रावधानों के अनुसार सभी सामग्रियों की प्रविष्टि, इसके भण्डार में प्राप्त होते ही भण्डार लेखे में कर ली जानी चाहिये। भण्डार में सामग्रियों की प्राप्ति और भण्डार से सामग्रियों के निर्गमन को उप-खंडीय भण्डार लेखों में अंकित किया जाना चाहिये। उप-खंडीय भण्डार लेखों में अंकित प्राप्ति, निर्गमन और अवशेष के आधार पर, खण्डीय भण्डार लेखे अर्धवार्षिक आधार पर तैयार किये जाने चाहिए तथा भण्डार के समापन शेष के साथ-साथ उसका मूल्य भी ज्ञात किया जाना चाहिये। वित्तीय हस्त पुस्तिका, खंड-6 के प्रस्तर 237 में समय-समय पर भण्डार के भौतिक सत्यापन के लिए भी कहा गया है। इसी प्रकार, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खंड -6 के प्रस्तर 768 के अनुसार खण्डों में यंत्र और संयंत्र के अधिशेष ज्ञात करने हेतु यंत्र एवं संयंत्र पंजिका की वर्ष में एक बार लेखाबंदी की जानी चाहिये।

नमूना जांच किये गये 17 खण्डों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि खण्डीय भण्डार लेखों की विगत छः से 108 माह तक (अर्धवार्षिक आधार पर) लेखाबंदी नहीं की गयी थी। भण्डार लेखों के अद्यतन न होने के कारण, भंडार में प्राप्त सामग्रियों की स्थिति तथा सामग्रियों के निर्गत होने/कार्यों पर उपयोग होने के पश्चात अधिशेष की स्थिति का सत्यापन नहीं किया सका।

इसी प्रकार, नमूना जांच किये गये 17 खण्डों में, यंत्र एवं संयंत्र खातों की वार्षिक लेखाबंदी भी पिछले एक से 14 वर्षों तक नहीं की गयी थी। यंत्र एवं संयंत्र खातों की लंबित लेखाबंदी के कारण, इन नमूना जांच किये गये खण्डो में यंत्र एवं संयंत्र की स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। नमूना जांच किये

गये संबंधित खण्डों द्वारा बताया गया कि भण्डार तथा यंत्र एवं संयंत्र खातों को अद्यतन करने तथा बंद करने की कार्रवाई की जायेगी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (जनवरी 2024) कि अभिलेख तैयार कर लिया गया है तथा कुछ खण्डों से सम्बंधित अभिलेखों की प्रतियां, संदर्भ के लिए संलग्न की गयी हैं।

राज्य सरकार द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नमूना जांच किये गये खण्डों में भण्डार तथा यंत्र एवं संयंत्र लेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने उत्तर के साथ भण्डार लेखों की प्रतियां भी संलग्न नहीं कीं, जिनके बारे में बताया गया कि खण्डों द्वारा इन्हें तैयार कर लिया गया है।

3.9.2 कंक्रीट मिश्रण संयंत्र के अभिलेखों का रखरखाव न करना

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए गठित अनुबंधों की शर्तों में यह उल्लेखित था कि ठेकेदार द्वारा, कार्य प्रभारी अभियंता के निर्देशों के अनुरूप, मिश्रित किये गये खेपो की संख्या तथा मिश्रण की शुद्धता की जांच के लिए आवश्यक अन्य सभी विवरणों का अभिलेख रखा जायेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के छः कार्यों के प्राक्कलन में, बैच मिक्स प्लांट के माध्यम से प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट को मिश्रित करने का प्रावधान किया गया था। बैच मिक्स प्लांट के माध्यम से मिश्रित करने की लागत यांत्रिक विधि से मिश्रित करने की तुलना में अधिक थी। इन छः कार्यों में ₹ 532.76 करोड की लागत से 6.07 लाख घन मीटर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट का कार्य, बैच मिक्स प्लांट का उपयोग कर सम्पादित कराया गया। यद्यपि, संबंधित खण्डों ने बैच मिक्स प्लांट के उपयोग के समर्थन में अभिलेखों, जैसे बैच मिक्स प्लांट पंजिका, का संधारण नहीं किया। अधीक्षण अभियंता, राप्ती नहर निर्माण मंडल 2, बस्ती[24] ने सयंत्र अभिलेख न रखे जाने के कारणों से अवगत नहीं कराया तथा कहा कि ठेकेदारों द्वारा कार्यस्थल पर बैच मिक्स प्लांट स्थापित किया गया था और कार्य का अनुश्रवण सम्बंधित खण्डों द्वारा किया गया था।

[24] किलोमीटर 80.000 से 114.000 तथा किलोमीटर 114.000 से 125.682 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण|

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (नवंबर 2023) कि कंक्रीट मिश्रण की अत्यधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट /सीमेंट कंक्रीट कार्यों में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु बैचिंग प्लांट की दर ली गयी। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि भारतीय मानक संहिताओं में कंक्रीट मिश्रण हेतु सामग्रियों को वजन के आधार पर लेने का प्रावधान है, जोकि बैचिंग प्लांट के उपयोग के माध्यम से ही संभव था। यद्दपि, राज्य सरकार ने कार्य प्रभारी अभियंता के निर्देशों के अनुरूप मिश्रित किये गये खेपो की संख्या तथा मिश्रण की शुद्धता की जांच के लिए आवश्यक अन्य सभी विवरणों के अभिलेख का रख-रखाव न किये जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया, जैसाकि अनुबंध की शर्तों में अपेक्षित था।

3.9.3 तकनीकी निविदा के अभिलेख प्रस्तुत न करना

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण का कार्य छः लॉट में वितरित किया गया था जिसकी अनुमानित लागत ₹ 153.93 करोड़ से ₹ 375.77 करोड़ के बीच थी। अधीक्षण अभियंता, राप्ती नहर निर्माण मंडल-2, बस्ती द्वारा सभी छः लॉटों के संबंध में तकनीकी निविदायें प्रस्तुत करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की गयी (अक्टूबर 2012)। निविदा आमंत्रण सूचना के उत्तर में छः लॉट में से प्रत्येक के लिये चार से 10 निविदादाताओं ने अपनी तकनीकी निविदायें प्रस्तुत कीं, जिनमें से एक से पांच निविदादाताओं को अभिलेख जैसे चरित्र प्रमाणपत्र (आईडीटी -1), हैसियत प्रमाणपत्र (आईडीटी -2), उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में पंजीकरण तथा निर्धारित समय के अंदर निविदा प्रलेख की प्रमाणित प्रति जमा न करने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। निविदा प्रपत्रों में, छः लॉटों में से प्रत्येक में संभावित निविदादाताओं के लिए पूर्व अर्हता मानक के रूप में इन अभिलेखों को जमा करना निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा, तकनीकी निविदा मूल्यांकन में भाग लेने वाले सभी निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की मांग की गयी (जनवरी 2023 तथा जून 2024)। यद्यपि, अधीक्षण अभियंता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2, बस्ती[25] द्वारा केवल उन निविदादाताओं के प्रलेख/ अभिलेख उपलब्ध कराए गये जिन्हें वित्तीय निविदा मूल्यांकन में अर्ह घोषित

[25] अधीक्षण अभियंता, राप्ती नहर निर्माण मंडल-2, द्वारा सभी छः कार्यों की निविदा का प्रकाशन एवं तकनीकी परीक्षण किया गया|

किया गया था तथा जिन्हें अनुबंध प्राप्त हुआ[26] था। अधीक्षण अभियंता, नवम् मण्डल, सिंचाई कार्य, बहराईच तथा अधीक्षण अभियंता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-1, बलरामपुर, जिनके द्वारा वित्तीय निविदा मूल्यांकन के बाद सफल निविदादाताओं के साथ अनुबंध गठित किये गये थे, ने भी लेखापरीक्षा को यह अभिलेख मांगे जाने के पश्चात भी उपलब्ध नहीं कराये। इसके कारण, लेखापरीक्षा द्वारा उन अभिलेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका जिन्हें, उन निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिनको तकनीकी निविदा मूल्यांकन में अर्ह घोषित किया गया था परन्तु वित्तीय निविदा मूल्यांकन के बाद अनुबंध प्राप्त नहीं हो सका तथा ऐसे निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिन्हें तकनीकी निविदा मूल्यांकन में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

3.10 अन्य रुचिकर बिंदु

3.10.1 लागत प्राक्कलनों में अनियमित प्रावधान

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अनुसार, निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर नियोक्ता से वसूल किया जाना था तथा इसे उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017 के अनुसार सरयू नहर परियोजना के लिये ₹ 9,802.68 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत में, श्रम उपकर के भुगतान हेतु ₹ 42.75 करोड़ सम्मिलित था। चूंकि ठेकेदार श्रम उपकर के भुगतान हेतु उत्तरदायी था इसलिए प्राक्कलनों में इसे सम्मिलित करने से प्राक्कलित लागत में ₹ 42.75 करोड़ की वृद्धि हुयी।

राज्य सरकार ने समापन बैठक (नवंबर 2023) में बताया कि श्रम उपकर ठेकेदार के देयकों से काटा गया तथा उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को जमा कर दिया गया। अग्रेतर कहा गया कि परियोजना की प्राक्कलित लागत में श्रम उपकर के लिए आवंटित ₹ 42.75 करोड़ का उपभोग परियोजना के कार्यों पर किया गया।

[26] एल एंड टी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, चेन्नई, जो सभी छः कार्यों में अयोग्य घोषित हुयी, से सम्बंधित निविदा अभिलेखों को छोड़कर |

तथ्य यथावत रहा कि श्रम उपकर के रूप में परियोजना की अनुमानित लागत में ₹ 42.75 करोड़ का प्रावधान अनावश्यक था तथा परियोजना के अन्य कार्यों पर इसके उपभोग के कारण धन का अनियमित विचलन हुआ।

3.10.2 वन भूमि के उपयोग के लिए वन मंजूरी प्राप्त न करना

राप्ती मुख्य नहर के निर्माण में किलोमीटर 0.450 से 6.600 के निर्माण हेतु 60.150 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वन विभाग ने इस 60.150 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए जून 2016 में सैद्धांतिक अनुमति इस शर्त पर प्रदान की थी कि राज्य सरकार वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग तथा इस पर पेड़ काटने के लिए प्रतिकर के रूप में वन विभाग को ₹ 12.86 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। यद्यपि, राज्य सरकार ने वन विभाग को मात्र ₹ 9.32 करोड़ ही जमा कराये तथा ₹ 3.54 करोड़ का भुगतान शेष रह गया था। इसके परिणामस्वरूप, नवंबर 2022 तक वन विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग की अंतिम मंजूरी नहीं दी गयी।

उल्लेखनीय है कि नहर का निर्माण उक्त वन भूमि पर किया गया था। अतः वन विभाग की अंतिम स्वीकृति के बिना नहर का निर्माण अनियमित था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि वन विभाग को देय ₹ 12.86 करोड़ के सापेक्ष ₹ 9.32 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। अक्टूबर 2017 में ई-भुगतान प्रणाली प्रारम्भ हुयी थी, जिसके बाद वन विभाग से शेष धनराशि हस्तांतरित करने के लिए, आहरण एवं वितरण अधिकारी का कोड, कोषागार कोड तथा नगद साख सीमा/निक्षेप साख सीमा खाते का विवरण उपलब्ध कराने का बार-बार अनुरोध किया गया। यद्यपि, वन विभाग द्वारा यह धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके कारण धनराशि हस्तांतरित नहीं की जा सकी। शेष ₹ 3.54 करोड़ का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

3.10.3 ठेकेदारों को अग्रिम

3.10.3.1 मोबिलाइजेशन अग्रिम

अनुबंध की शर्तों के अनुसार यदि ठेकेदार द्वारा कार्य को प्रारम्भ करने हेतु, कार्यादेश की तिथि से तीन माह के अन्दर लिखित रूप में अनुरोध किया जाता है तो, मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया जायेगा जो अनुबंधित राशि

का पांच प्रतिशत[27] से अधिक नहीं होगा। मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली के संबंध में यह प्रावधानित था कि अनुबंधित लागत का 80 प्रतिशत कार्य पूरा होने तक संपूर्ण अग्रिम की वसूली कर ली जायेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के कार्यों के निष्पादन से सम्बंधित छः अनुबंधों के लिए छः ठेकेदारों को ₹ 88.71 करोड़ का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान (अप्रैल 2013 से दिसंबर 2013 के मध्य) किया गया।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि अनुबंध की शर्तों के विपरीत, 80 प्रतिशत भुगतान होने के बाद भी, दो अनुबंधों में ₹ 17.23 करोड़ (53 प्रतिशत) राशि का मोबिलाइजेशन अग्रिम (कुल मोबिलाइजेशन अग्रिम: ₹ 32.54 करोड़),14 से 38 माह तक ठेकेदारों के पास बना रहा। विवरण ***परिशिष्ट 3.22*** में दिया गया है। इस प्रकार, ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

राज्य सरकार ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और बताया (नवंबर 2023) कि छः प्रमुख अनुबंधों के सापेक्ष मोबिलाइजेशन अग्रिम, अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदान किया गया था जिसकी वसूली उनके देयकों से कर ली गयी। यद्दपि, राज्य सरकार द्वारा उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया जिनके अंतर्गत ठेकेदारों को वसूली हेतु निर्धारित अवधि से अधिक, मोबिलाइजेशन अग्रिम अपने पास बनाये रखने हेतु अनुमन्य किया गया।

3.10.3.2 मशीनरी अग्रिम

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए अनुबंध की शर्तों (अनुबंध की सामान्य शर्त संख्या 4) के अनुसार ठेकेदारों द्वारा अनुरोध किये जाने पर, ऐसे नये संयंत्र और मशीनरी के लिए जो कार्य के लिए आवश्यक हो तथा ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाया गया हो, मशीनरी अग्रिम दिया जाना था। अग्रिम की राशि, ठेकेदार द्वारा भुगतान किये गये ऐसे नये संयंत्र और उपकरण के मूल्य के नब्बे प्रतिशत तक ही सीमित रखनी थी जिसके लिए ठेकेदार को संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना था। यद्दपि, यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि नए संयंत्र और उपकरण के मूल्य का नब्बे प्रतिशत या अनुबंधित राशि का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, इस शर्त के अधीन था कि संयंत्र और उपकरण दोनों ही (अ) कार्य प्रभारी

[27] आवश्यकता के आधार पर, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के अनुसार प्रभारी अभियंता द्वारा आंकलित ।

अभियंता द्वारा कार्य के लिये आवश्यक समझा गया हो, (ब) कार्यशील स्थिति में हो तथा (स) सरकार के पक्ष में दृष्टिबंधक हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए छः में से दो अनुबंधों[28] में, ठेकेदारों को ₹ 27.00 करोड़ की राशि का ब्याज मुक्त मशीनरी अग्रिम प्रदान किया गया था। ठेकेदारों को मशीनरी अग्रिम प्रदान करने में हुई अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गयी है:

- 63 मशीनों के क्रय हेतु मेसर्स पटेल एपको ज्वाइंट वेंचर (अनुबंध संख्या 02/एसई/2013-14) को ₹ 12 करोड़ का मशीनरी अग्रिम प्रदान किया गया (दिसंबर 2013) था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 63 मशीनों में से 60 मशीनें ठेकेदार द्वारा अनुबंध की तिथि से पहले क्रय की गयी थीं (अनुबंध की तिथि: अप्रैल 2013; मशीनों के क्रय की तिथि: फरवरी 2012 से मार्च 2013)। इस प्रकार, अनुबंध की तिथि से पहले क्रय की गयी मशीनों (लागत: ₹ 11.47 करोड़) के लिए मशीनरी अग्रिम प्रदान किया जाना, अनुबंध की सामान्य शर्त संख्या 4(ए) का उल्लंघन होने के कारण अनियमित था।

- मेसर्स वलेचा इंजीनियरिंग लिमिटेड (अनुबंध संख्या 01/एसई/2013-14) एवं मेसर्स पटेल एपको ज्वाइंट वेंचर (अनुबंध संख्य 02/एसई/2013-14) को 137 मशीनों[29] के क्रय हेतु प्रदान किये गये ₹ 27 करोड़ के मशीनरी अग्रिम के सम्बन्ध में, बार-बार मांगे जाने के पश्चात भी, सरकार के पक्ष में दृष्टिबंधक होने का प्रमाण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। विवरण ***परिशिष्ट 3.23*** में दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (जनवरी 2024) कि मशीनों के दृष्टिबंधक के स्थान पर, राज्य सरकार के आदेश (अक्टूबर 2012) के अनुक्रम में मशीनरी अग्रिम की राशि के बराबर बैंक गारंटी प्राप्त की गयी। समस्त मशीनरी अग्रिमों की वसूली ठेकेदारों के देयकों से कर ली गयी।

---

[28] अनुबंध संख्या 01/एसई/2013-14 (अनुबंधित लागत: ₹ 316.86 करोड़), किलोमीटर 114.000 से 125.682 तक राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए तथा 02/एसई/2013-14 (अनुबंधित लागत: ₹ 306.90 करोड़), किलोमीटर 60.000 से 80.000 तक राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए।

[29] मेसर्स पटेल एप्को ज्वाइंट वेंचर को 63 मशीनों के लिए ₹ 12.00 करोड़ तथा मेसर्स वेलेचा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को 74 मशीनों के लिए ₹ 15.00 करोड़ का मशीनरी अग्रिम प्रदान किया गया |

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुबंधों की सामान्य शर्तों में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि जिस मशीनरी के सापेक्ष मशीनरी अग्रिम प्रदान किया गया, उसे सरकार के पक्ष में दृष्टिबंधक होना था तथा इस सम्बन्ध में कोई अपवाद नहीं दिया गया था। अग्रेतर, राज्य सरकार द्वारा उन मशीनों हेतु मशीनरी अग्रिम प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया जो अनुबंध की तिथि से पहले क्रय की गयी थीं तथा मशीनरी अग्रिम के योग्य नहीं थीं।

अत: अनुबंधों का गठन करने से पूर्व क्रय की गयी मशीनों हेतु मशीनरी अग्रिम प्रदान किय जाना एवं सरकार के पक्ष में मशीनों का दृष्टिबंधक न होना अनियमित था तथा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

3.10.4 विविध प्रकीर्ण अग्रिमों का लंबित समायोजन

विविध प्रकीर्ण अग्रिम एक अस्थायी लेखाशीर्ष है जिसका उद्देश्य निक्षेप कार्यों पर प्राप्त निक्षेप राशि से अधिक व्यय, नकदी या भंडार में कमी के कारण होने वाली हानि, समायोजन हेतु प्रतीक्षारत लेखों की त्रुटियाँ तथा विवरण के अभाव में ऐसी मदों को, जिनको वसूली या निपटान होने तक समायोजित नहीं किया जा सकता, को अभिलेखित करना है। इनका यथाशीघ्र निपटान किया जाना आवश्यक होता है। यद्दपि, नमूना जांच किये गये 17 में से 10 खण्डों में, विविध प्रकीर्ण अग्रिम के रूप में ₹ 76.48 करोड़ समायोजन हेतु शेष था ***(परिशिष्ट 3.24)***। खण्डों द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण डेबिट संबंधी विवरण जैसे शुल्क की प्रकृति, अनुबंध/आपूर्ति आदेश जिससे वह संबंधित है आदि का लेखापरीक्षा में विश्लेषण नहीं किया जा सका। उपरोक्त विविध प्रकीर्ण अग्रिम को, सरयू नहर परियोजना के व्यय पर अस्थायी रूप से भारित करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों, फर्मों तथा अन्य को प्रदान किया गया।

लेखापरीक्षा में इन तथ्यों को इंगित किये जाने पर संबंधित खण्डों द्वारा दीर्घावधि तक अग्रिमों का समायोजन न किये जाने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया तथा मात्र यह कहा कि अग्रिमों के समायोजन हेतु कार्यवाही की जायेगी। दीर्घावधि तक अग्रिम के असमायोजित रहने की स्थिति में इसके दुरुपयोग का भी जोखिम था। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि भूमि के पंजीकरण एवं निर्माण सामग्रियों के क्रय के सम्बन्ध में प्रमाणक प्राप्त हो गये थे तथा अग्रिमों को निर्माण खण्डों के स्तर पर समायोजित किया गया था। यद्यपि, राज्य सरकार ने अपने कथन

के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये। नमूना जांच किये गये दो खण्डों[30] में लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों के अग्रेतर सत्यापन में यह ज्ञात हुआ कि फरवरी 2024 तक ₹ 194.84 लाख के अग्रिम, असमायोजित पड़े थे जो राज्य सरकार के इस कथन का खंडन करता है कि अग्रिमों का समायोजन कर लिया गया था।

निष्कर्ष में, शिथिल व्यय प्रबंधन के कारण परियोजना, समय पर धन की उपलब्धता से वंचित रही। अनधिकृत वित्तीय देनदारियां सृजित हुयीं तथा श्रम उपकर के भुगतान हेतु निर्धारित धनराशि का अनाधिकृत उपयोग किया गया। विभाग लक्ष्य के अनुरूप भूमि क्रय करने में विफल रहा। कार्यों के निष्पादन में विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार करने में तदर्थता बरती गयी। डिज़ाइन एवं ड्राइंग को अंतिम रूप दिये बिना ही अनुबंध गठित किये गये जिसके कारण कार्य परिधि में कई बार परिवर्तन हुआ। ठेकेदार न केवल कार्य को समय से पूर्ण नहीं कर सके अपितु प्राक्कलन में अधिक दर अनुमन्य करने के कारण उन्हें अनुचित लाभ हुआ। अधिक और अनियमित व्यय के अनेक प्रकरण देखे गये। नमूना जांच किये गये 39 प्रतिशत अनुबंधों में निविदा जमा करने हेतु अपर्याप्त समय दिया गया। गुणवत्ता जांच निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं करायी गयी तथा आंतरिक नियंत्रण शिथिल था क्योंकि 2017-22 की अवधि में तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तकनीकी निरीक्षण नहीं किया गया था। मुख्य अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी अपर्याप्त थे। अभिलेखीकरण और साक्ष्य कमज़ोर थे, जिससे अधिकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में त्रुटियों पर ध्यान देने से वंचित रहे।

अनुशंसा 4: *कई योजनाओं/कार्यक्रमों में समय और लागत वृद्धि की स्थिति बनी रहने के दृष्टिगत, राज्य सरकार को परियोजना निष्पादन में हुई चूक और विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करना चाहिये।*

अनुशंसा 5: *राज्य सरकार को वित्तीय देनदारियों के निपटान के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए तथा परियोजना का यथाशीघ्र वित्तीय समापन सुनिश्चित करना चाहिए।*

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि अनुबंधों के वित्तीय समापन की कार्यवाही प्रगति पर थी।

[30] सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर (₹185.72 लाख) और राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर (₹9.12 लाख)।

अनुशंसा 6: *राज्य सरकार को उन परिस्थितियों का पता लगाना चाहिए जिसके कारण डिज़ाइन, ड्राइंग एवं कार्य की मात्राओं को अंतिम रुप दिये बिना कार्यों के ठेके दे दिये गये थे।*

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि संरचनाओं के निर्माण हेतु तैयार किये गये ड्राइंग के आधार पर अनुबंध गठित किये गये थे तथा कार्यों को अनुबंधित दरों पर सम्पादित किया गया था। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि तत्कालीन परिस्थिति एवं अन्य बाधाओं के कारण कार्य निष्पादन में विलम्ब हुआ।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्राक्कलन में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रतीकात्मक ड्राइंग[31] *के आधार पर आगणन तैयार किये गये थे।*

अनुशंसा 7: *परियोजना की प्रमुख संरचनाओं के निर्माण की गुणवत्ता का सत्यापन किया जाना चाहिये।*

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता परीक्षण किये गये थे तथा कार्य संपादन में त्रुटियों के संबंध में कटौतियाँ की गयीं थीं।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मिट्टी के कार्य के गुणवत्ता परीक्षण नहीं कराये गये थें तथा पक्की संरचनाओ के संबंध में निर्धारित 15 प्रकार के परीक्षणों में से केवल दो ही कराये गये थे।

अनुशंसा 8: *नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा, तकनीकी निरीक्षण और अभिलेखों एवं दस्तावेजों के रखरखाव के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण तंत्र सुदृढ़ किया जाना चाहिये।*

---

[31] प्रतीकात्मक ड्राइंग परियोजना की विभिन्न संरचनाओं के मानक चित्र हैं। संरचना का निर्माण यद्यपि, वास्तविक ड्राइंग के आधार पर किया जाता है जिसमें संरचना के स्थान, भौगोलिक स्थिति, संरचना का उद्देश्य आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

अध्याय - IV

परियोजना से प्राप्तियाँ

अध्याय - IV

परियोजना से प्राप्तियाँ

यह अध्याय सरयू नहर परियोजना के क्रियान्वयन/निष्पादन से अपेक्षित प्राप्तियों के सापेक्ष उपलब्धियों से संबंधित है।

लेखापरीक्षा उद्देश्यः ***क्या अपेक्षित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का सृजन एवं उपयोग हुआ ?***

अध्याय का सारांश

- सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत, 894 नहरों का निर्माण कर 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में खरीफ और रबी फसलों में 14.04 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जाना था। यद्यपि, विभाग द्वारा नहरवार निर्माण की स्थिति प्रदान नहीं की गयी जिसके कारण नहरों के निर्माण की समग्र स्थिति तथा परियोजना के अंतर्गत कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सृजन को लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं किया जा सका।
- यह परियोजना दिसंबर 2021 में लोकार्पित की गयी। यद्यपि, मार्च 2022 तक, 5,377.44 किलोमीटर के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 228.47 किलोमीटर राजवाहा तथा अल्पिका नहरों का निर्माण नहीं हुआ। अग्रेतर, नमूना जांच किये गये 17 खण्डों में, 432 नहरों में से 29 नहरों का निर्माण या तो हुआ नहीं या इन्हें टुकड़ो में निर्मित किया गया था।
- समादेश क्षेत्र के विकास का कार्य भी पिछड़ा हुआ था तथा परियोजना के अंतर्गत 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सृजन के सापेक्ष मात्र 20 प्रतिशत क्षेत्र में ही समादेश क्षेत्र विकास का कार्य हुआ था।
- नहरों से खेतों तक जल पहुंचाने के लिये कुलाबों और सम्प्स का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ था।

4.1 परिचय

सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत 2019-20[1] तक, उत्तर प्रदेश के नौ पूर्वी जिलों के 11.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का सृजन अपेक्षित था। एक नहर तंत्र, जिसमें मुख्य नहरें (257.367 किलोमीटर), शाखा नहरें (776.606 किलोमीटर) तथा राजवाहा एवं अल्पिका नहरें (5,377.44 किलोमीटर) सम्मिलित थीं, बनाया जाना था जिससे 14.04 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता[2] (खरीफ: 9.24 लाख हेक्टेयर और रबी: 4.80 लाख हेक्टेयर) प्राप्त करने हेतु सिंचाई का जल खेतों तक पहुँचाया जा सके। सिंचाई के लिये कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से परियोजना में वर्तमान फसल पद्धति में परिवर्तन का भी लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त, फसलों की उत्पादकता को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

4.2 परियोजना की पूर्णता एवं लोकार्पण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण के कार्य 2003-04 की लक्षित तिथि तक पूर्ण नहीं हुए थे तथा मार्च 2022 तक किये जाते रहे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना के वर्ष 2017 में हुए लागत संशोधन तक भी 540.03 किलोमीटर नहरें अपूर्ण थीं। कई नहरों में गैप था जिसके कारण नहरों के बीच हाइड्रोलिक संयोजन स्थापित नहीं हो पाया था। इसके कारण, लगभग 3.10 लाख हेक्टेयर सृजित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र सूखा रहा तथा प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्मित नहरों के उपयोग का लक्ष्य वर्ष 2017 तक आंशिक रूप से ही प्राप्त हो सका था। इसी प्रकार से, तृतीय चरण का कार्य मार्च 2022 तक किया जाता रहा, जबकि इन्हें मूल रूप से 2014[3] तक पूर्ण कर लिया जाना था।

परियोजना दिसंबर 2021 में लोकार्पित हुयी। यद्यपि, सरयू नहर परियोजना के मुख्य अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार, मार्च 2022 तक 5,377.44 किलोमीटर के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 228.47 किलोमीटर राजवाहा और अल्पिका नहरों का निर्माण नहीं हुआ। नमूना जांच किये गये खण्डों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि नवंबर 2023 तक कई नहरों का निर्माण या तो प्रारंभ नहीं हुआ था या उनमें गैप था।

मार्च 2022 तक लगभग 228.47 किलोमीटर राजवाहा और अल्पिका नहरों का निर्माण नहीं किया गया।

1 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017 के अनुसार|
2 खरीफ और रबी के मौसम में सकल सिंचाई|
3 पूर्ण होने की संशोधित तिथिः दिसंबर 2019|

उपरोक्त के अतिरिक्त, नहरों पर कुलाबे एवं सम्प्स भी अपूर्ण थे। सरयू नहर परियोजना के मुख्य अभियंताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार सरयू नहर परियोजना के कार्यों के लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष उपलब्धियों का विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: कार्यों के पूर्ण होने का लक्ष्य और उपलब्धि

अवयव	लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च 2022 तक)
(1)	(2)	(3)
मुख्य नहरें (किलोमीटर)	257.367	257.367
शाखा नहरें (किलोमीटर)	776.606	776.606
राजवाहा एवं अल्पिका नहरें (किलोमीटर)	5,377.440	5148.970
पंप नहरें (संख्या)	04	04
नाला (किलोमीटर)	3996.660	3858.210
कुलाबा (संख्या)	17639	16585
सम्पस (संख्या)	942	शून्य

(स्रोतः, सरयू नहर परियोजना के मुख्य अभियंताओं द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

उत्तर में राज्य सरकार द्वारा बताया गया (नवंबर 2023) कि भूमि क्रय से संबंधित विभिन्न कारणों से प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत कुछ नहरों का निर्माण उनकी पूर्ण लंबाई में नहीं किया गया था। इसके कारण इन नहरों में हाइड्रोलिक संयोजन पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया था। राज्य सरकार ने आगे कहा कि वर्तमान में नहर निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है और नहरों में जल छोड़ा जा रहा है।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नमूना जांच किये गये खण्डों में लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2022 तक अनेक नहरों, कुलाबों और सम्प्स का निर्माण कार्य अपूर्ण था, जैसाकि आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी हैः

4.3 नहरों का निर्माण

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, परियोजना के अंतर्गत 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र हेतु 894 नहरों[4] का निर्माण किया जाना था। विभाग ने इन 894 नहरों के निर्माण की नहरवार स्थिति उपलब्ध नहीं करायी जिसके कारण परियोजना के अंतर्गत नहरों के निर्माण और कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सृजन की समग्र स्थिति को लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं किया जा सका।

[4] मुख्य नहरों, शाखा नहरों, राजवाहा नहरों तथा अल्पिका नहरों को सम्मिलित कर।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने 17 नमूना जांच किये गये खण्डों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 432 नहरों में से 29 नहरों का निर्माण या तो नहीं किया गया अथवा टुकड़ों में किया गया, जैसाकि आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

4.3.1 प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण की नहरों का अपूर्ण निर्माण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये पांच खण्डों में[5], आठ नहरों का या तो निर्माण नहीं किया गया अथवा टुकड़ों में किया गया जैसाकि **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण की अपूर्ण नहरें

क्रम संख्या	नहर का नाम	उद्गम बिन्दु	कुल लंबाई (किलोमीटर)/ कृषि योग्य समादेश क्षेत्र (हेक्टेयर)	नहर के निर्माण न होने का विवरण			
				गैपों की संख्या	पहले गैप का चैनेज (किलोमीटर)	नहर की अनुपयोगी लंबाई[6] (प्रतिशत)	अनुपयोगी कृषि योग्य समादेश क्षेत्र[7] (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	पायर कोहना अल्पिका	जगदीशपुर राजवाहा	6.20 720	3	1.87	4.323	470
2	नेटुवा अल्पिका	टिनिच राजवाहा	3.15 679	2	1.98	1.17	398
3	कौरहे अल्पिका	मेघवा राजवाहा	3.50 350	4	0.950	3.41	255
4	इटवा शाखा	उतरौला पंप नहर	25.30 33229	अनुपलब्ध	18.30	7.00	9194
5	मैना राजवाहा	इटवा शाखा	18.36 7173	01	11.35	7.01	2739
6	किशुनपुर अल्पिका	नगर राजवाहा	4.65 720	अनुपलब्ध	2.5	2.15	333
7	वीरपुर अल्पिका	नगर राजवाहा	4.81 557	अनुपलब्ध	1.08	3.73	432
8	महादेवरी अल्पिका	हरैया राजवाहा	6.02 873	अनुपलब्ध	5.71	0.31	45
योग			**71.99 44,301**			**29.103 (40)**	**13866 (31)**

(स्रोतः खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

5 चयनित 17 खण्डों में से पांच खण्ड प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत नहरों के निर्माण में नियोजित थे।

6 प्रथम गैप के पश्चात नहरों की शेष लंबाई।

7 खण्डों द्वारा लेखापरीक्षा को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण क्रम संख्या 4 से 8 के प्रकरणों में कृषि योग्य समादेश क्षेत्र की आनुपातिक रूप से गणना की गयी।

जैसा कि **तालिका-4.2** से स्पष्ट है, परियोजना के पांच नमूना जांच किये गये खण्डों में 71.990 किलोमीटर नहरें, जिनका कृषि योग्य समादेश क्षेत्र 44,301 हेक्टेयर था, गैप के कारण आंशिक रूप से ही पूर्ण हो पायीं थीं जिसके कारण 29.103 किलोमीटर लम्बाई में नहरें अनुपयोगी रहीं।

4.3.2 तृतीय चरण में अनिर्मित/आंशिक रूप से निर्मित नहरें

लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गये 12 खण्डों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि तृतीय चरण के अंतर्गत राप्ती मुख्य नहर, कैम्पियरगंज शाखा नहर एवं उनकी वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु प्रस्तावित 96 नहरों में से 0.24 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र वाली 18 नहरों का निर्माण मार्च 2022 तक नहीं किया गया था, जैसा कि **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: अनिर्मित नहरों का विवरण

क्रम संख्या	नहर का नाम	पैतृक नहर	कृषि योग्य समादेश क्षेत्र (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सेमरी अल्पिका	पकड़िहवा अल्पिका	1,867
2	जोगिया अल्पिका	बैकुंठपुर राजवाहा	665
3	रामपुर अल्पिका	कैम्पियरगंज शाखा नहर	3,214
4	धारवार अल्पिका	रामपुर राजवाहा	958
5	सोनबरसा अल्पिका	बृजमनगंज राजवाहा	990
6	लक्ष्मीपुर राजवाहा	कैम्पियरगंज शाखा नहर	6,394
7	चैनपुर राजवाहा	लक्ष्मीपुर राजवाहा	580
8	महुरी अल्पिका	लक्ष्मीपुर राजवाहा	1,119
9	ककरही अल्पिका	लक्ष्मीपुर राजवाहा	957
10	सूरापार अल्पिका	लक्ष्मीपुर राजवाहा	465
11	शिवनाथपुर अल्पिका	लक्ष्मीपुर राजवाहा	732
12	पोखरभिंडा अल्पिका	लक्ष्मीपुर राजवाहा	917
13	हरैया अल्पिका	धरमपुर राजवाहा	1,514
14	रामनगर अल्पिका	धरमपुर राजवाहा	880
15	चौतरवा अल्पिका	धरमपुर राजवाहा	746
16	मोहम्मदपुर अल्पिका	धरमपुर राजवाहा	655
17	गोपालपुर अल्पिका	धरमपुर राजवाहा	641
18	इन्द्रपुर अल्पिका	धरमपुर राजवाहा	1,176
योग			**24,470**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त के अतिरिक्त, बनकटवा अल्पिका नहर की 9.200 किलोमीटर कुल डिजाइन लंबाई के सापेक्ष 2.210 किलोमीटर तक का निर्माण किया गया था तथा बनकटवा राजवाहा नहर 18.800 किलोमीटर की डिजाइन लंबाई के सापेक्ष मात्र 8.800 किलोमीटर तक निर्मित की गयी थी। इसके अतिरिक्त, 14.000 किलोमीटर लम्बाई की प्रेमपुर राजवाहा नहर में 4.500 किलोमीटर पर एक गैप था।

प्रथम चरण से तृतीय चरण के अंतर्गत नहरों के निर्माण की उपर्युक्त स्थिति नमूना जांच किये गये खण्डों के सम्बन्ध में थी, अत:, राज्य सरकार को परियोजना में प्रस्तावित कार्यों के अनुरूप नहरवार कार्यों की भौतिक पूर्णता की स्थिति का पता लगाना चाहिए तथा परियोजना को पूरी तरह से क्रियाशील बनाने हेतु अवशेष कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिये अविलम्ब कदम उठाने चाहिए।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (नवंबर 2023) कि केंद्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना के 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में से 1.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा दाब/स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से बढ़ायी जानी थी जिसके लिये परियोजना की स्वीकृत लागत में धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नहरों को दाब सिंचाई के अंतर्गत लिया गया है। राज्य सरकार ने आगे बताया कि भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से दाब सिंचाई प्रणाली के निर्माण के लिये परियोजना बनाने का कार्य प्रगति पर था।

तथ्य यथावत रहा कि सरयू नहर परियोजना में परिकल्पित नहरों का निर्माण नहीं किया गया तथा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया, अवशेष कार्यों को एक नयी परियोजना में लिया जा रहा था।

4.4 कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण

कुलाबा एक पक्की संरचना है जो नहर के लिये एक शीर्ष रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। सिंचाई के लिये खेतों तक नहर का जल पहुँचानें हेतु नहर के किनारों पर कुलाबे बनाये जाते हैं। परियोजना में ₹ 104.07 करोड़ की अनुमानित लागत से 17,639 कुलाबों एवं 942 सम्प्स के निर्माण का प्रावधान किया गया था।

राप्ती प्रणाली में निर्मित किसी भी नहर में कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण नहीं हुआ / इसके कारण मार्च 2022 तक नहरों से खेत तक जल की आपूर्ति नहीं की गयी /

लेखापरीक्षा द्वारा मुख्य अभियंता, सरयू नहर परियोजना के अभिलेखों में देखा गया कि मार्च 2022 तक 16,585 कुलाबों का निर्माण किया गया था। कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण न होने के कारण, नहर में जल उपलब्ध होने पर भी इसका उपयोग खेतों में सिंचाई के लिये नहीं किया जा सकता। सम्प्स का निर्माण नहीं करने का प्रतिकूल प्रभाव, राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के अंतर्गत सृजित 2.18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के संबंध में अधिक गंभीर था क्योंकि प्रणाली के अंतर्गत 0.87 लाख हेक्टेयर (40 प्रतिशत) कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का आच्छादन दाब सिंचाई के अंतर्गत किया जाना था। इस संबंध में लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मार्च 2022 तक राप्ती प्रणाली में निर्मित किसी भी नहर में कुलाबा एवं सम्प्स का निर्माण नहीं किया गया था जिसके कारण नहरों से खेतों तक जल आपूर्ति नहीं हुई थी। नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा बताया गया कि कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण भविष्य में अलग परियोजना के माध्यम से किया जाएगा।

लेखापरीक्षा द्वारा किये गये स्थलीय भ्रमण में यह देखा गया कि राप्ती प्रणाली के कुछ स्थानों पर किसानों द्वारा जल का उपयोग अपने निजी साधनों से नहरों से जल को पंप करके किया जा रहा था जैसाकि नीचे दिये गये छायाचित्र में भी देखा जा सकता है।

छायाचित्र-4.1: राप्ती मुख्य नहर से पम्प द्वारा जल निकालते कृषक

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि राप्ती मुख्य नहर के किलोमीटर 0.000 से 125.682 के मध्य, वितरण प्रणालियों में कुलाबों/ सम्प्स के निर्माण की परियोजनाओं को 2023-2025 में निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया है।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ₹ 104.07 करोड़ की अनुमानित लागत से 17,639 कुलाबों तथा 942 सम्प्स का निर्माण पहले से ही सरयू नहर परियोजना (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017) में सम्मिलित था। यद्यपि, मार्च 2022 तक मात्र 16,585 कुलाबे बनाये गये थे तथा सम्प्स का कार्य आरम्भ नहीं किया गया था। अतः सरयू नहर परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का भाग होने के पश्चात भी, जल को खेत तक ले जाने के लिये राप्ती मुख्य नहर की वितरण प्रणाली में कुलाबों/सम्प्स का निर्माण नहीं किया गया था।

4.5 कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का उपयोग

लेखापरीक्षा में नहर तंत्र के शीर्ष पर जल की उपलब्धता में कमी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप नहर तंत्र में तथा खेतों में जल की अपर्याप्त आपूर्ति हुयी। निर्मित नहरों के समादेश क्षेत्र का विकास भी आवश्यकता से पीछे चल रहा था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

4.5.1 नदियों से जल प्राप्त करने की व्यवस्था

सरयू नहर परियोजना के 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में से 2.18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का सृजन राप्ती रोहिन दोआब (राप्ती मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली) में किया जाना था तथा शेष 9.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र घाघरा राप्ती दोआब में स्थित था। सरयू नदी पर स्थित सरयू बैराज को सरयू योजक नहर के माध्यम से गिरिजा बैराज से 360 क्यूमेक जल प्राप्त होता है। सरयू मुख्य नहर जो सरयू बैराज के बायें किनारे से निकलती है, राप्ती घाघरा दोआब तथा राप्ती रोहिन दोआब, दोनों को जल प्रदान करती है। सरयू मुख्य नहर किलोमीटर 63.150 पर अपनी टेल पर गोंडा और बस्ती शाखाओं में विभाजित हो जाती है। गोंडा तथा बस्ती शाखाओं के अतिरिक्त सात अन्य शाखा नहरों का तंत्र, यथा इमामगंज, तरबगंज, मनकापुर, टिकरी, इटियाथोक, बांसी और खलीलाबाद पूरे घाघरा राप्ती दोआब को आच्छादित करता है। इसी प्रकार से, राप्ती रोहिन दोआब को जल, राप्ती मुख्य नहर जो राप्ती बैराज के बायें किनारे से निकलती है तथा कैम्पियरगंज शाखा नहर जो बाणगंगा नदी से निकलती है, से प्राप्त होता है। सरयू नहर परियोजना के नहर तंत्र में जल की आपूर्ति की योजना को **तालिका 4.4(अ) एवं 4.4(ब)** में भी दर्शाया गया है।

तालिका 4.4(अ): घाघरा राप्ती दोआब में जल की आपूर्ति हेतु नहर प्रणाली का तंत्र

बैराज/पोषक नहर का नाम	जल प्राप्त करने वाली नहरों/बैराज का नाम
गिरिजा बैराज	सरयू योजक नहर
सरयू योजक नहर	सरयू बैराज
सरयू बैराज	सरयू मुख्य नहर एवं इसकी प्रणाली
सरयू मुख्य नहर	(1) इमामगंज शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली (2) बस्ती शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली (3) गोण्डा शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली इसके अतिरिक्त, सरयू मुख्य नहर राप्ती प्रणाली हेतु राप्ती योजक नहर को 95 क्यूमेक जल भी प्रदान करती है।
गोण्डा शाखा	(4) तरबगंज शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली (5) इटियाथोक शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली (6) मनकापुर शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली
मनकापुर शाखा	(7) टिकरी शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली
बस्ती शाखा	(8) बांसी शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली (9) खलीलाबाद शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा प्रदान की गयी सूचना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)

तालिका 4.4(ब): राप्ती रोहिन दोआब की नहर प्रणाली में जल की आपूर्ति का तंत्र

बैराज/पोषक नहर का नाम	जल प्राप्त करने वाली नहरों/बैराज का नाम
राप्ती योजक नहर	राप्ती बैराज
राप्ती बैराज	राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी प्रणाली
राप्ती मुख्य नहर	बाणगंगा बैराज
बाणगंगा बैराज	कैम्पियरगंज शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा प्रदान की गयी सूचना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)

उपरोक्त तालिकाओं में दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि सरयू नहर परियोजना के नहर तंत्र को जल मुख्य रूप से सरयू मुख्य नहर के माध्यम से प्रदान किया जाता है। सरयू मुख्य नहर से इमामगंज, गोंडा और बस्ती शाखा नहरें छः शाखा नहरों को जल प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, सरयू मुख्य नहर, राप्ती योजक नहर के माध्यम से राप्ती मुख्य नहर को भी जल प्रदान करती है।

4.5.1.1 नहर तंत्र में जल की आपूर्ति

परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में फसल हेतु जल की आवश्यकता, खरीफ मौसम के दौरान 76.20 से 359.42 क्यूमेक तथा रबी मौसम के दौरान 14.50 से 178.03 क्यूमेक आंकी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा 2017-22 के मध्य सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र में जल की वास्तविक मांग की तुलना में सरयू मुख्य नहर में जल की आपूर्ति किये जाने के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सरयू मुख्य नहर में जल की आपूर्ति की स्थिति **तालिका 4.5 और तालिका 4.6** में दी गयी है।

तालिका 4.5: सरयू मुख्य नहर के संचालन के दिवस

वर्ष	खरीफ (दिवसों की संख्या)			रबी (दिवसों की संख्या)		
	मांग	नहर का संचालन	कमी (प्रतिशत)	मांग	नहर का संचालन	कमी (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017-18	132	106	26 (20)	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	98	63	35 (36)	18	18	शून्य
2019-20	131	123	08 (06)	15	15	शून्य
2020-21	64	61	03 (05)	84	84	शून्य
2021-22	91	78	13 (14)	33	33	शून्य

नोट: 10 प्रतिशत से नीचे की कमी को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

(स्रोत: अधीक्षण अभियंता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

तालिका 4.6: सरयू मुख्य नहर में जल की आपूर्ति

वर्ष	खरीफ		रबी	
	उन दिवसों की संख्या जिनमें मांग के अनुसार जल नहीं छोड़ा गया (तालिका संख्या 4.5 के स्तंभ 3 में से)	जल की आपूर्ति में कमी का प्रतिशत[8] (स्तंभ 2 के सापेक्ष दिवसों की संख्या)	उन दिवसों की संख्या जिनमें मांग के अनुसार जल नहीं छोड़ा गया (तालिका संख्या 4.5 के स्तंभ 6 के सापेक्ष)	जल की आपूर्ति में कमी का प्रतिशत (स्तंभ 4 के सापेक्ष दिवसों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017-18	74	14-50 (22) 54-88 (52)	शून्य	शून्य
2018-19	50	11-49 (43) 56-80 (07)	04	23-35 (02) 56-78 (02)
2019-20	61	12-44 (59)	15	48 (01)

[8] कमी का प्रतिशत दो समूहों में स्तम्भ (3) एवं स्तम्भ (5) में दर्शाया गया है जिसमें 11 से 50 प्रतिशत (पहली पंक्ति में) तथा 51 प्रतिशत एवं उससे अधिक (दूसरी पंक्ति में) है|

वर्ष	खरीफ		रबी	
	उन दिवसों की संख्या जिनमें मांग के अनुसार जल नहीं छोड़ा गया (तालिका संख्या 4.5 के स्तंभ 3 में से)	जल की आपूर्ति में कमी का प्रतिशत[8] (स्तंभ 2 के सापेक्ष दिवसों की संख्या)	उन दिवसों की संख्या जिनमें मांग के अनुसार जल नहीं छोड़ा गया (तालिका संख्या 4.5 के स्तंभ 6 के सापेक्ष)	जल की आपूर्ति में कमी का प्रतिशत (स्तंभ 4 के सापेक्ष दिवसों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		55-76 (02)		51-73 (14)
2020-21	23	12-45 (23)	76	13-50 (12) 54-93 (64)
2021-22	21	14-45 (12) 73 (09)	14	40 (02) 51-85 (12)

नोट: 10 प्रतिशत से नीचे की कमी को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

(स्रोत: अधीक्षण अभियंता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि 2017-22 के मध्य जल की मांग के सापेक्ष खरीफ में 11 से 88 प्रतिशत तथा रबी में 13 से 93 प्रतिशत के बीच कम जल की आपूर्ति की गयी। सरयू मुख्य नहर में कम जल[9] आपूर्ति किये जाने से इससे जुड़ी इमामगंज, बस्ती तथा गोंडा शाखा नहरों में जल की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसाकि ***परिशिष्ट 4.1*** में वर्णित है।

2017-22 के मध्य खरीफ मौसम में 10 से 69 प्रतिशत नहरें तथा रबी मौसम में 26 से 85 प्रतिशत नहरें संचालित नहीं की गयीं।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि नमूना जांच किये गये पांच खण्डों[10] में, 2017-22 के मध्य खरीफ में 10 से 69 प्रतिशत नहरें तथा रबी में 26 से 85 प्रतिशत नहरें संचालित नहीं की गयीं। 2017-22 के मध्य नहरों के संचालन का विवरण निम्न प्रकार से था:

[9] अधीक्षण अभियंता, सिंचाई निर्माण मंडल, बहराइच द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 2017-22 के मध्य राप्ती योजक नहर में जल की कोई मांग नहीं थी, इसलिये सरयू मुख्य नहर से राप्ती योजक नहर में कोई जल आपूर्ति नहीं की गयी|

[10] प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण (घाघरा-राप्ती दोआब) की नहरें संचालित थीं। यद्यपि, मार्च 2022 तक तृतीय चरण (राप्ती-रोहिन दोआब) की कोई भी नहर संचालित नहीं थी। 17 खण्डों में से पांच खण्डों को, जो प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण की नहरों के संचालन में नियोजित थे, निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित किया गया| ये पांच खण्ड सरयू नहर खण्ड, अयोध्या, सरयू नहर खण्ड-2, गोंडा, सरयू नहर खण्ड-3, गोंडा, सरयू नहर खण्ड-4, गोंडा और सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती हैं।

तालिका 4.7: नमूना जांच किये गये खण्डों में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की नहरों के परिचालन की स्थिति

वर्ष	नहरों[11] की कुल संख्या	कृषि योग्य समादेश क्षेत्र[12]	चलित नहरों की संख्या (स्तंभ 2 का प्रतिशत)		संचालित नहीं की गयी नहरों की संख्या (स्तंभ 2 का प्रतिशत)	
			खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017-18	336	3,80,969	103 (31)	69 (21)	233 (69)	267 (79)
2018-19	336	3,80,969	119 (35)	52 (15)	217 (65)	284 (85)
2019-20	336	3,80,969	210 (63)	111 (33)	126 (37)	225 (67)
2020-21	336	3,80,969	248 (74)	183 (54)	88 (26)	153 (46)
2021-22	336	3,80,969	304 (90)	249 (74)	32 (10)	87 (26)
योग	**336**	**3,80,969**	**(31 से 90)**	**(15 से 74)**	**(10 से 69)**	**(26 से 85)**

(स्रोतः नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

संबंधित खण्डों द्वारा बताया गया कि नहरों का संचालन जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। राज्य सरकार ने उत्तर में (नवंबर 2023) वर्ष 2022-23 में (रबी और खरीफ दोनों मौसम में) तथा 2023-24 में (केवल खरीफ के मौसम में) नहर प्रणाली में जल छोड़े जाने का विवरण प्रदान किया तथा बताया कि 2022-23 एवं 2023-24 के मध्य मांग के सापेक्ष लगभग शत-प्रतिशत सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार द्वारा नहरों के संचालन न होने से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया तथा बताया (नवंबर 2023) कि समस्त पूर्ण नहरों को दिसंबर 2021 में परियोजना के लोकार्पित होने के बाद से संचालित किया जा रहा था।

यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा 2017 से 2022 के मध्य कम जल की आपूर्ति जैसाकि लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था, के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार का यह कथन भी स्वीकार्य नहीं था कि मांग के अनुरूप नहरों से जल उपलब्ध कराया जा रहा था क्योंकि सरकार द्वारा उत्तर में उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार रबी मौसम में सरयू मुख्य नहर में कम जल छोड़ा गया था (जनवरी 2023 के 11 दिवसों में मात्र 29 से 53 प्रतिशत, फरवरी 2023 के 20 दिवसों में 26 से 70 प्रतिशत तथा मार्च 2023 के 21 दिवसों में 26 से 74 प्रतिशत)।

---

[11] सरयू नहर खण्ड, अयोध्या (62 नहरें), सरयू नहर खण्ड-2, गोंडा (52 नहरें), सरयू नहर खण्ड-3, गोंडा (31 नहरें), सरयू नहर खण्ड-4, गोंडा (91 नहरें) तथा सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती (100 नहरें)।

[12] यह कृषि योग्य समादेश क्षेत्र गोण्डा, मनकापुर, टिकरी, इटियाथोक, खलीलाबाद एवं बस्ती शाखा नहरों एवं इनकी वितरण प्रणाली से संबंधित है।

अग्रेतर, परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिये विभाग द्वारा किये गये हाईड्रोलोजिकल सर्वे में रबी के मौसम में परियोजना की नहरों में कम जल की उपलब्धता का उल्लेख किया गया था। रबी मौसम के लिये जल की अपर्याप्त उपलब्धता अभी भी बनी हुयी है। अत: परियोजना के समादेश क्षेत्र में पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिये समाधानों की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता थी जिससे की किसानों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके।

नहरों में कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण न होने के कारण मार्च 2022 तक, राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रस्तावित सिंचाई प्रारम्भ नहीं हुयी थी।

4.6 सिंचाई आच्छादन

सरयू नहर परियोजना में दो फसली मौसम के दौरान, 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में 14.04 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया, जिसमें रबी: 4.80 लाख हेक्टेयर एवं खरीफ: 9.24 लाख हेक्टेयर सम्मिलित है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में 2017-22 के मध्य सिंचन क्षमता में कमी पायी गयी जैसाकि **तालिका 4.8** तथा **लेखाचित्र 4.1** एवं **4.2** में बताया गया है।

तालिका 4.8: सिंचाई आच्छादन का विवरण

(क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)

वर्ष	खरीफ			रबी		
	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	कमी (प्रतिशत)	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	कमी (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017-18	9.24	2.07 (22)	7.17 (78)	4.80	0.87 (18)	3.93 (82)
2018-19	9.24	2.14 (23)	7.10 (77)	4.80	0.99 (21)	3.81 (79)
2019-20	9.24	3.59 (39)	5.65 (61)	4.80	1.68 (35)	3.12 (65)
2020-21	9.24	4.29 (46)	4.95 (54)	4.80	2.19 (46)	2.61 (54)
2021-22	9.24	4.80 (52)	4.44 (48)	4.80	2.89 (60)	1.91 (40)

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा प्रदान की गई सूचना)

लेखाचित्र 4.1: खरीफ में सिंचाई सघनता में उपलब्धि	लेखाचित्र 4.2: रबी में सिंचाई सघनता में उपलब्धि
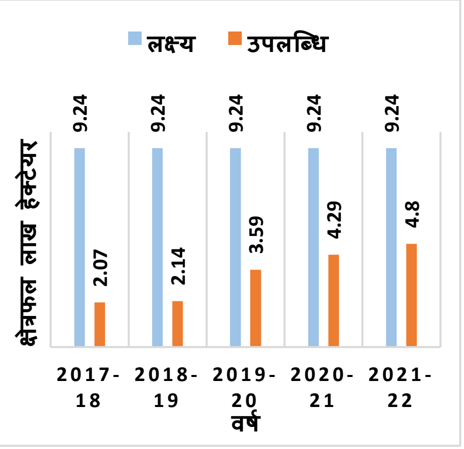	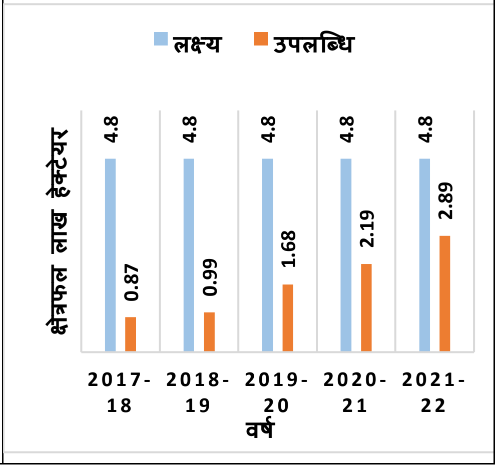

नमूना जांच किये गये खण्डों में सिंचाई सघनता में उपलब्धि की स्थिति ***परिशिष्ट 4.2*** में दी गयी है। इस प्रकार, खरीफ की अवधि में सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विस्तार में 48 से 78 प्रतिशत के बीच कमी थी, जबकि नमूना जांच किये गये खण्डों में यह 41 से 80 प्रतिशत की थी। इसी प्रकार, रबी में कुल कमी 40 से 82 प्रतिशत के मध्य थी, जबकि नमूना जांच किये गये खण्डों में यह कमी 32 से 86 प्रतिशत के मध्य थी। अन्य कारणों में, नहरों से खेतों तक जल ले जाने के लिये कुलाबों एवं सम्प्स के अभाव में राप्ती मुख्य नहर प्रणाली के अंतर्गत सृजित 2.18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र (सिंचन क्षमता: 3.27 लाख हेक्टेयर) का उपयोग न होना था, जिससे सिंचन क्षमता के सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों में भी अत्यधिक गिरावट आयी।

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि समादेश क्षेत्र के विकास का कार्य ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा था, जिसके पश्चात, परियोजना के संपूर्ण समादेश क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिये जल सुगमता से मिल सकेगा।

तथ्य यथावत रहा कि परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात भी, खरीफ और रबी दोनों फसलों हेतु निर्धारित सिंचाई लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

4.7 समादेश क्षेत्र का विकास

मार्च 2023 तक परियोजना के मात्र 20 प्रतिशत क्षेत्र में समादेश क्षेत्र विकास का कार्य पूर्ण हुआ।

खेतों में नहर के जल का इष्टतम उपयोग नहर प्रणाली के समादेश क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम को समग्र रूप से लागू किया जाना चाहिए जिससे कि सृजित सिंचन क्षमता का उपयोग उसका सृजन होने के तुरंत बाद हो सके, जल उपयोग दक्षता में सुधार हो, कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हो तथा सहभागी परिवेश में सिंचित कृषि में सततता बनी रहे।

भारत सरकार द्वारा सितंबर 2015 में निर्गत समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार समादेश क्षेत्र विकास की गतिविधियों में अन्य के साथ, सर्वेक्षण, नियोजन, डिजाइन तथा गुल निर्माण सहित कृषि भूमि पर विकास कार्य का निष्पादन सम्मिलित था। समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम को 2015-16 के बाद से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी के अंतर्गत लागू किया गया। सिंचाई में जल उपयोग दक्षता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम में कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई ढांचे का विकास करने का लक्ष्य है जिससे कि स्प्रिंकलर, रेन गन, पिवट इत्यादि के लिये भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली आदि जैसे उपकरणों के उपयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी, नहर प्रणालियों के समादेश क्षेत्र के विकास के लिये उत्तरदायी है। ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा 1999-2000 में तीन चरणों में सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र के विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसका विवरण **तालिका 4.9** में दिया गया है।

तालिका 4.9: समादेश क्षेत्र के विकास हेतु किये गये कार्यों का विवरण

चरण	प्रस्तावित क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	वर्ष जिसमें कार्य प्रारंभ किया गया	पूर्ण होने का वर्ष	विकसित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	व्यय (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम चरण	1.62	124.00	1999-00	2008-09	1.62	143.96
द्वितीय चरण	2.80	571.90	2009-10	अपूर्ण	0.65	उपलब्ध नहीं कराया गया

चरण	प्रस्तावित क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	वर्ष जिसमें कार्य प्रारंभ किया गया	पूर्ण होने का वर्ष	विकसित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	व्यय (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तृतीय चरण	4.80	उपलब्ध नहीं कराया गया	2021-22	प्रगति पर	प्रगति में	6.26[13]
योग	**9.22**				**2.27**	

(स्रोत: ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना)

सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत सृजन हेतु कुल प्रस्तावित 11.29 लाख हेक्टेयर में से, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी ने प्रथम चरण के अंतर्गत 11,894.621 किलोमीटर कच्ची गुलों, 1,347.39 किलोमीटर पक्की गुलों तथा 353.66 किलोमीटर जल निकास नालियों का निर्माण कर 1.62 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र (205 नहरें) का विकास किया (1999-2009)। अग्रेतर, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा 2009-10 में द्वितीय चरण के अंतर्गत 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विकास कार्य प्रारम्भ किया गया परन्तु मार्च 2018 तक मात्र 0.65 लाख हेक्टेयर (23 प्रतिशत) क्षेत्र ही विकसित हुआ। इस संबंध में अभिलेखों की अग्रेतर जांच से पता चला कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने द्वितीय चरण (1.64 लाख हेक्टेयर[14]) के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिये 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' के अंतर्गत धन की मांग हेतु फरवरी 2019 में भारत सरकार को एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रेषित किया। यद्यपि भारत सरकार ने, द्वितीय चरण के शेष क्षेत्र (1.64 लाख हेक्टेयर) तथा ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा नहीं लिये गये 2.07 लाख हेक्टेयर[15] क्षेत्र (कुल 3.71 लाख हेक्टेयर[16]) के संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया

[13] मार्च 2023 तक|

[14] द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र = 2.80 लाख हेक्टेयर - 0.51 लाख हेक्टेयर (अनुपयोगी क्षेत्र) - 0.65 लाख हेक्टेयर (विकसित क्षेत्र) = 1.64 लाख हेक्टेयर|

[15] 11.29 लाख हेक्टेयर - (1.62 + 2.80 + 4.80) लाख हेक्टेयर = 2.07 लाख हेक्टेयर|

[16] सिचाई एव जल संसाधन विभाग द्वारा कुल सृजित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र = 11.29 लाख हेक्टेयर| ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा प्रथम चरण में 1.62 लाख हेक्टेयर तथा द्वितीय चरण में 0.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया गया| ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा 0.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अनुपयोगी घोषित किया गया तथा तृतीय चरण में 4.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया| इस प्रकार, 3.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित किया जाना शेष था|

(जुलाई 2019)। यद्यपि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने मार्च 2023 तक पुनरीक्षित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित नहीं किया था।

इसके अतिरिक्त, तृतीय चरण के अंतर्गत 4.80 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र विकसित करने का कार्य भी 2021-22 में प्रारम्भ किया गया जो मार्च 2023 तक सर्वेक्षण तथा निविदा के चरण में था।

इस प्रकार, मार्च 2023 तक, सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कुल सृजित 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में से मात्र 2.27 लाख हेक्टेयर (20 प्रतिशत) क्षेत्र ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा विकसित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया तथा नमूना जांच की गयी नहरों के समादेश क्षेत्र में गुलों का न्यूनतम अस्तित्व देखा गया। नमूना जांच की गयी 35 नहरों में से मात्र एक नहर (चिलबिला अल्पिका नहर, सरयू नहर खण्ड, अयोध्या) में गुलें निर्मित पायी गयी। लेखापरीक्षा द्वारा दो नहरों के संबंध में यह भी पाया गया कि नहरों में कुलाबे स्थापित किये गये थे परन्तु खेतों तक जल ले जाने के लिये गुलों का निर्माण नहीं किया गया था जैसाकि नीचे दिये गये छायाचित्रों में देखा जा सकता है:

गुल रहित कुलाबों के छायाचित्र

छायाचित्र-4.2: बिरमापुर अल्पिका नहर	**छायाचित्र-4.3 चिलबिला अल्पिका नहर**[17]

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि भारत सरकार द्वारा सिंचाई के अंतर को पाटने हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरयू नहर परियोजना तृतीय चरण, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा द्वितीय चरण, बाणसागर नहर परियोजना तथा 15 अन्य परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत

[17] सरयू नहर खण्ड-4, गोंडा के अंतर्गत।

परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इन 15 परियोजनाओं में सरयू नहर परियोजना द्वितीय चरण (शेष क्षेत्र: 2.15 लाख हेक्टेयर) सम्मिलित था| तत्पश्चात, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी ने, 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' के अंतर्गत 1.64 लाख हेक्टेयर के विकास के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया तथा इसे अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रेषित कर दिया। उत्तर में भारत सरकार द्वारा 1.64 लाख हेक्टेयर के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के स्थान पर 3.71 लाख हेक्टेयर हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया। राज्य सरकार द्वारा आगे बताया गया कि सरयू और राप्ती नहर प्रणालियों के पूर्ण होने के पश्चात शेष क्षेत्र के विकास के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा तथा अनुमोदन के लिये प्रेषित किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि अधिकांश नहरों में कुलाबों का निर्माण पूरा हो चुका है।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया जिनके अंतर्गत 2009-10 से 2017-18 के मध्य मात्र 0.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का ही विकास किया जा सका। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने भारत सरकार की अपेक्षानुसार नवंबर 2023 तक 3.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जिसके कारण द्वितीय चरण के अंतर्गत 2.15 लाख हेक्टेयर में कार्य अपूर्ण रहा। परिणामस्वरूप, समादेश क्षेत्र का विकास पिछड़ गया तथा सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कुल 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में से मात्र 20 प्रतिशत क्षेत्र का विकास ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा नवंबर 2023 तक किया गया।

4.7.1 समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के घटकों का निष्पादन न किया जाना

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः, कृषि भूमि पर विकास कार्य जिसमें पक्की गुलों का निर्माण, पक्की जल निकासी नाली, मध्यवर्ती एवं योजक नालों का निर्माण, प्रणालीगत कमियों में सुधार एवं जल जमाव वाले क्षेत्रों का पुनरोद्धार, प्रत्येक परियोजना कम से कम 10 प्रतिशत कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई सुविधा का सृजन, सॉफ्टवेयर गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण, अनुश्रवण, मूल्यांकन, जल उपयोग दक्षता के सम्बन्ध में प्रदर्शन एवं अनुकूलन परीक्षण तथा पंजीकृत जल

उपयोगकर्ता संघों को कार्यात्मक/आधारभूत संरचना हेतु एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाना था। सितम्बर 2015 में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के सभी पहलुओं को एकीकृत, समेकित तथा समन्वित रूप से लिये जाने की आवश्यकता थी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2023 तक 2.27 लाख हेक्टेयर[18] क्षेत्र के विकास में, घटकों जैसे प्रणाली की कमियों का सुधार तथा जल-जमाव वाले क्षेत्रों का पुनरोद्धार, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का कम से कम 10 प्रतिशत, सॉफ्टवेयर गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण, अनुश्रवण, मूल्यांकन, जल उपयोग दक्षता के सम्बन्ध में प्रदर्शन एवं अनुकूलन परीक्षण तथा पंजीकृत जल उपयोगकर्ता संघों को एक बार कार्यात्मक/आधारभूत संरचना अनुदान को निष्पादित नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में '*पर ड्राप मोर क्रॉप*' घटक के अंतर्गत कुशल जल संवाहक तथा खेत में ड्रिप, स्प्रिंकलर, पिवोट्, रेन गन जैसे सटीक जल उपयोगी उपकरणों को बढ़ावा देना, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने पर जल को संग्रहित करने के लिये नहर प्रणाली के अंतिम छोर पर अतिरिक्त जल भंडारण संरचनायें, वैज्ञानिकता के साथ नमी संरक्षण एवं कृषि विज्ञान संबंधी उपायों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रसार गतिविधियां, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान, जल उपयोग दक्षता के क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी गतिविधियाँ, समुचित सिंचाई प्रौद्योगिकी, खेतों में जल प्रबंधन, सही समय पर सही फसल का चयन, आदि सम्मिलित थे। प्रदेश में इस योजना को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने क्रियान्वित किया।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, लखनऊ के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत आच्छादित आठ जनपदों[19] में ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु वर्ष 2017-22 में वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों को प्राप्त

---

[18] प्रथम चरण के कार्यों (1.62 लाख हेक्टेयर) के संबंध में घटक-वार विवरण प्रदान किया गया था तथा 0.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के द्वितीय चरण में विकास के संबंध में समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के घटकों के निष्पादन का विवरण प्रदान नहीं किया गया था।

[19] गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर तथा सिद्धार्थनगर। महराजगंज के संबंध में सूचनाये उपलब्ध नहीं करायी गयी।

नहीं किया गया। आठ जनपदों में 2017-22 के मध्य धन आवंटन और उसके सापेक्ष व्यय का विवरण ***परिशिष्ट 4.3(अ)*** में दिया गया है तथा **तालिका 4.10** में इन्हें सारांशित किया गया है।

तालिका 4.10: '*पर ड्राप मोर क्रॉप*' योजना में वित्तीय उपलब्धियाँ

वर्ष	वित्तीय उपलब्धियाँ (₹ लाख में)		
	आवंटन	व्यय (प्रतिशत)	समर्पण (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017-18	618.66	377.65 (61)	241.01 (39)
2018-19	973.90	947.58 (97)	26.32 (03)
2019-20	1,886.92	1,781.45 (94)	105.47 (06)
2020-21	2,512.50	2,499.02 (99)	13.48 (01)
2021-22	1,835.88	1,814.07 (99)	21.81 (01)

(स्रोत: निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें)

आठ जनपदों में 2017-22 के मध्य '*पर ड्राप मोर क्रॉप*' के भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 2017-18 में 20 से 72 प्रतिशत, 2018-19 में 39 से 100 प्रतिशत, 2019-20 में 71 से 100 प्रतिशत, 2020-21 में 21 से 100 प्रतिशत तथा 2021-22 में 15 से 63 प्रतिशत थी जैसाकि ***परिशिष्ट 4.3(ब)*** में वर्णित है। भौतिक लक्ष्यों में कमी, मुख्य रूप से नयी तकनीक को धीमी गति से अपनाने, अनुसूचित जाति उप योजना के इच्छुक एवं उपयुक्त कृषकों तथा लाभार्थियों की अनुपलब्धता तथा कोविड-19 महामारी के कारण थी। इस प्रकार, परियोजना के समादेश में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (नवंबर 2023) कि नहरों में जल संचालन होने के बाद ही गुलों एवं दाब कुओं का निर्धारण तथा निर्माण संभव था। राज्य सरकार ने आगे कहा कि 1.01 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में दाब/स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई प्रदान की जानी थी जिसके लिये धन का प्रावधान सरयू नहर परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 9,802.68 करोड़ में सम्मिलित नहीं था। राज्य सरकार ने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात, दाब सिंचाई के माध्यम से 900 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने के लिये भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की परियोजना पर पायलट परियोजना के रूप में कार्य प्रारम्भ किया गया था जो प्रगति पर था।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परियोजना लागत ₹ 9,802.68 करोड़ में, राप्ती मुख्य नहर तथा कैंपियरगंज शाखा नहर एवं

राजवाहा और अल्पिका नहरों के विभिन्न स्थानों पर सम्प्स (दाब कुआँ) के निर्माण के लिये ₹ 16.14 करोड़ सम्मिलित था।

4.7.2 जल उपयोगकर्ता संघ का गठन नहीं किया जाना

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कुलाबा, अल्पिका तथा राजवाहा नहर स्तर पर जल उपयोगकर्ता संघ का गठन किया जाना था, जिसका मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन में जल उपयोगकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा जल उपयोगकर्ताओं के बीच उनके क्षेत्र में स्थित सिंचाई प्रणाली के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा करना था।

यद्यपि, अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र में जल उपयोगकर्ता संघ का गठन नहीं हुआ था जिससे नहर तंत्र का कुशल संचालन प्रभावित हुआ।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (नवंबर 2023) कि सरयू नहर परियोजना के प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण में निर्मित नहरों के समादेश क्षेत्र में जल उपयोगकर्ता संघ के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

तथ्य यथावत रहा कि नहरों से जल वितरण के सबसे आवश्यक घटकों में से एक को निष्पादित नहीं किया जा सका, जिसके कारण जनभागीदारी के साथ नहरों में उपलब्ध जल के इष्टतम उपयोग का उद्देश्य नवंबर 2023 तक अप्राप्त रहा।

4.8 नहरों का अनुरक्षण

सृजित परिसंपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिये नहर संरचनाओं का उचित एवं आवधिक रखरखाव महत्वपूर्ण है। नियमित सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन के माध्यम से रखरखाव की आवश्यकता का आकलन, पर्याप्त धन की समय से उपलब्धता तथा नहरों के रखरखाव की प्रभावी प्रणाली वे घटक हैं जो संरचनाओं को उपयोग योग्य बनाये रखते हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षमता की नहरों के रखरखाव हेतु वित्त पोषण के संबंध में मानक[20] निर्धारित (दिसंबर 2000) किये गये थे।

---

[20] मुख्य नहर, शाखा तथा राजवाहा नहरों के लिये ₹ 210 प्रति हेक्टेयर तथा अल्पिका नहरों के लिये ₹195 प्रति हेक्टेयर|

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-22 के मध्य, नहरों के रखरखाव हेतु सरयू नहर परियोजना के मुख्य अभियंताओं को ₹100.81 करोड़ आवंटित किये गये थे, जिसमें नमूना जांच किये गये पांच खण्डों को नहर रखरखाव के लिये आवंटित ₹ 23.79 करोड़ सम्मिलित थे। यद्दपि, प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सरयू नहर परियोजना को बजट आवंटित किये जाने का कोई आधार नहीं बताया गया।

नमूना जांच किये गये पांच खण्डो में 2017-22 की अवधि में मानकों के सापेक्ष प्रति वर्ष धन की आवश्यकता एवं आवंटन का विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: नमूना जाँच किये गये खण्डों को बजट आवंटन

(₹ लाख में)

खण्ड का नाम	कुल नहरों की संख्या	कुल कृषि योग्य समादेश क्षेत्र (हेक्टेयर)	मानक के अनुसार प्रतिवर्ष धन की आवश्यकता	धन का आवंटन (प्रतिशत में)				
				2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	62	42,522	93.22	44.47	77.20	126.33	71.22	268.41
सरयू नहर खण्ड-2, गोंडा	52	79,534	161.94	10.00	8.00	6.00	48.86	196.45
सरयू नहर खण्ड-3, गोंडा	31	69,214	142.07	10.00	8.00	7.00	55.13	155.56
सरयू नहर खण्ड-4, गोंडा	91	1,15,836	232.37	10.00	18.00	28.86	58.37	259.03
सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	100	73,863	148.84	11.23	26.28	295.48	197.02	382.52
कुल योग	**336**	**3,80,969**	**778.44**	**85.70 (11)**	**137.48 (18)**	**463.67 (60)**	**430.60 (55)**	**1,261.97 (162)**

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये खण्डो से एकत्रित आंकड़े)

नमूना जांच किये गये पांच खण्डों ने 2017-22 के मध्य नहरों के रखरखाव के लिये धन की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया, जिसके कारण आवश्यकता के सापेक्ष धन की पर्याप्तता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यद्दपि, वर्ष 2000 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के सापेक्ष 2017-21 के मध्य नमूना जांच किये गये पाँच खण्डो को धनराशि का आवंटन मात्र 11 से 55 प्रतिशत था। यद्दपि, 2021-22 में धनराशि का आवंटन मानकों से अधिक (162 प्रतिशत) था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त वर्णित नमूना जांच किये गये पांच खण्डो में नहरों के रखरखाव के निष्पादन की भी जांच की गयी तथा पाया कि 2017-22 के मध्य, मात्र 12 से 83 प्रतिशत नहरों को रखरखाव के लिये लिया गया था जैसाकि **तालिका 4.12** में वर्णित है।

तालिका 4.12: 2017-22 के मध्य रखरखाव के लिये ली गयी नहरों का विवरण

खण्ड का नाम	कुल नहरों की संख्या	2017-18 नहरों की संख्या (प्रतिशत)	2018-19 नहरों की संख्या (प्रतिशत)	2019-20 नहरों की संख्या (प्रतिशत)	2020-21 नहरों की संख्या (प्रतिशत)	2021-22 नहरों की संख्या (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	62	25 (40)	28 (45)	32 (52)	12 (19)	17 (27)
सरयू नहर खण्ड-2, गोंडा	52	07 (13)	08 (15)	06 (12)	16 (31)	50 (96)
सरयू नहर खण्ड-3, गोंडा	31	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	16 (52)	31 (100)
सरयू नहर खण्ड-4, गोंडा	91	08 (09)	04 (04)	17 (19)	27 (30)	85 (93)
सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	100	00 (00)	06 (06)	39 (39)	14 (14)	95 (95)
कुल योग	**336**	**40 (12)**	**46 (14)**	**94 (28)**	**85 (25)**	**278 (83)**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्य पर व्यय की अनुसूची)

खण्डों द्वारा बताया गया कि धन की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत तथा नहरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रख-रखाव का कार्य किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित नहरों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से नहरों की ख़राब स्थिति संज्ञान में आयी जिसमें नहरें झाड़ियों/वनस्पतियों से पटी पड़ी थीं तथा अनेक नहरों के तट क्षतिग्रस्त थे जैसा कि नीचे दिये गये छायाचित्रों में दर्शाया गया है:

नहरों के खराब रखरखाव को दर्शाते छायाचित्र

छायाचित्र 4.4: चिलबिला अल्पिका नहर

छायाचित्र 4.5: उदयपुर अल्पिका नहर

छायाचित्र 4.6: बीरमापुर अल्पिका नहर

छायाचित्र 4.7: नारायणपुर राजवाहा नहर

उत्तर में राज्य सरकार द्वारा बताया (जनवरी 2024) गया कि सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत नहरों के वार्षिक अनुरक्षण हेतु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर ₹ 151.84 करोड़ की राशि का अनुमान लगाया गया जो अगले वर्ष के बजट प्रावधानों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित है।

इस प्रकार, परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक के निष्पादन में तदर्थता थी जिसके कारण परियोजना के अंतर्गत निर्मित नहरें भौतिक रूप से अत्यंत क्षतिग्रस्त स्थिति में थीं।

4.9 मानव संसाधन उपलब्धता

सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के लिये, नियोजन के अतिरिक्त अन्य पहलुओं जैसे तकनीकी, कृषि, पर्यावरणीय तथा वित्तीय योजना के साथ-साथ मानव संसाधन सहित उपयुक्त और पर्याप्त संगठनात्मक संरचना पर भी विचार किया जाना चाहिए तथा उचित अभिलेखीकरण के साथ पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन लगाया जाना चाहिये|

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित सिंचाई आदेशों का नियम संग्रह के अनुसार जिलेदार के साथ उप राजस्व अधिकारी नहर से राजस्व तथा राजस्व स्थापना से संबंधित प्रकरणों के लिये उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त अमीन, सिंचाई के मापन और राजस्व संग्रह के लिये जमाबंदी[21] तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। पतरोल का कार्य नहरों में जल प्रवाह के गेज को पढ़ना एवं सूचित करना है तथा प्रत्येक माह की 10वीं एवं 25वीं तिथि को गेज प्रतिवेदन में उस तिथि तक कुल सिंचित क्षेत्रों की सूचना देना है, साथ ही यह सूचना प्रपत्र 14ब में प्रत्येक माह की 25वीं तिथि तक जिलेदार को प्रस्तुत करना है।

मानव संसाधनों की कमी के कारण अभिलेखों का रखरखाव प्रभावित हो रहा था।

नमूना जांच किये गये खण्डों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा में प्रमुख मानव संसाधनों की कमी पायी गयी, जिससे सरयू नहर परियोजना का संचालन प्रभावित हुआ। लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गये 17 खण्डों में से 14 में पाया गया कि में 10 से 52 प्रतिशत पदों के संबंध में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त नहीं थे तथा यह कमी छह से 100 प्रतिशत के बीच थी। मानव संसाधन की कमी जिलेदार, सींच पर्यवेक्षक[22] और सींचपाल[23] जैसे पदों के संबंध में अधिक गंभीर थी, जो नहरों के संचालन तथा नहर राजस्व संबंधी प्रकरणों की देखरेख के लिये उत्तरदायी थे। नमूना जांच किये गये 17 खण्डों में से 14 में पाया गया कि उप राजस्व अधिकारी/जिलेदार नियुक्त नहीं थे तथा अन्य कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी, जो 11 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में दिया गया है। कर्मचारियों की कमी के कारण, सभी नमूना जांच किये गये खण्डों में नहरों के संचालन से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव बहुत खराब था।

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2024) कि राजस्व संबंधी कार्य आकस्मिकता मद के अंतर्गत ठेकेदारों से मानवशक्ति किराये पर लेकर निष्पादित किये गये।

यद्यपि, लेखापरीक्षा को नमूना जांच किये गये खण्डों में ऐसी नियुक्ति के संबंध में अभिलेखों में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

---

[21] प्रदान की गयी सिंचाई तथा लाभार्थियों से राजस्व संग्रहण के अभिलेख|

[22] जमाबंदी तैयार करना, जल उपयोगकर्ता संघ की सहायता करना तथा सींचपाल के कार्यों का अनुश्रवण करना।

[23] जल के गेज को अंकित करना एवं सूचित करना, कुलाबों की उपयुक्तता को सूचित करना, सिंचित क्षेत्र का अंकन करना आदि।

संक्षेप में, सरयू नहर परियोजना दिसंबर 2021 में लोकार्पित हुयी, जबकि कार्यों के सभी घटक पूर्ण नहीं हुए थे। नहरों के अपूर्ण निर्माण के कारण परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सृजन में कमी थी। इसके अतिरिक्त, कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण न होने के कारण खेतों तक जल नहीं पहुँचाया जा सका तथा नहरों में जल की उपलब्धता होने के पश्चात भी सृजित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो रहा था। सरयू मुख्य नहर में 2017-22 के मध्य खरीफ में मांग के सापेक्ष जल की आपूर्ति में 11 से 88 प्रतिशत तथा रबी में 13 से 93 प्रतिशत की कमी थी। नहरों के पर्याप्त रखरखाव में कमी थी जिससे कारण परियोजना के अन्तर्गत निर्मित नहरें क्षतिग्रस्त हुयीं।

समादेश क्षेत्र विकास का कार्य सृजित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के एक छोटे से भाग में ही पूर्ण किया गया था जिसके कारण प्रस्तावित सिंचाई सुविधा का विस्तार घाघरा राप्ती दोआब एवं राप्ती रोहिन दोआब में नहीं किया जा सका। जल उपयोगकर्ता संघों का गठन नहीं किया गया। नमूना जांच किये गये खण्डों में महत्वपूर्ण कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गयी जिसके कारण नहरों के संचालन से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव अपर्याप्त था।

अनुशंसा 9: *राज्य सरकार को कार्यों की भौतिक पूर्णता तथा कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सृजन की स्थिति का तत्काल निर्धारण करना चाहिये तथा तदनुसार ही शेष कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिये।*

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि अनेक स्थानों पर रेलवे पुलों का निर्माण किया जाना है तथा कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण न होने के कारण नहरों का संचालन बाधित था। राज्य सरकार ने अग्रेतर कहा कि इन प्रकरणों में कार्यवाही लगभग पूर्ण कर ली गयी है।

अनुशंसा 10: *राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्मित नहरों को कुलाबों तथा सम्प्स एवं कुलाबों से आगे गुलों एवं नालियों का निर्माण करके तत्काल उपयोग में लाया जाना चाहिये।*

अनुशंसा 11: *सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र में पर्याप्त जल, विशेषकर रबी मौसम में, उपलब्ध कराने हेतु समाधानों की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है जिससे कि कृषकों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके।*

अनुशंसा 12: *सृजित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र तथा उपयोग किये जा रहे कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के मध्य बड़े अंतर के दृष्टिगत समादेश क्षेत्र विकास के कार्यों की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है।*

अनुशंसा 13: *नहर तंत्र में उपलब्ध जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये जल उपयोगकर्ता संघों का गठन शीघ्र किया जाना चाहिये।*

अनुशंसा 14: *सृजित संपत्तियों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिये जिससे कि अपेक्षित लाभ प्राप्त करने हेतु इन्हें उपयोग करने योग्य बनाये रखा जाये।*

(राम हित)

प्रयागराज — प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

दिनांक 13 अप्रैल 2025 — उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक 17 APR 2025

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

सरयू नहर परियोजना के चरण

(संदर्भः प्रस्तर 1.1)

प्रथम चरण (पूर्ण होने की लक्षित तिथि: 1999-2000[1])

सरयू योजक नहर, सरयू बैराज, राप्ती बैराज के शीर्ष रेगुलेटर, उतरौला पंप नहर के शीर्ष, डुमरियागंज पंप नहर के शीर्ष, सरयू योजक नहर, सरयू मुख्य नहर, इमामगंज शाखा नहर, सरयू मुख्य नहर और इमामगंज शाखा नहर की वितरण प्रणाली, सरयू योजक नहर और सरयू मुख्य नहर के क्रॉस नाला कार्य/साइफन, सरयू नहर प्रणाली और इमामगंज शाखा नहर के पक्के कार्य।

द्वितीय चरण (पूर्ण होने की लक्षित तिथि: 2003-04)

अयोध्या पम्प नहर का पम्प गृह, गोला पम्प नहर का पम्प गृह, मुख्य नहर एवं शाखायें, अर्थात् बस्ती शाखा, गोण्डा शाखा, बांसी शाखा, तरबगंज शाखा, इटियाथोक शाखा, मनकापुर शाखा तथा खलीलाबाद शाखा एवं इनकी वितरण प्रणाली।

तृतीय चरण (पूर्ण होने की लक्षित तिथि: 2006)

राप्ती के उस पार के क्षेत्र में नहरों का निर्माण (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली)।

---

[1] इससे पूर्व में, प्रथम चरण के कार्यों को 1993-95 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

परिशिष्ट 1.2

सरयू नहर परियोजना के घटक

(संदर्भ: प्रस्तर 1.6)

अवयव	मात्रा	प्रस्तावित मात्रा
(1)	(2)	(3)
शीर्ष कार्य		
अतिरिक्त शीर्ष कार्य	संख्या	01
सरयू योजक नहर	संख्या	01
सरयू बैराज	संख्या	01
राप्ती बैराज	संख्या	01
मुख्य नहरें		
सरयू योजक नहर	किलोमीटर	47.135
सरयू मुख्य नहर	किलोमीटर	63.150
राप्ती मुख्य नहर	किलोमीटर	125.682
राप्ती योजक नहर	किलोमीटर	21.400
शाखा नहरें		
इमामगंज शाखा नहर	किलोमीटर	58.600
बस्ती शाखा नहर	किलोमीटर	160.800
गोण्डा शाखा नहर	किलोमीटर	120.600
बांसी शाखा नहर	किलोमीटर	67.360
तरबगंज शाखा नहर	किलोमीटर	89.800
इटियाथोक शाखा नहर	किलोमीटर	54.400
मनकापुर शाखा नहर	किलोमीटर	30.000
खलीलाबाद शाखा नहर	किलोमीटर	77.060
टिकरी शाखा नहर	किलोमीटर	55.880
कैम्पियरगंज शाखा नहर	किलोमीटर	62.106
राजवाहा एवं अल्पिका नहरें	किलोमीटर	5377.440
पंप नहरें		
अयोध्या पंप नहर	संख्या	01
डुमरियागंज पंप नहर	संख्या	01
उतरौला पंप नहर	संख्या	01
गोला पंप नहर	संख्या	01
नालियां	किलोमीटर	3996.660
कुलाबों का निर्माण	संख्या	17639
सम्प्स कुओं का निर्माण	संख्या	942
खेतों पर विकास	लाख हेक्टेयर	11.29

(स्रोत: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017)

परिशिष्ट 3.1
सरयू नहर परियोजना का वित्तीय विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.2.1)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	केंद्रीय ऋण सहायता/केंद्रीय सहायता				राज्यांश	सकल योग (स्तंभ 6+7)	व्यय	बचत/समर्पण
		ऋण	अनुदान सहायता	नाबार्ड सहायता	योग (स्तंभ 3+4+5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1977-1978 से 2016-17	466.55	1,583.65	238.39	2,288.59	2,997.34	5,285.93	5,185.43	100.50
2	2017-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	994.83	994.83	767.81	227.02
3	2018-2019	0.00	305.00	0.00	305.00	755.00	1,060.00	1,060.00	0.00
4	2019-2020	0.00	358.30	0.00	358.30	1,151.95	1,510.25	1,494.18	16.07
5	2020-2021	0.00	358.30	0.00	358.30	696.95	1,055.25	1,055.25	0.00
6	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	440.44	440.44	440.44	0.00
	योग	**466.55**	**2,605.25**	**238.39**	**3,310.19**	**7,036.51**	**10,346.70**	**10,003.11**	**343.59**

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं केंद्रीय जल आयोग का अनुश्रवण प्रतिवेदन)

वर्षवार बजट प्रावधान तथा केन्द्र एवं राज्य द्वारा निर्गत अंश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	बजट प्रावधान	आवंटन	अवमुक्त केन्द्रांश	अवमुक्त राज्यांश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2012-13	300.00	224.47	67.98	156.49
2	2013-14	750.00	499.70	380.75	118.95
3	2014-15	1,200.00	623.00	210.85	412.15
4	2015-16	800.00	834.00	500.00	334.00
5	2016-17	2,000.00	300.00	62.00	238.00
6	2017-18	1,002.11	994.83	0.00	994.83
7	2018-19	1,276.87	1,060.00	305.00	755.00
8	2019-20	1,420.25	1,510.25	358.30	1,151.95
9	2020-21	1,404.00	1,055.25	358.30	696.95
10	2021-22	610.00	440.44	0.00	440.44
	योग		**7,541.94**	**2,243.18**	**5,298.76**

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा बजट प्रावधान के लिये विनियोजन लेखा)

परिशिष्ट 3.2
भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

(संदर्भः प्रस्तर 3.2.2)

क्रम संख्या	कार्य मद	इकाई	लक्ष्य 2012-13	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य 2013-14	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य 2014-15	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य 12/2015 से 03/2016	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**भूमि**	हेक्टेयर	500.30	110.03	78	1800.00	540.25	70	1550.00	412.45	73	500.00	229.76	54
2	**पक्का जलस्तर वृद्धि तटबंद कार्य**	संख्या	06	00	100	05	03	40	00	00	00	02	00	100
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	1.400	0.000	100	5.500	0.000	100	0.000	0.000	00	0.000	0.000	000
3	**मुख्य नहर एवं शाखा नहर**													
	पक्का कार्य	संख्या	69	55	20	55	73	00	207	167	19	187	187	00
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	5.560	0.720	87	60.000	70.270	00	61.010	40.490	34	3.000	1.980	34
4	**राजवाहा एवं अल्पिका नहरें**													
	पक्का कार्य	संख्या	754	705	06	500	501	00	552	287	48	250	15	94
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	380.610	36.610	90	1200.000	106.450	91	792.000	64.270	92	270.000	6.500	98
5	**निकासी नहर**													
	पक्का कार्य	संख्या	10	16	00	10	17	00	08	15	00	05	00	100
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	7.170	5.890	18	7.170	0.190	97	3.100	0.140	95	1.500	0.000	100
6	**नाली**													
	पक्का कार्य	संख्या	103	139	00	1000	145	86	92	75	18	15	00	100
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	162.150	0.400	100	200.000	2.000	99	29.150	40.000	00	30.000	0.000	100
	प्रतिशत की सीमा[2]				**18 से 100**			**40 से 100**			**18 से 95**			**34 से 100**

[2] दस प्रतिशत तक की कम उपलब्धि को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

क्रम संख्या	कार्य मद	इकाई	लक्ष्य 2016-17	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य 2017-18	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य 2018-19	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य 2019-20	उपलब्धि	कमी प्रतिशत में
			(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	**भूमि**	हेक्टेयर	696.44	116.39	83	550	267.93	51	489.70	584.62	00	401.689	507.86	00
2	**पक्का जलस्तर वृद्धि तटबंद कार्य**	संख्या	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	16.500	0.700	96	7.900	00	100	2.680	2.000	25.000	16.500	00	100
3	**मुख्य नहर एवं शाखा नहर**													
	पक्का कार्य	संख्या	120	160	00	120	147	00	162	225	00	227	222	02
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	25.000	5.190	79	17.000	3.520	79	27.700	19.480	30.000	52.840	43.320	18
4	**राजवाहा एवं अल्पिका नहरें**													
	पक्का कार्य	संख्या	550	181.00	67	300	115	62	517	546	00	1490	1104	26
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	500.000	42.970	91	225.000	13.830	94	396.050	302.210	24.000	701.220	227.680	68
5	**निकासी नहर**													
	पक्का कार्य	संख्या	05	07	00	05	07	00	02	00	100	14	02	86
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	10.000	0.000	100	5.000	00	100	1.700	0.250	85.000	17.730	0.100	99
6	**नाली**													
	पक्का कार्य	संख्या	30.00	15.00	50	20	15	25	07	04	43	00	00	00
	मिट्टी का कार्य	किलोमीटर	100.000	0.000	100	50.000	43.000	14	37.000	14.750	60.000	84.100	2.800	97
प्रतिशत की सीमा					**50 से 100**			**14 से 100**			**24 से 100**			**18 से 100**

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.3

नमूना जांच किये गये खण्डों में कार्य पर लम्बित वित्तीय देनदारियां

(संदर्भः प्रस्तर 3.3)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कार्यों की देनदारियां
(1)	(2)	(3)
1	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	3.70
2	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	26.02
3	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	4.56
4	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ, सिद्धार्थनगर	21.98
5	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ, सिद्धार्थनगर	3.15
6	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ, सिद्धार्थनगर	11.58
7	सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच	6.22
8	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	11.00
9	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	0.30
10	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	3.33
11	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	9.10
12	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	3.90
13	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	1.55
14	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	2.07
योग		**108.461**

(स्रोतः नमूना किये गये खण्डों एवं अधीक्षण अभियंता, नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.4

नमूना जांच किये गये खण्डों में भूमि पर लम्बित वित्तीय देनदारियां

(संदर्भः प्रस्तर 3.3)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	भूमि अधिग्रहित किन्तु भुगतान अवशेष
(1)	(2)	(3)
1	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ, सिद्धार्थनगर	0.76
2	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ, सिद्धार्थनगर	0.66
3	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ, सिद्धार्थनगर	0.55
4	सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच	0.15
5	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	0.58
6	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	5.64
7	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	0.25
8	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	2.70
9	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	1.77
10	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	3.30
11	सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा	2.20
12	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	3.52
13	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	2.05
14	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	5.38
योग		**29.51**

(स्रोतः नमूना जांच किये गये खण्डों एवं अधीक्षण अभियंता, नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.5

1999-2022 के मध्य भूमि की लागत में वर्षवार वृद्धि

(संदर्भः प्रस्तर 3.4.1.2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्रय भूमि (हेक्टेयर में)	व्यय धनराशी	भूमि की लागत प्रति हेक्टेयर (स्तंभ 3/स्तंभ 2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1999-2000	1,102.45	25.10	0.02
2000-01	1,088.81	33.10	0.03
2001-02	1,622.30	58.87	0.04
2002-03	881.96	42.61	0.05
2003-04	851.35	34.19	0.04
2004-05	798.13	31.00	0.04
2005-06	1,704.77	92.23	0.05
योग (1999-2006)	**8,049.77**	**317.10**	**0.04**
2006-07	629.96	96.07	0.15
2007-08	503.80	48.46	0.10
2008-09	645.52	70.16	0.11
2009-10	75.80	6.06	0.08
योग (2006-2010)	**1,855.08**	**220.75**	**0.12**
2010-11	197.59	26.68	0.14
2011-12	62.47	14.35	0.23
2012-13	110.03	55.58	0.51
2013-14	540.25	143.71	0.27
2014-15	412.45	127.44	0.31
2015-16	229.76	214.49	0.93
2016-17	116.39	54.98	0.47
योग (2010-2017)	**1,668.94**	**637.23**	**0.41**
2017-18	267.93	479.94	1.79
2018-19	584.62	602.28	1.03
2019-20	507.86	851.32	1.68
2020-21	103.44	189.37	1.83
2021-22	23.51	54.07	2.30
योग (2017-2022)	**1,487.36**	**2,176.98**	**1.73**
कुल योग (1999-2022)	**13,061.15**	**3,352.06**	**3.90**

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या एवं मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-2, गोण्डा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.6

भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण न होना

(संदर्भः प्रस्तर 3.4.1.3)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कुल क्रय की गयी भूमि	हस्तांतरित भू- स्वामित्व	हस्तांतरित भू-स्वामित्व प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	213.45150	212.38950	99.50
2	सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा	68.85640	13.02400	18.90
3	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	273.22970	252.93620	92.60
4	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	123.10309	21.83090	17.70
5	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	162.24200	86.07800	53.10
6	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	35.09200	19.89770	56.70
7	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	250.60200	199.02400	79.40
8	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	66.55300	शून्य*	शून्य
9	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ, सिद्धार्थनगर	35.22600	21.01550	59.70
	योग	**1228.35569 अर्थात 1228.36**	**826.19580 अर्थात 826.20**	**67.30**

(स्रोतः नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

** प्रगति में*

परिशिष्ट 3.7

अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनुबन्धो की कुल संख्या

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अनुबन्ध		अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनुबन्ध	
		अनुबन्धो की कुल संख्या	कुल धनराशि	अनुबन्धो की कुल संख्या	कुल धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	45	13075.13	06	50.24
2	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	31	64335.64	86	847.01
3	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	10	1943.17	11	122.60
4	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर	59	42271.71	10	224.90
5	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	22	3064.89	02	14.70
6	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	29	5316.05	52	447.44
7	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	02	91.67	314	2493.88
8	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	24	46090.62	79	785.80
9	सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा	01	38.48	210	1945.02
10	सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच	19	40510.74	10	249.52
11	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	01	41.76	236	1724.90
12	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	07	8394.58	80	1651.11
13	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	18	2158.15	299	2206.02
14	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	02	3759.82	140	1303.31
15	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	03	15455.18	07	59.32
16	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	09	45660.12	07	85.39
17	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	11	2491.71	08	71.63
कुल योग		**293**	**294699.42**	**1557**	**14282.79**
			अर्थात ₹ 2946.99 करोड़		**अर्थात ₹ 142.83 करोड़**

(स्रोतः नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.8

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिये छः प्रमुख कार्य

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	आगणित लागत	मण्डल का नाम	अनुबन्ध संख्या	अनुबंधित तिथि	अनुबंधित लागत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	किलोमीटर 0.000 से 35.000 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण	375.77	अधीक्षण अभियन्ता, नवम मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच	21/एसई/2012-13	30.03.2013	354.39
2	किलोमीटर 35.000 से 50.000 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण	305.49	अधीक्षण अभियन्ता, नवम मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच	03/एसई/2013-14	15.04.2013	296.48
3	किलोमीटर 50.000 से 60.000 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण	153.93	अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-1, बलरामपुर	01/एसई/2013-14	08.04.2013	144.14
4	किलोमीटर 60.000 से 80.000 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण	308.06	अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-1, बलरामपुर	02/एसई/2013-14	08.04.2013	306.90
5	किलोमीटर 80.000 से 114.000 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण	365.41	अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2, बस्ती	02/एसई/2013-14	19.04.2013	360.89
6	किलोमीटर 114.000 से 125.682 के मध्य राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण	317.48	अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2, बस्ती	01/एसई/2013-14	12.04.2013	316.87
	योग	**1826.14**				**1779.67**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.9

अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर के चयनित अनुबंधों की कुल संख्या

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अधीक्षण अभियन्ता स्तर के चयनित अनुबन्ध		अधिशासी अभियन्ता स्तर के चयनित अनुबन्ध	
		अनुबंधों की कुल संख्या	कुल धनराशि	अनुबंधों की कुल संख्या	कुल धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	10	7,650.72	02	18.15
2	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	04	31,774.24	09	164.12
3	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	04	1,276.83	04	63.51
4	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर	09	37,891.82	03	78.08
5	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	07	1,572.87	01	7.73
6	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	04	2,355.36	07	105.62
7	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	02	91.67	30	541.53
8	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	06	41,950.58	09	140.34
9	सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा	01	38.48	21	432.02
10	सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच	05	38,036.92	02	60.07
11	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	01	41.76	24	410.40
12	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	04	8,984.66	09	270.28
13	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	05	443.12	40	624.55
14	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	02	3,760.42	13	298.23
15	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	02	14,706.51	02	40.15
16	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	05	45,104.24	04	46.89
17	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	06	925.55	04	38.33
कुल योग		**77**	**2,36,605.75**	**184**	**3,340.00**
			अर्थात ₹2,366.06 करोड़		**अर्थात ₹33.40 करोड़**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.10
खण्डवार तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदाओं के आमंत्रण का विवरण
(अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अनुबंध)

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.1)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कार्यों की कुल संख्या (अनुबंध की संख्या)	कुल अनुबंधित राशि	तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदाओं का आमंत्रण (अवधि दिवस में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	04	31,774.24	03 से 335 दिवस
2	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर	04	741.81	03 से 279 दिवस
3	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	02	551.20	56 से 76 दिवस
4	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	04	2,079.46	01 से 20 दिवस
5	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	02	254.39	04 से 88 दिवस
6	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	03	44,165.71	08 से 395 दिवस
7	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	06	925.55	08 से 375 दिवस
	योग	**25**	**80,492.36**	**01 से 395 दिवस**
			अर्थात ₹ 804.92 करोड़	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.11

खण्डवार तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदाओं के आमंत्रण का विवरण

(अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनुबन्ध)

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.1)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कार्यों की कुल संख्या (अनुबंध की संख्या)	कुल अनुबन्धित राशि	तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदाओं का आमंत्रण (अवधि दिवस में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	राप्ती नहर निर्माण-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	04	79.97	83 से 293 दिवस
2	राप्ती नहर निर्माण-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	02	14.80	29 से 33 दिवस
3	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	01	22.33	09 दिवस
4	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	03	45.63	258 से 324 दिवस
5	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	01	8.97	25 दिवस
	योग	**11**	**171.70**	**09 से 324 दिवस**
			अर्थात ₹1.72 करोड़	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.12

खण्डवार तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदा खोले जाने का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.1)

(i) तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदा खोलना (अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अनुबन्ध)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कार्यों की कुल संख्या (अनुबंध की संख्या)	कुल अनुबन्धित राशि	तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदा खोला जाना (अवधि दिवस में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	राप्ती नहर निर्माण-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	02	919.75	22 से 309 दिवस
2	राप्ती नहर निर्माण-2, तुलसीपुर, बलरामपुर	02	338.72	90 से 239 दिवस
3	राप्ती नहर निर्माण-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	01	430.48	70 दिवस
4	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	01	803.27	29 दिवस
5	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	01	56.24	68 दिवस
6	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	01	85.22	351 दिवस
	योग	**08**	**2,633.68**	**22 से 351 दिवस**
			अर्थात ₹ 26.34 करोड़	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

(ii) तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदा खोलना (अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनुबन्ध)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कार्यों की कुल संख्या (अनुबंध की संख्या)	कुल अनुबन्धित राशि	तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदा खोला जाना (अवधि दिवस में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सरयू नहर खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	03	54.80	61 से 68 दिवस
2	सरयू नहर खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	01	6.40	13 दिवस
3	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	02	25.86	221 दिवस
4	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	01	8.97	6 दिवस
	कुल योग	**07**	**96.03**	**06 से 221 दिवस**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.13

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के छः प्रमुख कार्यों के मिट्टी कार्य में अधिक आंकलन

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.2.1)

(मात्रा घनमीटर में एवं दर ₹ प्रति घनमीटर में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण)	खण्ड का नाम	मिट्टी कार्य की मद	मिट्टी कार्य की सम्पादित मात्रा		आगणन में दर विश्लेषण		लेखापरीक्षा द्वारा दर विश्लेषण		आगणन में अतिरिक्त दर का प्रावधान		मिट्टी कार्य की अनुमानित लागत से अधिक राशि		मिट्टी कार्य की लागत का अधिक अनुमान (स्तंभ 13+14)
				राप्ती मुख्य नहर	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	राप्ती मुख्य नहर	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	राप्ती मुख्य नहर	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	राप्ती मुख्य नहर (स्तंभ 7-9)	राजवाहे एवं अल्पिकाएं (स्तंभ 8-10)	राप्ती मुख्य नहर (स्तंभ 5*11)	राजवाहे एवं अल्पिकाएं (स्तंभ 6*12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	किलोमीटर 0.000 से 35.000	सरयू नहर खण्ड-03, बहराइच	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	1448673.21	14354.90	83.56	70.15	71.61	63.50	11.95	6.65	17311644.86	95460.09	17407104.94
2			स्प्रिंग स्तर के नीचे	444170.94	0.00	197.56	0.00	185.61	0.00	11.95	0.00	5307842.73	0.00	5307842.73
3		सरयू नहर खण्ड-04, बहराइच	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	1738372.83	8231.42	83.56	70.15	71.61	63.50	11.95	6.65	20773555.29	54738.94	20828294.24
4			स्प्रिंग स्तर के नीचे	200057.90	0.00	197.56	0.00	185.61	0.00	11.95	0.00	2390691.91	0.00	2390691.91
5	किलोमीटर 35.000 से 50.000	सरयू नहर खण्ड-07, बहराइच	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	563082.53	114812.82	78.56	70.15	66.61	63.50	11.95	6.65	6728836.17	763505.23	7492341.40
6			स्प्रिंग स्तर के नीचे	522328.87	0.00	182.56	0.00	170.61	0.00	11.95	0.00	6241829.98	0.00	6241829.98
7			भराव (105 मीटर दूरी)	0.00	286630.71	0.00	88.00	0.00	81.35	0.00	6.65	0.00	1906094.23	1906094.23
8		सरयू नहर खण्ड-06, श्रावस्ती	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	676895.20	82010.80	78.56	70.15	66.61	63.50	11.95	6.65	8088897.64	545371.79	8634269.43
9			स्प्रिंग स्तर के नीचे	548869.59	0.00	182.56	0.00	170.61	0.00	11.95	0.00	6558991.60	0.00	6558991.60
10			भराव (105 मीटर दूरी)	0.00	102272.51	0.00	88.00	0.00	81.35	0.00	6.65	0.00	680112.17	680112.17
11	किलोमीटर 50.000 से 60.000	सरयू नहर खण्ड-05, गोण्डा	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	1109136.68	174814.03	92.08	70.78	80.13	64.13	11.95	6.65	13254183.33	1162513.30	14416696.63
12			स्प्रिंग स्तर के ऊपर	225147.09	0.00	92.08	70.78	80.13	64.13	11.95	6.65	2690507.73	0.00	2690507.73
13			स्प्रिंग स्तर के नीचे	483461.58	0.00	126.08	0.00	114.13	0.00	11.95	0.00	5777365.88	0.00	5777365.88
14			स्प्रिंग स्तर के नीचे	406710.52	0.00	126.08	0.00	114.13	0.00	11.95	0.00	4860190.71	0.00	4860190.71
15			भराव (105 मीटर दूरी)	55145.57	0.00	102.30	102.30	90.35	90.35	11.95	11.95	658989.56	0.00	658989.56
16			स्प्रिंग स्तर के ऊपर	2101684.45	29271.91	89.52	73.22	77.57	66.57	11.95	6.65	25115129.18	194658.20	25309787.38

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण)	खण्ड का नाम	मिट्टी कार्य की मद	मिट्टी कार्य की सम्पादित मात्रा		आगणन में दर विश्लेषण		लेखापरीक्षा द्वारा दर विश्लेषण		आगणन में अतिरिक्त दर का प्रावधान		मिट्टी कार्य की अनुमानित लागत से अधिक राशि		मिटटी कार्य की लागत का अधिक अनुमान (स्तंभ 13+14)
				राप्ती मुख्य नहर	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	राप्ती मुख्य नहर	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	राप्ती मुख्य नहर	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	राप्ती मुख्य नहर (स्तंभ 7-9)	राजवाहे एवं अल्पिकाएं (स्तंभ 8-10)	राप्ती मुख्य नहर (स्तंभ 5*11)	राजवाहे एवं अल्पिकाएं (स्तंभ 6*12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
17	किलोमीटर 60.000 से 80.000	सरयू ड्रेनेज खण्ड-03, गोण्डा एवं राप्ती नहर निर्माण खण्ड-01, तुलसीपुर, बलरामपुर	स्प्रिंग स्तर के नीचे	690560.20	0.00	127.52	0.00	115.57	0.00	11.95	0.00	8252194.39	0.00	8252194.39
18			भराव (105 मीटर दूरी)	74826.42	164281.75	102.30	102.30	90.35	90.35	11.95	11.95	894175.72	1963166.91	2857342.63
19	किलोमीटर 80.000 से 114.000	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-02, तुलसीपुर, बलरामपुर एव राप्ती नहर निर्माण खण्ड-02, सोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	1104814.73	22377.15	101.50	87.00	72.33	64.83	29.17	22.17	32227445.67	496101.42	32723547.09
20			भराव (105 मीटर दूरी)	49348.79	0.00	142.50	135.50	113.33	113.33	29.17	22.17	1439504.20	0.00	1439504.20
21	किलोमीटर 114.000 से 125.682	सरयू नहर खण्ड बांसी, सिद्धार्थनगर	स्प्रिंग स्तर के ऊपर	362150.32	17170.69	101.50	87.00	72.33	64.83	29.17	22.17	10563924.86	380674.18	10944599.04
22			भराव (105 मीटर दूरी)	70654.43	4662.92	142.50	135.50	113.33	113.33	29.17	22.17	2060989.72	103376.96	2164366.68
	योग											**181196891.15**	**8345773.42**	**189542664.57**
													अर्थात ₹ 18.95 करोड़	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.14
नहरों के लम्बछिन्नक की स्वीकृति में विलम्ब
(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.3.1)

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर के भाग का निर्माण)	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	अनुबंध गठन की तिथि	लम्बछिन्नक के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन किये जाने की तिथि से विलंब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	किलोमीटर 0.000 से 35.000	शाहपुर पूरेशिवदीन	अल्पिका	30.03.2013	10.09.2013	5
2		चौबेपुरवा-2 परसोहना	अल्पिका	30.03.2013	10.09.2013	5
3		चौबेपुरवा	अल्पिका	30.03.2013	11.07.2013	3
4		तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	30.03.2013	11.07.2013	3
5		बरबहां बैरिहवा	अल्पिका	30.03.2013	11.07.2013	3
6		बदलपुर बनकटवा	अल्पिका	30.03.2013	26.12.2014	20
7		बुताहर	अल्पिका	30.03.2013	25.11.2013	7
8		बनकटवा	अल्पिका	30.03.2013	19.01.2015	21
9		पुरे प्रसाद	अल्पिका	30.03.2013	25.11.2013	7
10		बहादुरपुर	अल्पिका	30.03.2013	15.03.2013	0
11		अमराहा	अल्पिका	30.03.2013	20.01.2014	9
12		मोतीपुर बदरहवा	राजवाहा	30.03.2013	20.01.2014	9
13		जानकीनगर	अल्पिका	30.03.2013	17.01.2015	21
14		अरनहवा	अल्पिका	30.03.2013	17.01.2015	21
15		विष्णुपुर	अल्पिका	30.03.2013	17.01.2014	9
16	किलोमीटर 35.000 से 50.000	परसिया	अल्पिका	15.04.2013	15.12.2013	8
17		गनवरिया	अल्पिका	15.04.2013	15.01.2014	9
18		सहजना	अल्पिका	15.04.2013	01.10.2014	18
19		खैरमन	राजवाहा	15.04.2013	20.01.2014	9
20		सिंहपुर	अल्पिका	15.04.2013	28.02.2014	10
21		ललिया	अल्पिका	15.04.2013	10.12.2014	20
22		कन्हारा	अल्पिका	15.04.2013	08.12.2014	20
23		अमवा	अल्पिका	15.04.2013	31.10.2013	6
24		मोतीपुर	राजवाहा	15.04.2013	31.10.2013	6
25		सीकरी	अल्पिका	15.04.2013	16.08.2014	16
26	किलोमीटर 50.000 से 60.000	भुजेहरा	राजवाहा	08.04.2013	25.08.2014	16
27		रूपनगर	अल्पिका	08.04.2013	16.04.2015	24
28		गुलरिहा	राजवाहा	08.04.2013	03.01.2015	21
29		हिसमपुर	राजवाहा	08.04.2013	03.11.2014	19

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर के भाग का निर्माण)	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	अनुबंध गठन की तिथि	लम्बछिन्नक के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन किये जाने की तिथि से विलंब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30		गोपालपुर	राजवाहा	08.04.2013	19.09.2014	17
31		बदलपुर	अल्पिका	08.04.2013	01.10.2014	18
32	किलोमीटर 60.000 से 80.000	बनकटवा	राजवाहा	08.04.2013	19.09.2014	17
33		महादेव	अल्पिका	08.04.2013	17.06.2014	14
34		भदुई	अल्पिका	08.04.2013	01.10.2014	18
35		प्रेमपुर	राजवाहा	08.04.2013	25.08.2014	16
36		हल्लौरा	राजवाहा	08.04.2013	09.07.2014	15
37	किलोमीटर 80.000 से 114.000	चाईपुरवा	अल्पिका	19.04.2013	09.10.2014	18
38		महुआ	अल्पिका	19.04.2013	29.09.2014	17
39		जमधारा	अल्पिका	19.04.2013	16.05.2019	73
40		डुमरी	अल्पिका	19.04.2013	16.05.2019	73
41		बर्डपुर	राजवाहा	19.04.2013	14.11.2019	79
42		पकड़ीहवा	अल्पिका	19.04.2013	29.09.2014	17
43		खैरी	अल्पिका	19.04.2013	22.05.2015	25
44		तालकुंडा	अल्पिका	19.04.2013	16.02.2015	22
45	किलोमीटर 114.000 से 125.682	गुलहौरा	अल्पिका	12.04.2013	04.09.2014	17
46		परसा	अल्पिका	12.04.2013	04.02.2015	22
47		बेनीनगर	अल्पिका	12.04.2013	28.01.2015	21
48		बनचौरी	राजवाहा	12.04.2013	04.09.2014	17
49		मटियार	अल्पिका	12.04.2013	28.01.2015	21
50		पचउथ	अल्पिका	12.04.2013	28.01.2015	21
51		धनौरा	राजवाहा	12.04.2013	04.09.2014	17

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.15
पक्की संरचनाओं के ड्राइंग का विलंबित अनुमोदन
(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.3.2)

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 0.000 से 21.000				
1	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	सुपर पैसेज	7.180	30.03.13	08.05.14	13
2	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	7.900	30.03.13	28.12.13	8
3	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	7.960	30.03.13	18.04.14	12
4	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	9.620	30.03.13	17.11.14	19
5	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	10.000	30.03.13	25.11.13	7
6	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	10.050	30.03.13	18.04.14	12
7	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	12.080	30.03.13	19.08.13	4
8	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	12.550	30.03.13	18.04.14	12
9	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	13.000	30.03.13	27.03.16	35
10	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	14.050	30.03.13	28.08.13	4
11	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	14.680	30.03.13	21.11.14	19
12	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	16.185	30.03.13	28.12.13	8
13	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर(दायाँ किनारा)	16.500	30.03.13	18.04.14	12
14	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	16.750	30.03.13	06.06.14	14
15	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	17.265	30.03.13	25.11.13	7
16	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर (दायाँ किनारा)	18.400	30.03.13	28.01.14	9
17	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	18.650	30.03.13	12.11.14	19
18	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	19.000	30.03.13	28.12.13	8
19	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	19.510	30.03.13	18.07.14	15
20	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर (दायाँ किनारा)	20.100	30.03.13	24.02.15	22
21	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	इनलेट	15.550	30.03.13	02.01.21	93
22	शाहपुर पुरेशिवदीन	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.795	30.03.13	01.04.14	12
23	शाहपुर पुरेशिवदीन	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.410	30.03.13	01.04.14	12
24	शाहपुर पुरेशिवदीन	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.975	30.03.13	01.04.14	12
25	शाहपुर पुरेशिवदीन	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	2.540	30.03.13	01.04.14	12
26	चौबेपुरवा -2 परसोहना	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.200	30.03.13	16.04.14	12
27	चौबेपुरवा -2 परसोहना	अल्पिका	साईफन	0.691	30.03.13	16.10.15	30

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	चौबेपुरवा -2 परसोहना	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.460	30.03.13	16.04.14	12
29	चौबेपुरवा -2 परसोहना	अल्पिका	टेलफाल	2.030	30.03.13	27.12.14	20
30	चौबेपुरवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.465	30.03.13	16.04.14	12
31	चौबेपुरवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.985	30.03.13	16.04.14	12
32	चौबेपुरवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.195	30.03.13	16.04.14	12
33	चौबेपुरवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.655	30.03.13	16.04.14	12
34	चौबेपुरवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.930	30.03.13	16.04.14	12
35	चौबेपुरवा	अल्पिका	टेलफाल	2.500	30.03.13	27.12.14	20
36	तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	साईफन	0.380	30.03.13	उपलब्ध नहीं कराया	
37	तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.530	30.03.13	01.04.14	12
38	तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.100	30.03.13	01.04.14	12
39	तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.840	30.03.13	01.04.14	12
40	तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.070	30.03.13	01.04.14	12
41	तेंदुआ सोनपुर	अल्पिका	टेलफाल	2.350	30.03.13	27.12.14	20
42	बरबहा बैरिहवा	अल्पिका	साईफन	0.510	30.03.13	25.03.15	23
43	बरबहा बैरिहवा	अल्पिका	साईफन	1.000	30.03.13	25.03.15	23
44	बरबहा बैरिहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.008	30.03.13	10.06.14	14
45	बरबहा बैरिहवा	अल्पिका	टेलफाल	2.050	30.03.13	27.12.14	20
46	बदलपुर बनकटवा	अल्पिका	साईफन	0.350	30.03.13	04.10.19	78
47	बदलपुर बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.963	30.03.13	12.02.15	22
48	बदलपुर बनकटवा	अल्पिका	साईफन	1.512	30.03.13	25.03.15	23
49	बदलपुर बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.635	30.03.13	12.02.15	22
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 21.000 से 35.000							
50	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन एक्वाडक्ट	21.530	30.03.13	29.05.14	13
51	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	21.600	30.03.13	23.02.16	34
52	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	22.732	30.03.13	05.12.14	20
53	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	इनलेट	23.340	30.03.13	21.11.20	91
54	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	23.950	30.03.13	15.01.15	21
55	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	24.200	30.03.13	06.02.15	22
56	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	25.500	30.03.13	25.11.13	7
57	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	26.300	30.03.13	07.06.14	14
58	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	27.500	30.03.13	25.11.13	7
59	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	28.000	30.03.13	06.06.16	38

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
60	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	28.160	30.03.13	06.12.14	20
61	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	28.650	30.03.13	27.11.13	7
62	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	30.750	30.03.13	15.01.15	21
63	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	31.107	30.03.13	24.12.14	20
64	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	31.310	30.03.13	23.02.16	34
65	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	32.400	30.03.13	07.06.14	14
66	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	33.550	30.03.13	25.11.13	7
67	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	33.750	30.03.13	07.06.14	14
68	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	30.750	30.03.13	09.04.15	24
69	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.625	30.03.13	01.10.20	90
70	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.805	30.03.13	01.10.20	90
71	अरनहवा	अल्पिका	नाला साईफन	1.010	30.03.13	01.10.20	90
72	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.210	30.03.13	01.10.20	90
73	अरनहवा	अल्पिका	नाला साईफन	1.725	30.03.13	01.10.20	90
74	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.820	30.03.13	01.10.20	90
75	अरनहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.110	30.03.13	05.10.20	90
76	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.410	30.03.13	01.10.20	90
77	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.680	30.03.13	01.10.20	90
78	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.010	30.03.13	01.10.20	90
79	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.360	30.03.13	01.10.20	90
80	अरनहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	4.320	30.03.13	01.10.20	90
81	अरनहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.680	30.03.13	01.10.20	90
82	अरनहवा	अल्पिका	नाला साईफन	6.200	30.03.13	01.10.20	90
83	अरनहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	6.610	30.03.13	01.10.20	90
84	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.380	30.03.13	24.04.17	48
85	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.810	30.03.13	24.04.17	48
86	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.810	30.03.13	24.04.17	48
87	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.400	30.03.13	18.03.20	83
88	जानकीनगर	अल्पिका	साईफन	2.530	30.03.13	22.04.20	84
89	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.800	30.03.13	24.04.17	48
90	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.450	30.03.13	24.04.17	48
91	जानकीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.110	30.03.13	27.05.21	97

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
92	जानकीनगर	अल्पिका	फाल	4.450	30.03.13	27.05.21	97
93	जानकीनगर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	4.660	30.03.13	24.04.17	48
94	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	0.890	30.03.13	15.07.16	39
95	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल एवं फाल	1.800	30.03.13	21.06.18	62
96	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.450	30.03.13	20.12.14	20
97	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	साईफन	4.000	30.03.13	22.04.20	84
98	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	4.350	30.03.13	20.12.14	20
99	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	4.970	30.03.13	20.12.14	20
100	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.100	30.03.13	16.06.14	14
101	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	शीर्ष रेगुलेटर	6.200	30.03.13	05.05.21	97
102	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	6.600	30.03.13	20.12.14	20
103	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	8.025	30.03.13	20.12.14	20
104	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	8.600	30.03.13	20.12.14	20
105	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	9.100	30.03.13	20.12.14	20
106	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	9.700	30.03.13	16.06.14	14
107	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	नाला साईफन	10.200	30.03.13	27.05.21	97
108	मोतीपुर बड़रहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	10.800	30.03.13	20.12.14	20
109	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.550	30.03.13	23.05.14	13
110	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.100	30.03.13	23.05.14	13
111	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.400	30.03.13	18.11.14	19
112	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.000	30.03.13	23.05.14	13
113	अमरहा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	3.200	30.03.13	23.05.14	13
114	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.800	30.03.13	20.12.14	20
115	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.700	30.03.13	20.12.14	20
116	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.100	30.03.13	23.05.14	13

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
117	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.800	30.03.13	20.12.14	20
118	अमरहा	अल्पिका	साईफन	6.500	30.03.13	05.10.20	90
119	अमरहा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	7.000	30.03.13	23.05.14	13
120	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.600	30.03.13	23.05.14	13
121	अमरहा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	9.050	30.03.13	23.05.14	13
122	अमरहा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	9.500	30.03.13	20.12.14	20
123	अमरहा	अल्पिका	साईफन	10.200	30.03.13	05.10.20	90
124	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.720	30.03.13	08.10.20	90
125	विशुनपुर	अल्पिका	साईफन	1.000	30.03.13	05.10.20	90
126	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.525	30.03.13	08.10.20	90
127	विशुनपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.260	30.03.13	08.10.20	90
128	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.850	30.03.13	05.10.20	90
129	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.300	30.03.13	08.10.20	90
130	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.900	30.03.13	08.10.20	90
131	विशुनपुर	अल्पिका	साईफन	4.670	30.03.13	05.10.20	90
132	विशुनपुर	अल्पिका	साईफन	4.770	30.03.13	05.10.20	90
133	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.000	30.03.13	05.10.20	90
134	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.530	30.03.13	08.10.20	90
135	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.850	30.03.13	05.10.20	90
136	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.600	30.03.13	08.10.20	90
137	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.900	30.03.13	08.10.20	90
138	विशुनपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.300	30.03.13	08.10.20	90
139	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.450	30.03.13	22.04.20	84
140	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.100	30.03.13	22.04.20	84
141	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.700	30.03.13	22.04.20	84
142	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.000	30.03.13	30.01.15	21
143	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.450	30.03.13	17.01.15	21
144	बहादुरपुर	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर एवं फाल	2.900	30.03.13	05.10.20	90
145	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.200	30.03.13	22.04.20	84
146	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.650	30.03.13	17.01.15	21
147	बहादुरपुर	राजवाहा	नाला साईफन	4.100	30.03.13	22.04.20	84

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
148	बहादुरपुर	राजवाहा	नाला साईफन	4.400	30.03.13	18.12.20	92
149	बहादुरपुर	राजवाहा	फाल	5.000	30.03.13	17.01.15	21
150	बहादुरपुर	राजवाहा	नाला साईफन	5.400	30.03.13	18.12.20	92
151	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.450	30.03.13	22.04.20	84
152	बहादुरपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	6.200	30.03.13	22.04.20	84
153	बहादुरपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	6.900	30.03.13	10.06.20	86
154	बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.660	30.03.13	07.05.15	25
155	बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.090	30.03.13	06.08.15	28
156	बनकटवा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	1.450	30.03.13	10.11.20	91
157	बनकटवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	1.720	30.03.13	11.11.20	91
158	बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.710	30.03.13	24.02.21	94
159	बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.580	30.03.13	06.08.15	28
160	बनकटवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	4.250	30.03.13	10.11.20	91
161	बनकटवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.110	30.03.13	06.08.15	28
162	बनकटवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	7.980	30.03.13	07.11.20	91
163	पुरे प्रसाद	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.700	30.03.13	17.06.14	14
164	पुरे प्रसाद	अल्पिका	फाल	1.430	30.03.13	17.11.14	19
165	पुरे प्रसाद	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.690	30.03.13	17.06.14	14
166	पुरे प्रसाद	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.425	30.03.13	17.06.14	14
167	पुरे प्रसाद	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.300	30.03.13	17.06.14	14
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 35.000 से 42.100							
168	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	35.350	15.04.13	07.01.16	33
169	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	35.950	15.04.13	04.03.15	23
170	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	36.040	15.04.13	05.12.14	20
171	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	37.100	15.04.13	25.11.13	7
172	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	37.500	15.04.13	25.11.13	7
173	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	37.800	15.04.13	05.12.14	20
174	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	38.616	15.04.13	25.11.13	7
175	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	39.200	15.04.13	04.03.15	23
176	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	क्रॉस रेगुलेटर	39.400	15.04.13	04.01.19	69
177	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	स्केप शीर्ष रेगुलेटर	39.400	15.04.13	23.01.16	33
178	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	39.700	15.04.13	04.03.15	23
179	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	40.100	15.04.13	07.01.16	33

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
180	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	40.200	15.04.13	05.12.14	20
181	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	41.650	15.04.13	12.01.19	69
182	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	42.100	15.04.13	05.12.14	20
183	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.585	15.04.13	21.07.14	15
184	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.810	15.04.13	21.07.14	15
185	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.350	15.04.13	21.07.14	15
186	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.650	15.04.13	21.07.14	15
187	परसिया	अल्पिका	फाल	1.750	15.04.13	21.07.14	15
188	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.236	15.04.13	21.07.14	15
189	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.830	15.04.13	21.07.14	15
190	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.130	15.04.13	21.07.14	15
191	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.000	15.04.13	21.07.14	15
192	परसिया	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	4.672	15.04.13	21.07.14	15
193	परसिया	अल्पिका	फाल	5.800	15.04.13	21.07.14	15
194	परसिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.750	15.04.13	21.07.14	15
195	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.150	15.04.13	24.07.14	15
196	गनवरिया	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.600	15.04.13	24.07.14	15
197	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.500	15.04.13	24.07.14	15
198	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.900	15.04.13	24.07.14	15
199	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.400	15.04.13	24.07.14	15
200	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.700	15.04.13	18.10.19	78
201	गनवरिया	अल्पिका	जिला सड़क पुल	4.100	15.04.13	25.08.14	16
202	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.500	15.04.13	01.10.19	78
203	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.900	15.04.13	25.08.14	16
204	गनवरिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	10.500	15.04.13	24.07.14	15
205	गनवरिया	अल्पिका	टेलफाल	11.400	15.04.13	15.10.14	18
206	सहजना	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.200	15.04.13	14.01.15	21
207	सहजना	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.000	15.04.13	14.01.15	21
208	सहजना	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.200	15.04.13	14.01.15	21
209	खैरमान	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	1.550	15.04.13	26.07.14	15

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
210	खैरमान	राजवाहा	जिला सड़क पुल	1.850	15.04.13	30.04.14	12
211	खैरमान	राजवाहा	साईफन	2.100	15.04.13	12.01.19	69
212	खैरमान	राजवाहा	साईफन कम जिला सड़क पुल	2.300	15.04.13	29.10.20	90
213	खैरमान	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.900	15.04.13	30.04.14	12
214	खैरमान	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.600	15.04.13	25.08.14	16
215	खैरमान	राजवाहा	जिला सड़क पुल	5.620	15.04.13	26.07.14	15
216	खैरमान	राजवाहा	जिला सड़क पुल	6.850	15.04.13	23.09.19	77
217	खैरमान	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	11.250	15.04.13	12.09.19	77
218	खैरमान	राजवाहा	टेल दीवार	12.200	15.04.13	08.10.20	90
219	सिंहपुर	अल्पिका	फाल	0.400	15.04.13	25.08.14	16
220	सिंहपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	0.700	15.04.13	13.08.20	88
221	सिंहपुर	अल्पिका	साईफन	1.715	15.04.13	05.08.20	88
222	सिंहपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.500	15.04.13	06.07.14	15
223	सिंहपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.900	15.04.13	26.07.14	15
224	सिंहपुर	अल्पिका	फाल	3.900	15.04.13	04.03.20	83
225	सिंहपुर	अल्पिका	साईफन	4.050	15.04.13	05.08.20	88
226	सिंहपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	4.100	15.04.13	26.07.14	15
227	सिंहपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	5.500/5.550	15.04.13	26.07.14	15
228	सिंहपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.700	15.04.13	26.07.14	15
229	सिंहपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	7.300	15.04.13	04.03.20	83
230	ललिया	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.200/1.400	15.04.13	06.01.15	21
231	ललिया	अल्पिका	साईफन	2.200	15.04.13	15.10.19	78
232	ललिया	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.600/2.700	15.04.13	19.01.15	21
233	ललिया	अल्पिका	टेल दीवार	3.000	15.04.13	10.09.20	89
234	कनहरा	अल्पिका	फाल	0.600/0.700	15.04.13	14.01.15	21
235	कनहरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	1.050	15.04.13	24.06.20	86
236	कनहरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.050	15.04.13	02.07.20	87
237	कनहरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.835	15.04.13	15.10.19	78
238	कनहरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.500	15.04.13	15.10.19	78
239	कनहरा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	4.850	15.04.13	15.10.19	78

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
240	कनहरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.625	15.04.13	02.07.20	87
241	कनहरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	6.375	15.04.13	08.07.20	87
242	कनहरा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	7.350	15.04.13	08.07.20	87
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 42.100 से 50.000							
243	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	42.662	15.04.13	17.10.13	6
244	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	43.450	15.04.13	17.10.13	6
245	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	45.166	15.04.13	17.10.13	6
246	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	47.950	15.04.13	17.10.13	6
247	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	49.850	15.04.13	17.10.13	6
248	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	45.600	15.04.13	28.01.14	9
249	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	47.600	15.04.13	28.01.14	9
250	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	49.500	15.04.13	06.02.15	22
251	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	42.500	15.04.13	06.02.15	22
252	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	47.100	15.04.13	24.02.15	22
253	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	43.900	15.04.13	09.04.15	24
254	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	42.200	15.04.13	20.05.16	37
255	मोतीपुर	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	0.180	15.04.13	04.12.18	68
256	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.280	15.04.13	26.04.14	12
257	मोतीपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.800	15.04.13	26.04.14	12
258	मोतीपुर	राजवाहा	नाला क्रासिंग	0.930	15.04.13	26.04.14	12
259	मोतीपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	1.740	15.04.13	26.04.14	12
260	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.270	15.04.13	26.04.14	12
261	मोतीपुर	राजवाहा	फाल	3.000	15.04.13	26.04.14	12
262	मोतीपुर	राजवाहा	साईफन	3.200	15.04.13	21.06.14	14
263	मोतीपुर	राजवाहा	नाला क्रासिंग	3.570	15.04.13	26.04.14	12
264	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.900	15.04.13	26.04.14	12
265	मोतीपुर	राजवाहा	नाला क्रासिंग	4.350	15.04.13	26.04.14	12
266	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.600	15.04.13	26.04.14	12
267	मोतीपुर	राजवाहा	नाला क्रासिंग	4.870	15.04.13	26.04.14	12
268	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.750	15.04.13	21.06.14	14
269	मोतीपुर	राजवाहा	साईफन	5.960	15.04.13	26.04.14	12

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
270	मोतीपुर	राजवाहा	साईफन	6.160	15.04.13	06.08.14	16
271	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	7.020	15.04.13	28.04.14	12
272	मोतीपुर	राजवाहा	फाल	7.550	15.04.13	28.04.14	12
273	मोतीपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	7.790	15.04.13	28.04.14	12
274	मोतीपुर	राजवाहा	साईफन	8.050	15.04.13	28.04.14	12
275	मोतीपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	8.410	15.04.13	28.04.14	12
276	मोतीपुर	राजवाहा	फाल	8.860	15.04.13	21.06.14	14
277	मोतीपुर	राजवाहा	साईफन	9.200	15.04.13	28.04.14	12
278	मोतीपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	9.900	15.04.13	21.06.14	14
279	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	10.450	15.04.13	28.04.14	12
280	मोतीपुर	राजवाहा	साईफन	10.700	15.04.13	28.04.14	12
281	मोतीपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	10.750	15.04.13	28.04.14	12
282	मोतीपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	11.100	15.04.13	28.04.14	12
283	अमवा	अल्पिका	साईफन	0.675	15.04.13	21.06.14	14
284	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.800	15.04.13	28.04.14	12
285	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.100	15.04.13	28.04.14	12
286	अमवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.350	15.04.13	21.06.14	14
287	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.790	15.04.13	28.04.14	12
288	अमवा	अल्पिका	फाल	2.400	15.04.13	30.07.14	15
289	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.630	15.04.13	28.04.14	12
290	अमवा	अल्पिका	साईफन	2.800	15.04.13	21.06.14	14
291	अमवा	अल्पिका	साईफन	3.250	15.04.13	21.06.14	14
292	अमवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.290	15.04.13	18.07.14	15
293	अमवा	अल्पिका	साईफन	3.550	15.04.13	21.06.14	14
294	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.150	15.04.13	28.04.14	12
295	अमवा	अल्पिका	फाल	4.600	15.04.13	21.06.14	14
296	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.200	15.04.13	26.04.14	12
297	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.450	15.04.13	21.06.14	14
298	अमवा	अल्पिका	साईफन	5.900	15.04.13	26.04.14	12
299	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.150	15.04.13	26.04.14	12
300	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	6.550	15.04.13	21.06.14	14
301	अमवा	अल्पिका	साईफन	7.200	15.04.13	26.04.14	12
302	अमवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.500	15.04.13	26.04.14	12

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
303	अमवा	अल्पिका	टेल दीवार	8.325	15.04.13	26.04.14	12
304	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.245	15.04.13	27.08.14	16
305	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.060	15.04.13	27.08.14	16
306	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.545	15.04.13	27.08.14	16
307	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.150	15.04.13	27.08.14	16
308	सिकरी	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.820	15.04.13	27.08.14	16
309	सिकरी	अल्पिका	फाल	3.300	15.04.13	19.12.14	19
310	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.715	15.04.13	27.08.14	16
311	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.160	15.04.13	19.12.14	19
312	सिकरी	अल्पिका	साईफन	4.250	15.04.13	06.09.14	17
313	सिकरी	अल्पिका	साईफन	4.350	15.04.13	06.09.14	17
314	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.740	15.04.13	19.12.14	19
315	सिकरी	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	5.610	15.04.13	19.12.14	19
316	सिकरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.000	15.04.13	19.12.14	19
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 50.000 से 60.000							
317	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	50.200	08.04.13	22.08.14	16
318	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	51.290	08.04.13	20.09.14	17
319	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	51.350	08.04.13	28.02.14	10
320	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	52.110	08.04.13	14.03.14	11
321	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	52.740	08.04.13	15.12.14	20
322	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन	53.610	08.04.13	10.10.14	18
323	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	53.670	08.04.13	28.02.14	10
324	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	54.226	08.04.13	12.01.15	21
325	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	54.240	08.04.13	17.02.14	10
326	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	54.940	08.04.13	05.12.14	20
327	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	55.190	08.04.13	17.02.14	10
328	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	55.800	08.04.13	19.11.14	19
329	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	56.350	08.04.13	11.12.14	20
330	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	57.740	08.04.13	14.03.14	11
331	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	58.200	08.04.13	29.09.14	17
332	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	58.240	08.04.13	11.12.14	20
333	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	58.700	08.04.13	15.12.14	20
334	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	59.160	08.04.13	14.03.14	11
335	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.052	08.04.13	29.08.14	16

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
336	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.240	08.04.13	29.08.14	16
337	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.380	08.04.13	29.08.14	16
338	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.545	08.04.13	29.08.14	16
339	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	1.250	08.04.13	22.11.14	19
340	भुजेहरा	राजवाहा	फाल	1.280	08.04.13	11.12.14	20
341	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.005	08.04.13	20.09.14	17
342	भुजेहरा	राजवाहा	साईफन	2.200	08.04.13	11.12.14	20
343	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.580	08.04.13	20.09.14	17
344	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	2.760	08.04.13	20.09.14	17
345	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.250	08.04.13	20.09.14	17
346	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.826	08.04.13	17.11.14	19
347	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	4.270	08.04.13	09.10.14	18
348	भुजेहरा	राजवाहा	साईफन	4.650	08.04.13	06.05.15	25
349	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.050	08.04.13	19.06.15	26
350	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.290	08.04.13	20.09.14	17
351	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	5.860	08.04.13	07.10.14	18
352	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	6.780	08.04.13	20.09.14	17
353	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	7.290	08.04.13	20.09.14	17
354	भुजेहरा	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	7.600	08.04.13	19.06.15	26
355	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	7.680	08.04.13	09.10.14	18
356	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	8.010	08.04.13	07.10.14	18
357	भुजेहरा	राजवाहा	साईफन	8.200	08.04.13	27.12.14	20
358	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	8.600	08.04.13	09.10.14	18
359	भुजेहरा	राजवाहा	साईफन	8.850	08.04.13	27.12.14	20
360	भुजेहरा	राजवाहा	साईफन	9.400	08.04.13	27.12.14	20
361	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	9.530	08.04.13	27.10.14	18
362	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	9.852	08.04.13	09.10.14	18
363	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	10.050	08.04.13	07.10.14	18
364	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	10.780	08.04.13	07.10.14	18
365	भुजेहरा	राजवाहा	साईफन	10.850	08.04.13	15.05.18	61
366	भुजेहरा	राजवाहा	फाल	12.000	08.04.13	11.12.14	20
367	भुजेहरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	12.350	08.04.13	07.10.14	18
368	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	12.650	08.04.13	07.10.14	18

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
369	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	13.175	08.04.13	07.10.14	18
370	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	13.900	08.04.13	11.12.14	20
371	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	14.500	08.04.13	07.10.14	18
372	भुजेहरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	14.950	08.04.13	07.10.14	18
373	भुजेहरा	राजवाहा	टेल फाल	15.300	08.04.13	11.12.14	20
374	रूपनगर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	0.125	08.04.13	19.06.15	26
375	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	1.120	08.04.13	19.06.15	26
376	रूपनगर	अल्पिका	साईफन	1.510	08.04.13	10.01.17	45
377	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.520	08.04.13	29.07.15	27
378	रूपनगर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.820	08.04.13	29.07.15	27
379	रूपनगर	अल्पिका	साईफन	2.450	08.04.13	10.01.17	45
380	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.600	08.04.13	10.01.17	45
381	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.020	08.04.13	13.02.19	70
382	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.550	08.04.13	14.11.18	67
383	रूपनगर	अल्पिका	साईफन	3.750	08.04.13	10.01.17	45
384	रूपनगर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	3.860	08.04.13	29.07.15	27
385	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.150	08.04.13	04.01.19	69
386	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.540	08.04.13	29.07.15	27
387	रूपनगर	अल्पिका	साईफन	4.900	08.04.13	10.01.17	45
388	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.940	08.04.13	29.07.15	27
389	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.310	08.04.13	13.02.19	70
390	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.950	08.04.13	14.11.18	67
391	रूपनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	6.400	08.04.13	14.11.18	67
392	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	0.180	08.04.13	07.10.15	30
393	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	फाल	0.600	08.04.13	10.03.15	23
394	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	1.200	08.04.13	19.06.15	26
395	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	1.548	08.04.13	15.12.16	44
396	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	2.200	08.04.13	15.12.16	44
397	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	2.425	08.04.13	19.06.15	26
398	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	फाल	3.000	08.04.13	19.06.15	26
399	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.800	08.04.13	20.12.16	44
400	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	4.060	08.04.13	22.09.15	29

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
401	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	फाल	4.600	08.04.13	07.07.15	27
402	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	4.744	08.04.13	22.12.16	44
403	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.170	08.04.13	22.09.15	29
404	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	फाल	5.400	08.04.13	07.07.15	27
405	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.675	08.04.13	21.12.16	44
406	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	6.200	08.04.13	20.12.16	44
407	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	6.500	08.04.13	15.12.16	44
408	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	7.050	08.04.13	10.01.17	45
409	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	7.160	08.04.13	20.12.16	44
410	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	7.170	08.04.13	10.01.17	45
411	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	7.770	08.04.13	26.02.19	70
412	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	फाल	8.000	08.04.13	20.12.16	44
413	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	8.070	08.04.13	21.12.16	44
414	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	फाल	8.200	08.04.13	20.12.16	44
415	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	8.470	08.04.13	21.12.16	44
416	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	साईफन	9.100	08.04.13	26.02.19	70
417	गुलरिहा हिसमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	9.770	08.04.13	26.02.19	70
418	हिसामपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.300	08.04.13	07.01.15	21
419	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	0.800	08.04.13	19.02.15	22
420	हिसामपुर	राजवाहा	फाल	0.850	08.04.13	19.02.15	22
421	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.100	08.04.13	22.06.16	38
422	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.540	08.04.13	07.01.15	21
423	हिसामपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	2.050	08.04.13	02.04.16	36
424	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.400	08.04.13	13.01.15	21
425	हिसामपुर	राजवाहा	फाल	2.700	08.04.13	02.04.16	36
426	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.800	08.04.13	22.06.16	38
427	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.200	08.04.13	25.05.15	25
428	हिसामपुर	राजवाहा	फाल	3.230	08.04.13	29.07.15	27
429	हिसामपुर	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	3.560	08.04.13	15.12.16	44
430	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.600	08.04.13	27.12.14	20
431	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.800	08.04.13	10.01.17	45
432	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	4.000	08.04.13	26.02.16	34
433	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	4.720	08.04.13	15.06.15	26
434	हिसामपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	4.900	08.04.13	19.02.15	22

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
435	हिसामपुर	राजवाहा	साईफन	5.125	08.04.13	28.03.16	35
436	हिसामपुर	राजवाहा	फाल	5.400	08.04.13	26.02.16	34
437	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.975	08.04.13	19.02.15	22
438	हिसामपुर	राजवाहा	साईफन	6.100	08.04.13	28.03.16	35
439	हिसामपुर	राजवाहा	फाल	6.200	08.04.13	26.02.16	34
440	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	6.650	08.04.13	22.11.14	19
441	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	6.900	08.04.13	22.11.14	19
442	हिसामपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	7.475	08.04.13	13.01.15	21
443	हिसामपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	7.885	08.04.13	22.11.14	19
444	हिसामपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	8.800	08.04.13	26.02.16	34
445	हिसामपुर	राजवाहा	टेल फाल	9.400	08.04.13	26.02.16	34
446	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.380	08.04.13	22.11.14	19
447	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	0.820	08.04.13	17.11.14	19
448	गोपालपुर	राजवाहा	फाल	1.400	08.04.13	07.07.15	27
449	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.800	08.04.13	07.07.15	27
450	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.030	08.04.13	17.11.14	19
451	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	2.375	08.04.13	17.11.14	19
452	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	2.775	08.04.13	17.11.14	19
453	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.165	08.04.13	14.10.14	18
454	गोपालपुर	राजवाहा	साईफन	3.320	08.04.13	16.03.16	35
455	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.870	08.04.13	11.12.14	20
456	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	4.305	08.04.13	22.11.14	19
457	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	4.910	08.04.13	29.12.16	44
458	गोपालपुर	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	4.910	08.04.13	29.12.16	44
459	गोपालपुर	राजवाहा	फाल	5.200	08.04.13	07.07.15	27
460	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	6.060	08.04.13	07.07.15	27
461	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	6.800	08.04.13	28.02.15	22
462	गोपालपुर	राजवाहा	फाल	7.000	08.04.13	28.07.15	27
463	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	7.575	08.04.13	19.02.15	22
464	गोपालपुर	राजवाहा	साईफन	7.840	08.04.13	19.02.15	22
465	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	8.020	08.04.13	07.10.14	18
466	गोपालपुर	राजवाहा	रेलवे क्रासिंग	8.800	08.04.13	07.07.15	27

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
467	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	8.850	08.04.13	28.02.15	22
468	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	9.150	08.04.13	28.02.15	22
469	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	9.830	08.04.13	14.10.14	18
470	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	10.400	08.04.13	14.10.14	18
471	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	10.915	08.04.13	14.10.14	18
472	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	11.615	08.04.13	27.10.14	18
473	गोपालपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	12.200	08.04.13	27.10.14	18
474	गोपालपुर	राजवाहा	साईफन	12.400	08.04.13	27.10.14	18
475	गोपालपुर	राजवाहा	प्रादेशिक सड़क पुल	13.140	08.04.13	27.10.14	18
476	गोपालपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	13.620	08.04.13	27.10.14	18
477	बदलपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	0.050	08.04.13	12.11.14	19
478	बदलपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं शीर्ष रेगुलेटर	0.427	08.04.13	12.11.14	19
479	बदलपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	0.563	08.04.13	12.11.14	19
480	बदलपुर	अल्पिका	फाल	0.700	08.04.13	17.11.14	19
481	बदलपुर	अल्पिका	साईफन	0.840	08.04.13	06.03.19	71
482	बदलपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.963	08.04.13	12.11.14	19
483	बदलपुर	अल्पिका	फाल	1.200	08.04.13	22.11.14	19
484	बदलपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.450	08.04.13	12.11.14	19
485	बदलपुर	अल्पिका	साईफन	1.700	08.04.13	06.03.19	71
486	बदलपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.050	08.04.13	12.11.14	19
487	बदलपुर	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	2.600	08.04.13	11.12.14	20
488	बदलपुर	अल्पिका	साईफन	3.645	08.04.13	06.03.19	71
489	बदलपुर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.065	08.04.13	12.11.14	19
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 60.000 से 70.000							
490	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	60.150	08.04.13	16.02.15	22
491	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	61.055	08.04.13	03.03.14	11
492	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	61.340	08.04.13	10.10.14	18
493	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	63.000	08.04.13	16.02.15	22
494	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	63.470	08.04.13	10.10.14	18
495	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	64.070	08.04.13	15.02.14	10
496	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	64.650	08.04.13	21.10.14	18
497	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	65.400	08.04.13	16.02.15	22
498	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	66.020	08.04.13	23.01.17	44
499	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	66.200	08.04.13	15.02.14	10

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
500	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	67.150	08.04.13	02.04.15	24
501	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	स्केप/क्रासिंग	67.460	08.04.13	19.10.16	42
502	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	67.860	08.04.13	16.02.15	22
503	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	दायीं विंग दीवार	67.860	08.04.13	25.01.20	81
504	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	68.395	08.04.13	02.04.14	24
505	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	69.245	08.04.13	03.03.14	11
506	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	69.885	08.04.13	03.03.14	11
507	महादेव	अल्पिका	फाल	1.200	08.04.13	01.02.15	22
508	महादेव	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.415	08.04.13	01.02.15	22
509	महादेव	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल/फाल	1.990	08.04.13	01.02.15	22
510	महादेव	अल्पिका	नाला क्रासिंग	2.465	08.04.13	02.03.20	83
511	महादेव	अल्पिका	नाला क्रासिंग	2.925	08.04.13	02.03.20	83
512	महादेव	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	3.650	08.04.13	01.02.15	22
513	महादेव	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	3.860	08.04.13	01.02.15	22
514	महादेव	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.760	08.04.13	01.02.15	22
515	महादेव	अल्पिका	जिला सड़क पुल	5.455	08.04.13	01.02.15	22
516	महादेव	अल्पिका	टेलफाल	6.610	08.04.13	01.02.15	22
517	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.650	08.04.13	05.08.20	88
518	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल/शीर्ष रेगुलेटर	1.000	08.04.13	05.08.20	88
519	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल/शीर्ष रेगुलेटर	1.700	08.04.13	05.08.20	88
520	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल/फाल	2.600	08.04.13	05.08.20	88
521	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल/फाल	3.150	08.04.13	05.08.20	88
522	बनकटवा	राजवाहा	साईफन	3.400	08.04.13	05.08.20	88
523	बनकटवा	राजवाहा	फाल	4.600	08.04.13	05.08.20	88
524	बनकटवा	राजवाहा	नाला साईफन	5.350	08.04.13	05.08.20	88
525	बनकटवा	राजवाहा	जिला सड़क पुल/फाल	5.525	08.04.13	18.02.19	70
526	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल/फाल	6.125	08.04.13	05.08.20	88
527	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	7.600	08.04.13	05.08.20	88
528	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	8.050	08.04.13	02.11.20	90
529	बनकटवा	राजवाहा	फाल	9.000	08.04.13	23.02.19	70
530	बनकटवा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	17.700	08.04.13	08.01.19	69
531	राप्ती स्केप	स्केप	ग्रामीण सड़क पुल	0.400	08.04.13	11.02.19	70
532	राप्ती स्केप	स्केप	फाल	0.550	08.04.13	15.05.19	73
533	राप्ती स्केप	स्केप	टेलफाल	0.850	08.04.13	31.10.19	78

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 70.000 से 80.000							
534	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	70.940	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
535	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	71.490	08.04.13	07.02.15	22
536	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	72.300	08.04.13	07.02.15	22
537	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	72.820	08.04.13	15.02.14	10
538	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	73.060	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
539	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग एवं ग्रामीण सड़क पुल	74.200	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
540	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	75.400	08.04.13	07.02.15	22
541	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	75.800	08.04.13	07.02.15	22
542	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	76.700	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
543	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	77.410	08.04.13	03.03.14	11
544	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	77.600	08.04.13	23.09.14	17
545	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	78.670	08.04.13	02.04.14	12
546	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	78.900	08.04.13	29.09.14	17
547	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.080	08.04.13	15.02.21	94
548	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.910	08.04.13	20.08.15	28
549	हल्लौरा	राजवाहा	फाल	1.500	08.04.13	15.06.15	26
550	हल्लौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	2.300	08.04.13	15.06.15	26
551	हल्लौरा	राजवाहा	फाल	2.900	08.04.13	15.06.15	26
552	हल्लौरा	राजवाहा	फाल	3.500	08.04.13	15.06.15	26
553	हल्लौरा	राजवाहा	फाल	3.608	08.04.13	20.08.15	28
554	हल्लौरा	राजवाहा	साईफन	4.035	08.04.13	20.08.15	28
555	हल्लौरा	राजवाहा	प्रादेशिक सड़क पुल एवं फाल	4.540	08.04.13	20.08.15	28
556	हल्लौरा	राजवाहा	रेलवे क्रासिंग	4.700	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
557	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.100	08.04.13	20.08.15	28
558	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.850	08.04.13	20.08.15	28

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
559	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	6.580	08.04.13	02.07.15	27
560	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	7.610	08.04.13	15.06.15	26
561	हल्लौरा	राजवाहा	फाल	7.700	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
562	हल्लौरा	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	7.800	08.04.13	15.06.15	26
563	हल्लौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	8.080	08.04.13	02.07.15	27
564	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	9.250	08.04.13	02.07.15	27
565	हल्लौरा	राजवाहा	फाल	9.900	08.04.13	15.06.15	26
566	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	10.450	08.04.13	02.07.15	27
567	हल्लौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	11.380	08.04.13	02.07.15	27
568	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	11.700	08.04.13	02.07.15	27
569	हल्लौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	12.400	08.04.13	15.02.21	94
570	हल्लौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	12.905	08.04.13	20.08.15	28
571	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.300	08.04.13	15.05.15	25
572	प्रेमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.780	08.04.13	15.05.15	25
573	प्रेमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.600	08.04.13	15.05.15	25
574	प्रेमपुर	राजवाहा	साईफन	1.620	08.04.13	17.08.15	28
575	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	2.580	08.04.13	15.05.15	25
576	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.050	08.04.13	17.08.15	28
577	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.520	08.04.13	17.08.15	28
578	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	4.000	08.04.13	15.06.15	26
579	प्रेमपुर	राजवाहा	प्रादेशिक सड़क पुल	4.550	08.04.13	25.08.20	88
580	प्रेमपुर	राजवाहा	रेलवे क्रासिंग	4.580	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
581	प्रेमपुर	राजवाहा	साईफन	5.290	08.04.13	17.08.15	28
582	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	5.540	08.04.13	15.05.15	25
583	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	5.900	08.04.13	17.08.15	28
584	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	6.305	08.04.13	17.08.15	28

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
585	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	7.340	08.04.13	17.08.15	28
586	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	8.170	08.04.13	17.08.15	28
587	प्रेमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	9.250	08.04.13	17.08.15	28
588	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	10.110	08.04.13	14.08.15	28
589	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	10.300	08.04.13	17.08.15	28
590	प्रेमपुर	राजवाहा	फाल	10.900	08.04.13	15.06.15	26
591	प्रेमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	11.410	08.04.13	17.08.15	28
592	प्रेमपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	12.340	08.04.13	14.08.15	28
593	प्रेमपुर	राजवाहा	फाल	12.800	08.04.13	15.06.15	26
594	प्रेमपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	13.080	08.04.13	18.08.15	28
595	भदुई	अल्पिका	फाल	0.250	08.04.13	15.06.15	26
596	भदुई	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	0.620	08.04.13	02.07.15	27
597	भदुई	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.910	08.04.13	02.07.15	27
598	भदुई	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	2.080	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
599	भदुई	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.500	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
600	भदुई	अल्पिका	फाल	2.800	08.04.13	15.06.15	26
601	भदुई	अल्पिका	जिला सड़क पुल	3.275	08.04.13	14.08.15	28
602	भदुई	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.500	08.04.13	14.08.15	28
603	भदुई	अल्पिका	फाल	4.000	08.04.13	02.07.15	27
604	भदुई	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.000	08.04.13	14.08.15	28
605	भदुई	अल्पिका	साईफन	5.250	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
606	भदुई	अल्पिका	टेलफाल	5.475	08.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 80.000 से 98.000							
607	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	80.063	19.04.13	29.10.14	18
608	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	80.329	19.04.13	20.04.14	12

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
609	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	80.363	19.04.13	03.11.14	19
610	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	81.100	19.04.13	08.10.14	18
611	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	81.700	19.04.13	03.11.14	19
612	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	82.000	19.04.13	19.04.15	24
613	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	82.600	19.04.13	23.01.14	9
614	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	82.581	19.04.13	29.04.14	12
615	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	82.806	19.04.13	03.03.14	11
616	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	83.500	19.04.13	20.02.14	10
617	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	83.525	19.04.13	20.02.14	10
618	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन एक्वाडक्ट	84.565	19.04.13	19.04.15	24
619	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	84.808	19.04.13	20.02.14	10
620	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	85.200	19.04.13	23.05.19	73
621	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन एक्वाडक्ट	86.400	19.04.13	10.01.14	9
622	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	86.760	19.04.13	29.09.14	17
623	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	86.800	19.04.13	06.04.15	24
624	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	स्केप	86.950	19.04.13	02.01.19	69
625	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन एक्वाडक्ट	87.200	19.04.13	22.05.15	25
626	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	87.400	19.04.13	23.01.14	9
627	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	87.779	19.04.13	19.09.14	17
628	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	87.779	19.04.13	29.09.17	53
629	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	88.200	19.04.13	21.06.14	14
630	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	साईफन एक्वाडक्ट	88.500	19.04.13	29.10.14	18
631	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	89.233	19.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
632	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	89.898	19.04.13	29.09.14	17
633	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	89.898	19.04.13	05.06.20	86
634	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	पाइप साईफन	90.750	19.04.13	12.01.21	93
635	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	91.000	19.04.13	12.03.14	11
636	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	91.406	19.04.13	30.01.15	21
637	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	91.918	19.04.13	18.01.19	69
638	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर साईफन	91.918	19.04.13	18.01.19	69
639	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	92.300	19.04.13	03.05.14	13
640	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	पाइप साईफन	92.382	19.04.13	18.10.21	102
641	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	92.392	19.04.13	29.04.14	12
642	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	92.851	19.04.13	28.02.14	10
643	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	93.200	19.04.13	03.05.14	13

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
644	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	पाइप साईफन	94.125	19.04.13	12.01.21	93
645	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	94.150	19.04.13	12.01.21	93
646	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	94.200	19.04.13	03.05.14	13
647	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	95.204	19.04.13	29.07.15	27
648	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	95.565	19.04.13	04.09.14	17
649	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	96.169	19.04.13	20.05.19	73
650	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला साईफन	96.266	19.04.13	07.02.19	70
651	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	रेलवे क्रासिंग	96.478	19.04.13	12.03.14	11
652	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	96.813	19.04.13	31.08.19	76
653	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	97.000	19.04.13	03.05.14	13
654	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	97.300	19.04.13	03.05.14	13
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 98.000 से 114.000							
655	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	98.362	19.04.13	22.02.14	10
656	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	98.500	19.04.13	22.03.14	11
657	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	98.600	19.04.13	30.05.19	73
658	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	99.014	19.04.13	17.10.14	18
659	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	100.000	19.04.13	10.09.15	29
660	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	100.628	19.04.13	18.02.15	22
661	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	101.700	19.04.13	30.05.19	73
662	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	102.300	19.04.13	29.05.19	73
663	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	102.470	19.04.13	10.04.15	24
664	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	103.050	19.04.13	04.09.15	29
665	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	103.151	19.04.13	18.02.15	22
666	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	क्रासिंग	103.770	19.04.13	10.04.15	24
667	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	104.400	19.04.13	25.07.19	75
668	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	104.681	19.04.13	20.03.14	11
669	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	104.800	19.04.13	20.03.14	11
670	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	105.563	19.04.13	20.03.14	11
671	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	106.000	19.04.13	10.04.15	24
672	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	106.335	19.04.13	28.02.14	10
673	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	106.500	19.04.13	10.04.15	24
674	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	107.400	19.04.13	10.09.15	29
675	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	108.029	19.04.13	20.02.14	10
676	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	108.560	19.04.13	29.09.14	17
677	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	108.829	19.04.13	22.03.14	11
678	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	109.570	19.04.13	24.03.15	23
679	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	प्रादेशिक सड़क पुल	109.604	19.04.13	28.02.14	10

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
680	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	109.910	19.04.13	20.09.18	65
681	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	फाल	110.100	19.04.13	04.03.14	11
682	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	110.388	19.04.13	14.03.14	11
683	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	111.160	19.04.13	10.04.15	24
684	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नहर क्रासिंग	112.130	19.04.13	04.03.14	11
685	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	112.326	19.04.13	04.03.14	11
686	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	113.400	19.04.13	10.09.15	29
687	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	113.660	19.04.13	23.04.15	24
688	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.250	19.04.13	10.11.20	91
689	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	0.900	19.04.13	10.11.20	91
690	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	1.233	19.04.13	10.11.20	91
691	बर्डपुर	राजवाहा	नाला साईफन	1.600	19.04.13	10.11.20	91
692	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.700	19.04.13	16.08.21	100
693	बर्डपुर	राजवाहा	नाला साईफन	2.050	19.04.13	10.11.20	91
694	बर्डपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल	2.580	19.04.13	10.08.21	100
695	बर्डपुर	राजवाहा	नाला साईफन	2.770	19.04.13	10.08.21	100
696	बर्डपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.320	19.04.13	10.08.21	100
697	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.850	19.04.13	10.08.21	100
698	बर्डपुर	राजवाहा	एक्वाडक्ट	4.320	19.04.13	10.08.21	100
699	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	4.800	19.04.13	10.08.21	100
700	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.250	19.04.13	17.08.21	100
701	बर्डपुर	राजवाहा	जिला सड़क पुल एवं फाल	5.620	19.04.13	17.08.21	100
702	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.715	19.04.13	17.08.21	100
703	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.950	19.04.13	17.08.21	100
704	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	6.290	19.04.13	17.08.21	100
705	बर्डपुर	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	6.630	19.04.13	17.08.21	100
706	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.500	19.04.13	29.04.19	72
707	पकडिहवा	अल्पिका	फाल	0.600	19.04.13	21.08.19	76
708	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.075	19.04.13	29.04.19	72
709	पकडिहवा	अल्पिका	फाल	2.575	19.04.13	21.08.19	76
710	पकडिहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	3.050	19.04.13	20.05.19	73
711	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.175	19.04.13	20.11.19	79
712	पकडिहवा	अल्पिका	फाल	3.450	19.04.13	21.08.19	76
713	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.200	19.04.13	29.04.19	72

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
714	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.170	19.04.13	29.04.19	72
715	पकडिहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	5.925	19.04.13	20.05.19	73
716	पकडिहवा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	6.350	19.04.13	20.11.19	79
717	पकडिहवा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	6.875	19.04.13	20.05.19	73
718	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.365	19.04.13	20.05.19	73
719	पकडिहवा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.765	19.04.13	20.05.19	73
720	पकडिहवा	अल्पिका	टेल दीवार	7.900	19.04.13	22.04.20	84
721	खैरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.135	19.04.13	28.04.19	72
722	खैरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल एवं फाल	1.060	19.04.13	24.07.19	75
723	खैरी	अल्पिका	फाल	1.700	19.04.13	02.09.19	77
724	खैरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.020	19.04.13	28.04.19	72
725	खैरी	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.700	19.04.13	22.05.19	73
726	खैरी	अल्पिका	जिला सड़क पुल एवं फाल	3.500	19.04.13	24.07.19	75
727	खैरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.850	19.04.13	06.05.19	73
728	खैरी	अल्पिका	नाला क्रासिंग	4.780	19.04.13	02.09.19	77
729	खैरी	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल एवं फाल	4.800	19.04.13	13.10.20	90
730	खैरी	अल्पिका	नाला क्रासिंग	5.300	19.04.13	13.10.20	90
731	खैरी	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.620	19.04.13	22.05.19	73
732	खैरी	अल्पिका	फाल	7.000	19.04.13	02.09.19	77
733	खैरी	अल्पिका	टेल दीवार	7.794	19.04.13	05.01.21	93
734	तालकुंडा	अल्पिका	फाल	0.200	19.04.13	15.09.19	77
735	तालकुंडा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	0.400	19.04.13	27.04.20	84
736	तालकुंडा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	0.685	19.04.13	09.04.15	24
737	तालकुंडा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	1.500	19.04.13	27.04.20	84
738	तालकुंडा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.770	19.04.13	09.04.15	24
739	तालकुंडा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.300	19.04.13	02.09.15	29
740	तालकुंडा	अल्पिका	फाल	2.600	19.04.13	05.09.19	77
741	तालकुंडा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.570	19.04.13	22.09.15	29
742	तालकुंडा	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	4.685	19.04.13	13.10.20	90
743	तालकुंडा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	4.710	19.04.13	27.04.20	84
744	तालकुंडा	अल्पिका	फाल	5.500	19.04.13	05.09.19	77
745	तालकुंडा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	5.750	19.04.13	22.09.15	29
746	तालकुंडा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	6.700	19.04.13	22.05.19	73
747	तालकुंडा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	7.210	19.04.13	22.05.19	73

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
748	तालकुंडा	अल्पिका	टेल दीवार	7.425	19.04.13	22.05.19	73
राप्ती मुख्य नहर का भाग: किलोमीटर 114.000 से 125.682							
749	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	114.000	12.04.13	18.01.14	9
750	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	रेलवे क्रासिंग	114.130	12.04.13	RLY	
751	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	114.300	12.04.13	18.01.14	9
752	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	114.975	12.04.13	18.01.14	9
753	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	114.540	12.04.13	10.10.14	18
754	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	115.030	12.04.13	18.01.14	9
755	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	115.325	12.04.13	02.11.18	67
756	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	115.980	12.04.13	20.02.14	10
757	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	116.192	12.04.13	20.02.14	10
758	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	116.400	12.04.13	10.10.14	18
759	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	116.720	12.04.13	28.02.14	10
760	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	116.730	12.04.13	04.12.14	20
761	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	117.090	12.04.13	28.02.14	10
762	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	117.280	12.04.13	28.02.14	10
763	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	117.390	12.04.13	04.12.14	20
764	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	117.700	12.04.13	30.03.15	23
765	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	118.190	12.04.13	28.02.14	10
766	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	120.080	12.04.13	04.02.15	22
767	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	120.510	12.04.13	12.03.14	11
768	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	121.030	12.04.13	20.09.18	65
769	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	121.575	12.04.13	02.11.18	67
770	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	121.760	12.04.13	12.03.14	11
771	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	ग्रामीण सड़क पुल	122.360	12.04.13	12.03.14	11
772	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	शीर्ष रेगुलेटर	122.440	12.04.13	10.10.14	18
773	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	123.685	12.04.13	30.03.15	23
774	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	123.940	12.04.13	12.03.14	11
775	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	124.600	12.04.13	30.03.15	23
776	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	124.560	12.04.13	12.03.14	11
777	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	125.180	12.04.13	20.12.14	20
778	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	नाला क्रासिंग	125.280	12.04.13	18.01.14	9
779	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	जिला सड़क पुल	125.592	12.04.13	12.03.14	11
780	राप्ती मुख्य नहर	मुख्य	इनलेट	125.682	12.04.13	14.03.18	59
781	धनौरा	राजवाहा	प्रादेशिक सड़क पुल	0.536	12.04.13	09.10.14	18
782	धनौरा	राजवाहा	नाला क्रासिंग	0.640	12.04.13	17.09.20	89
783	धनौरा	राजवाहा	नाला क्रासिंग	1.620	12.04.13	17.09.20	89

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
784	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	2.075	12.04.13	09.10.14	18
785	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	3.421	12.04.13	09.10.14	18
786	धनौरा	राजवाहा	नाला क्रासिंग	3.719	12.04.13	17.09.20	89
787	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	3.990	12.04.13	09.10.14	18
788	धनौरा	राजवाहा	साईफन	5.440	12.04.13	18.12.20	92
789	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	5.800	12.04.13	09.10.14	18
790	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	7.452	12.04.13	09.10.14	18
791	धनौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	9.066	12.04.13	09.10.14	18
792	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	9.356	12.04.13	09.10.14	18
793	धनौरा	राजवाहा	नाला क्रासिंग	10.220	12.04.13	17.09.20	89
794	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	10.220	12.04.13	17.09.20	89
795	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	10.330	12.04.13	17.09.20	89
796	धनौरा	राजवाहा	जिला सड़क पुल	11.313	12.04.13	09.10.14	18
797	धनौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	11.446	12.04.13	09.10.14	18
798	धनौरा	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	11.860	12.04.13	17.09.20	89
799	बनचौरी	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.030	12.04.13	20.09.14	17
800	बनचौरी	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	0.300	12.04.13	18.12.20	92
801	बनचौरी	राजवाहा	जिला सड़क पुल	0.650	12.04.13	20.09.14	17
802	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	0.800	12.04.13	16.09.20	89
803	बनचौरी	राजवाहा	फाल	0.920	12.04.13	16.09.20	89
804	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.000	12.04.13	20.09.14	17
805	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	1.530	12.04.13	20.09.14	17
806	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	1.700	12.04.13	16.09.20	89
807	बनचौरी	राजवाहा	फाल	1.920	12.04.13	18.09.20	89
808	बनचौरी	राजवाहा	पाइप साईफन	2.190	12.04.13	16.09.20	89
809	बनचौरी	राजवाहा	जिला सड़क पुल	2.400	12.04.13	20.09.14	17
810	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	2.650	12.04.13	16.09.20	89
811	बनचौरी	राजवाहा	फाल	2.920	12.04.13	18.09.20	89
812	बनचौरी	राजवाहा	पाइप साईफन	2.990	12.04.13	उपलब्ध नहीं कराया	
813	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.000	12.04.13	20.09.14	17
814	बनचौरी	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	3.350	12.04.13	18.12.20	92
815	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	3.450	12.04.13	16.09.20	89
816	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	3.800	12.04.13	20.09.14	17
817	बनचौरी	राजवाहा	शीर्ष रेगुलेटर	4.350	12.04.13	18.12.20	92
818	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	4.900	12.04.13	16.09.20	89

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
819	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	5.200	12.04.13	20.09.14	17
820	बनचौरी	राजवाहा	प्रादेशिक सड़क पुल	5.750	12.04.13	20.09.14	17
821	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	5.980	12.04.13	16.09.20	89
822	बनचौरी	राजवाहा	जिला सड़क पुल	6.600	12.04.13	20.09.14	17
823	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	7.050	12.04.13	20.03.15	23
824	बनचौरी	राजवाहा	नाला क्रासिंग	7.600	12.04.13	16.09.20	89
825	बनचौरी	राजवाहा	ग्रामीण सड़क पुल	7.800	12.04.13	20.09.14	17
826	मटियार	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.140	12.04.13	26.03.15	23
827	मटियार	अल्पिका	नाला क्रासिंग	0.530	12.04.13	18.12.20	92
828	मटियार	अल्पिका	नाला क्रासिंग	0.926	12.04.13	18.12.20	92
829	मटियार	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	1.330	12.04.13	26.03.15	23
830	मटियार	अल्पिका	नाला क्रासिंग	1.800	12.04.13	18.12.20	92
831	मटियार	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.048	12.04.13	26.03.15	23
832	मटियार	अल्पिका	जिला सड़क पुल	2.160	12.04.13	26.03.15	23
833	मटियार	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.800	12.04.13	26.03.15	23
834	मटियार	अल्पिका	नाला क्रासिंग	3.170	12.04.13	18.12.20	92
835	मटियार	अल्पिका	जिला सड़क पुल	3.520	12.04.13	26.03.15	23
836	मटियार	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.940	12.04.13	26.03.15	23
837	मटियार	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	4.490	12.04.13	26.03.15	23
838	बेनीनगर	अल्पिका	नाला क्रासिंग	0.150	12.04.13	16.09.20	89
839	बेनीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.440	12.04.13	20.03.15	23
840	बेनीनगर	अल्पिका	नाला क्रासिंग	0.590	12.04.13	16.09.20	89
841	बेनीनगर	अल्पिका	नाला क्रासिंग	0.800	12.04.13	16.09.20	89
842	बेनीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.070	12.04.13	20.03.15	23
843	बेनीनगर	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.220	12.04.13	20.03.15	23
844	बेनीनगर	अल्पिका	नाला क्रासिंग	1.800	12.04.13	16.09.20	89
845	बेनीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.850	12.04.13	20.03.15	23
846	बेनीनगर	अल्पिका	नाला क्रासिंग	2.320	12.04.13	16.09.20	89
847	बेनीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.450	12.04.13	20.03.15	23
848	बेनीनगर	अल्पिका	फाल	2.600	12.04.13	18.12.20	92
849	बेनीनगर	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.800	12.04.13	20.03.15	23
850	पचउथ	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.218	12.04.13	20.03.15	23
851	पचउथ	अल्पिका	फाल	0.300	12.04.13	16.11.18	67
852	पचउथ	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.716	12.04.13	20.03.15	23
853	पचउथ	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	1.135	12.04.13	20.03.15	23
854	पचउथ	अल्पिका	जिला सड़क पुल	1.400	12.04.13	17.09.20	89
855	पचउथ	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	2.030	12.04.13	20.03.15	23

क्रम संख्या	नहर का नाम	नहर की श्रेणी	संरचना का नाम	निर्माण स्थल	अनुबंध गठन की तिथि	ड्राइंग के अनुमोदन की तिथि	अनुबंध गठन की तिथि से ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
856	परसा	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	0.120	12.04.13	20.03.15	23
857	परसा	अल्पिका	जिला सड़क पुल	0.240	12.04.13	17.09.20	89
858	परसा	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	1.350	12.04.13	20.03.15	23
859	परसा	अल्पिका	फाल	1.600	12.04.13	17.09.20	89
860	परसा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.850	12.04.13	20.03.15	23
861	परसा	अल्पिका	फाल	2.400	12.04.13	17.09.20	89
862	परसा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	3.296	12.04.13	17.09.20	89
863	परसा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.830	12.04.13	17.09.20	89
864	परसा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	3.830	12.04.13	17.09.20	89
865	परसा	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	4.080	12.04.13	20.03.15	23
866	गुल्हौरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	0.820	12.04.13	20.09.14	17
867	गुल्हौरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.260	12.04.13	20.09.14	17
868	गुल्हौरा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	1.400	12.04.13	18.09.20	89
869	गुल्हौरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	1.950	12.04.13	17.09.20	89
870	गुल्हौरा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	1.950	12.04.13	18.09.20	89
871	गुल्हौरा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	2.427	12.04.13	18.09.20	89
872	गुल्हौरा	अल्पिका	प्रादेशिक सड़क पुल	2.561	12.04.13	20.09.14	17
873	गुल्हौरा	अल्पिका	नाला क्रासिंग	3.400	12.04.13	18.09.20	89
874	गुल्हौरा	अल्पिका	ग्रामीण सड़क पुल	3.854	12.04.13	20.09.14	17

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.16

खण्डवार अल्पकालिक निविदा सूचनाओं का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5.4)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अधिशासी अभियन्ता स्तर के चयनित कार्य (अनुबंध)				अधीक्षण अभियन्ता स्तर के चयनित कार्य (अनुबंध)			
	खण्ड का नाम	कार्यों की संख्या (अनुबंध की संख्या)	कुल अनुबंधित राशि	अवधि	खण्ड का नाम	कार्यों की संख्या (अनुबंध की संख्या)	कुल अनुबंधित राशि	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	04	63.51	10 से 16 दिवस	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	03	1,115.03	11 से 15 दिवस
2	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	01	7.73	16 दिवस	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	06	1,479.83	08 से 17 दिवस
3	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	06	105.62	10 से 22 दिवस	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	03	2,185.97	12 से 18 दिवस
4	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	30	541.53	13 से 22 दिवस	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	03	6,692.43	13 से 17 दिवस
5	सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच	02	60.07	15 दिवस	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	01	96.03	12 दिवस
6	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	22	373.46	05 से 28 दिवस				
7	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	9	270.28	14 से 18 दिवस				
8	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	13	298.23	13 से 23 दिवस				
	योग	**87**	**1,720.43**	**05 से 28 दिवस**	**योग**	**16**	**11,569.29**	**08 से 18 दिवस**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.17

राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के छः प्रमुख कार्यों में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट/सीमेंट कंक्रीट कार्यों की अधिक लागत

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.1)

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी राजवाहों और अल्पिकाओं के निर्माण का भाग)	खण्ड का नाम	निर्माण कार्य	कार्य की मद	अनुबंधित दर	ठेकेदार के देयक में दर	आगणन में प्रति घन मीटर सीमेंट बैग की मात्रा	मिक्स डिजाइन में प्रति घन मीटर सीमेंट बैग की मात्रा	अंतर (स्तंभ 8 - 9)	प्रति बैग सीमेंट की दर	अंतर की राशि (स्तंभ 10 × 11)	मार्च 2022 तक निष्पादित मात्रा	अधिक सीमेंट की लागत (स्तंभ 12 × 13)	जून 2024 तक लंबित वसूली स्तंभ 14 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	किलोमीटर 0.000 से 35.000	सरयू नहर खण्ड -3 बहराइच	राप्ती मुख्य नहर	एम-15 (ए40)	6930.00	6930.00	6.10	5.66	0.44	325.00	143.00	6706.71	959059.53	
2				एम-15 (ए20)	7020.00	7020.00	6.10	5.93	0.17	325.00	55.25	817.16	45147.98	
3				एम-20 (ए20)	7830.00	7830.00	7.90	6.80	1.10	325.00	357.50	7041.70	2517407.39	
4				एम-25 (ए20)	9090.00	9090.00	11.10	8.80	2.30	325.00	747.50	11096.21	8294413.24	
5				एम-25 (ए12)	9900.00	9900.00	11.10	8.80	2.30	325.00	747.50	444.92	332575.46	
6				एम-30 (ए20)	9889.68	9900.00	11.90	9.00	2.90	325.00	942.50	23510.28	22158435.13	
		योग										**49616.98**	**34307038.73**	**34307038.73**
7		सरयू नहर खण्ड -4 बहराइच	राप्ती मुख्य नहर	एम-15 (ए40)	6930.00	6930.00	6.10	5.66	0.44	325.00	143.00	837.94	119825.42	
8				एम-15 (ए20)	7020.00	7020.00	6.10	5.93	0.17	325.00	55.25	672.75	37169.55	
9				एम-20 (ए20)	7830.00	7830.00	7.90	6.80	1.10	325.00	357.50	1891.60	676248.43	
10				एम-25 (ए20)	9090.00	9090.00	11.10	8.80	2.30	325.00	747.50	29678.75	22184867.87	
11				एम-25 (ए12)	9900.00	9900.00	11.10	8.80	2.30	325.00	747.50	77.32	57796.70	
12				एम-30 (ए20)	9889.68	9900.00	11.90	9.00	2.90	325.00	942.50	6046.11	5698453.96	
13				एम-10 (ए40)	6030.00	6030.00	4.30	4.20	0.10	325.00	32.50	70.34	2286.05	

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी राजवाहों और अल्पिकाओं के निर्माण का भाग)	खण्ड का नाम	निर्माण कार्य	कार्य की मद	अनुबंधित दर	ठेकेदार के देयक में दर	आगणन में प्रति घन मीटर सीमेंट बैग की मात्रा	मिक्स डिजाइन में प्रति घन मीटर सीमेंट बैग की मात्रा	अंतर (स्तंभ 8 - 9)	प्रति बैग सीमेंट की दर	अंतर की राशि (स्तंभ 10 × 11)	मार्च 2022 तक निष्पादित मात्रा	अधिक सीमेंट की लागत (स्तंभ 12 × 13)	जून 2024 तक लंबित वसूली स्तंभ 14 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
14			राजवाहा एवं अल्पिकाएं	एम-20 (ए20)	7830.00	7830.00	7.90	6.80	1.10	325.00	357.50	31.97	11427.85	
		योग										**39306.78**	**28788075.83**	**28788075.83**
15	किलोमीटर 50.000 से 60.000	सरयू नहर खण्ड- 5 गोण्डा	राप्ती मुख्य नहर	एम-10 (ए40)	6300.00	6300.00	4.30	4.28	0.02	325.00	6.50	5073.27	32976.28	
16				एम15 (एम20)	8100.00	8100.00	6.10	5.84	0.26	325.00	84.50	9340.91	789307.06	
17				एम25 (ए20)	9405.00	9405.00	11.10	9.52	1.58	325.00	513.50	25699.69	13196788.25	
18			राजवाहा एवं अल्पिकाएं	एम-10 (ए40)	6300.00	6300.00	4.30	4.28	0.02	325.00	6.50	7418.33	48219.14	
19				एम-20 (ए20)	8100.00	8100.00	7.90	6.92	0.98	325.00	318.50	3949.64	1257960.34	
		योग										**51481.84**	**15325251.07**	**15325251.07**
20	किलोमीटर 60.000 से 80.000	राप्ती नहर निर्माण खण्ड 2, तुलसीपुर, बलरामपुर	राप्ती मुख्य नहर	एम-25 (ए20)	9976.80	9140.58	11.10	8.20	2.90	325.00	942.50	95546.60	90052670.50	
		योग										**95546.60**	**90052670.50**	**10154692.65**[3]
21				एम-20 (ए20)	9144.58	9144.58	7.90	7.52	0.38	325.00	123.50	26697.11	3297092.84	

[3] ₹ 9.01 करोड़ की अतिरिक्त लागत के सापेक्ष ₹ 7.99 करोड़ का समायोजन ठेकेदार के देयक में कार्य की प्रति घनमीटर दर में कटौती के माध्यम से किया गया।

क्रम संख्या	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी राजवाहों और अल्पिकाओं के निर्माण का भाग)	खण्ड का नाम	निर्माण कार्य	कार्य की मद	अनुबंधित दर	ठेकेदार के देयक में दर	आगणन में प्रति घन मीटर सीमेंट बैग की मात्रा	मिक्स डिजाइन में प्रति घन मीटर सीमेंट बैग की मात्रा	अंतर (स्तंभ 8 - 9)	प्रति बैग सीमेंट की दर	अंतर की राशि (स्तंभ 10 × 11)	मार्च 2022 तक निष्पादित मात्रा	अधिक सीमेंट की लागत (स्तंभ 12 × 13)	जून 2024 तक लंबित वसूली स्तंभ 14 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
22	किलोमीटर 114.000 से 125.682	सरयू नहर खण्ड बांसी, सिद्धार्थनगर	राप्ती मुख्य नहर	एम-25 (ए20)	9998.00	9998.00	11.10	8.20	2.90	325.00	942.50	26235.06	24726543.11	
23			कैम्पियर-गंज	एम-20 (ए20)	9144.58	9144.58	7.90	7.52	0.38	325.00	123.50	4805.49	593477.40	
24				एम-25 (ए20)	9998.00	9998.00	11.10	8.20	2.90	325.00	942.50	24974.39	23538363.52	
25			राजवाहा एवं अल्पिकाएं	एम-20 (ए20)	9144.58	9144.58	7.90	7.52	0.38	325.00	123.50	322.99	39888.89	
		योग										**83035.04**	**52195365.76**	**52195365.76**
		कुल योग										**318987.24**	**220668401.89**	**140770424.04**
														अर्थात ₹ 14.08 करोड़

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.18
ठेकेदारों को रॉयल्टी का अधिक भुगतान
(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.2)

(मात्रा घन मीटर में और राशि ₹ में)

क्रम सं0	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसके राजवाहों और अल्पिकाओं के निर्माण का भाग)	मिट्टी के कार्य की मद	मार्च 2022 तक निष्पादित कुल मिट्टी कार्य की मात्रा	मार्च 2018 से पहले निष्पादित मिट्टी कार्य की मात्रा	मार्च 2018 के बाद निष्पादित मिट्टी कार्य की मात्रा (स्तंभ 4 - 5)	प्रति घन मीटर रॉयल्टी की दर	ठेकेदारों को भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि (स्तंभ 6 × 7)	जून 2024 तक लंबित वसूली स्तंभ 8 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**किलोमीटर 0.000 से 35.000**	स्प्रिंग स्तर से ऊपर खुदायी	3209632.36	2994330.99	215301.37	14.00	3014219.15	
2		स्प्रिंग स्तर से नीचे खुदायी	644228.84	608085.20	36143.64	14.00	506010.96	
3		नींव	579433.21	573620.68	5812.53	14.00	81375.42	
4		मार्ग परिवर्तन	17339.20	17339.20	0.00	14.00	0.00	
5		रैंप निर्माण	7833.00	7833.00	0.00	14.00	0.00	
6		परिवर्तन नाला	57207.03	15601.03	41606.00	14.00	582484.00	
7		नाला नहर सेक्शन	22322.21	22322.21	0.00	14.00	0.00	
8		गाइड बंध	47544.78	47544.78	0.00	14.00	0.00	
	योग						**4184089.53**	**1900677.53**
1	**किलोमीटर 35.000 से 50.000**	स्प्रिंग स्तर से ऊपर खुदायी	1436801.34	1390141.68	46659.65	14.00	653235.14	
2		स्प्रिंग स्तर से नीचे खुदायी	1071198.46	902950.37	168248.09	14.00	2355473.19	
3		भराव	388903.22	147765.88	241137.34	14.00	3375922.77	

क्रम सं0	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसके राजवाहों और अल्पिकाओं के निर्माण का भाग)	मिट्टी के कार्य की मद	मार्च 2022 तक निष्पादित कुल मिट्टी कार्य की मात्रा	मार्च 2018 से पहले निष्पादित मिट्टी कार्य की मात्रा	मार्च 2018 के बाद निष्पादित मिट्टी कार्य की मात्रा (स्तंभ 4 - 5)	प्रति घन मीटर रॉयल्टी की दर	ठेकेदारों को भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि (स्तंभ 6 × 7)	जून 2024 तक लंबित वसूली स्तंभ 8 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4		नींव	601464.03	446801.79	154662.25	14.00	2165271.46	
5		मार्ग परिवर्तन	118402.35	29760.67	88641.68	14.00	1240983.48	
6		रैंप निर्माण	32499.21	2620.89	29878.32	14.00	418296.48	
7		परिवर्तन नाला	81454.88	66404.71	15050.17	14.00	210702.32	
8		नाला नहर सेक्शन	26613.00	0.00	26613.00	14.00	372581.93	
9		गाइड बंध	108686.14	0.00	108686.14	14.00	1521605.93	
	योग						**12314072.70**	**12314072.70**
1	**किलोमीटर 80.000 से 114.000**	स्प्रिंग स्तर से ऊपर खुदायी	1127191.88	639644.74	487547.14	14.00	6825659.96	
2		स्प्रिंग स्तर से नीचे खुदायी	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	
3		भराव (105 मीटर दूरी)	49348.79	49348.79	0.00	14.00	0.00	
4		भराव (1 किलोमीटर दूरी)	394579.25	86099.24	308480.01	14.00	4318720.17	
5		भराव (3 किलोमीटर दूरी)	730323.08	280160.02	450163.06	14.00	6302282.84	
6		नींव	920549.80	435424.50	485125.30	14.00	6791754.24	
7		परिवर्तन व रैंप निर्माण	266127.71	63678.85	202448.86	14.00	2834284.01	
	योग						**27072701.22**	**24561364.22**
1	**किलोमीटर 114.000 से 125.682**	स्प्रिंग स्तर से ऊपर खुदायी	1021751.34	378218.12	643533.21	14.00	9009464.98	

क्रम सं0	कार्य का नाम (राप्ती मुख्य नहर एवं इसके राजवाहों और अल्पिकाओं के निर्माण का भाग)	मिट्टी के कार्य की मद	मार्च 2022 तक निष्पादित कुल मिट्टी कार्य की मात्रा	मार्च 2018 से पहले निष्पादित मिट्टी कार्य की मात्रा	मार्च 2018 के बाद निष्पादित मिट्टी कार्य की मात्रा (स्तंभ 4 - 5)	प्रति घन मीटर रॉयल्टी की दर	ठेकेदारों को भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि (स्तंभ 6 × 7)	जून 2024 तक लंबित वसूली स्तंभ 8 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2		स्प्रिंग स्तर से नीचे खुदायी	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	
3		भराव (105 मीटर दूरी)	75317.35	70654.43	4662.92	14.00	65280.88	
4		भराव (1 किलोमीटर दूरी)	300254.40	127170.13	173084.27	14.00	2423179.81	
5		भराव (3 किलोमीटर दूरी)	132828.55	132828.55	0.00	14.00	0.00	
6		नींव	860939.19	282823.99	578115.20	14.00	8093612.74	
7		परिवर्तन व रैंप निर्माण	213481.19	113034.18	100447.01	14.00	1406258.18	
8		परिवर्तन नाला निर्माण	9426.96	0.00	9426.96	14.00	131977.44	
	योग						**21129774.03**	**20980495.27**
	कुल योग						**64700637.48**	**59756609.72 अर्थात ₹ 5.98 करोड़**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.19
ठेकेदारों को अनुचित लाभ
(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.4)

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य की मद	निष्पादित मात्रा	पुराने अनुबंध के अनुसार दर	पुरानी अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*6)	नये अनुबंध के अनुसार दर	नये अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*8)	अतिरिक्त दर (स्तंभ 8-6)	प्रतिशत	अतिरिक्त व्यय (स्तंभ 9-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	सरयू नहर खण्ड 4, बहराइच	01/एसई/ 2020-21	नींव खुदायी में मिट्टी कार्य	61261.765	117.00	7167626.51	140.00	8576647.10	23.00	20	1409020.60
2			नींव में सादा सीमेंट कंक्रीट एम-15 बिछाना	8599.540	6930.00	59594812.20	10500.00	90295170.00	3570.00	52	30700357.80
3			प्रबलित सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 बिछाना	2645.259	7630.00	20183326.17	12500.00	33065737.50	4870.00	64	12882411.33
4			प्रबलित सीमेंट कंक्रीट 1:1:2 एम-25 बिछाना	9331.001	9090.00	84818799.09	12500.00	116637512.50	3410.00	38	31818713.41
5			ग्रेडेड फिल्टर की आपूर्ति एवं बिछाना	946.999	2700.00	2556897.30	2800.00	2651597.20	100.00	4	94699.90
6			ड्रेन नहर खोदने में मिट्टी कार्य	101149.800	72.00	7282785.60	97.50	9862105.50	25.50	35	2579319.90
7			सभी प्रकार की मिट्टी में राप्ती मुख्य नहर बनाने में मिट्टी कार्य, जिसमें सभी प्रकार की दूरी, लिफ्ट, रॉयल्टी और अतिरिक्त मिट्टी का निपटान शामिल है, जिसमें मानवीय संघनन और प्रोफाइल को दरेसी के साथ स्प्रिंग स्तर से नीचे	62278.180	108.00	6726043.44	120.00	7473381.60	12.00	11	747338.16

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य की मद	निष्पादित मात्रा	पुराने अनुबंध के अनुसार दर	पुरानी अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*6)	नये अनुबंध के अनुसार दर	नये अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*8)	अतिरिक्त दर (स्तंभ 8-6)	प्रतिशत	अतिरिक्त व्यय (स्तंभ 9-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			सभी घटक, मजदूर, उपकरण और संयंत्र आदि सम्मिलित हैं								
8		05/ एसई/ 2021-22	सभी प्रकार की मिट्टी में स्प्रिंग स्तर से ऊपर 30 क्यूसेक निस्सरण से ऊपर नहर निर्माण में मिट्टी कार्य	14220.000	90.00	1279800.00	96.90	1377918.00	6.90	8	98118.00
9	सरयू नहर खण्ड 3, बहराइच	05/ एसई/ 2021-22	सभी प्रकार की मिट्टी में 30 क्यूसेक निस्सरण से ऊपर नहर निर्माण में मिट्टी कार्य जिसमें सभी दूरी लिफ्ट रॉयल्टी और अतिरिक्त मिट्टी का निपटान शामिल है, जिसमें मानवीय संघनन और प्रोफाइल की दरेसी के साथ उत्खनन टीला को शामिल किया गया है, जिसमें काम को सही तरीके से पूरा करने के लिये आवश्यक सभी श्रम, उपकरण और संयंत्र आदि सम्मिलित हैं।	466291.740	90.00	41966256.60	168.00	78337012.32	78.00	87	36370755.72
10		10/एसई/ 2019-20	स्प्रिंग स्तर ग्रेडेड फिल्टर जिसमें सभी कर और सभी श्रम और उपकरण और संयंत्र आदि की लागत सम्मिलित है (अ) मोटी रेत	148.729	2700.00	401568.30	3800.00	565170.20	1100.00	41	163601.90

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य की मद	निष्पादित मात्रा	पुराने अनुबंध के अनुसार दर	पुरानी अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*6)	नये अनुबंध के अनुसार दर	नये अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*8)	अतिरिक्त दर (स्तंभ 8-6)	प्रतिशत	अतिरिक्त व्यय (स्तंभ 9-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11			स्प्रिंग स्तर ग्रेडेड फिल्टर जिसमें सभी कर और सभी श्रम और उपकरण और संयंत्र आदि की लागत सम्मिलित है (ब) मटर बजरी	223.571	3600.00	804855.60	3800.00	849569.80	200.00	6	44714.20
12			स्प्रिंग स्तर ग्रेडेड फिल्टर जिसमें सभी कर और सभी श्रम और उपकरण और संयंत्र आदि की लागत शामिल है (स) 20 से 40 मिलीमीटर प्राकृतिक बजरी	148.302	3600.00	533887.20	3800.00	563547.60	200.00	6	29660.40
13			नींव के नीचे सूखी रेत भरना	1300.464	900.00	1170417.60	1700.00	2210788.80	800.00	89	1040371.20
14			पुल के ऊपरी हिस्से में 4.75 से 20 मिलीमीटर आकार के कुचले हुए कबरई पत्थर की ग्रिट का उपयोग करके सीमेंट कंक्रीट (एम15) बिछाना	2266.092	6930.00	15704017.56	10200.00	23114138.40	3270.00	47	7410120.84
15		11/एसई/ 2019-20	जेनरेटर और पंप सेट द्वारा कार्यस्थल की जल-निकासी, जिसमें सभी सामग्री, श्रम, उपकरण और संयंत्र आदि की लागत सम्मिलित है (राप्ती मुख्य नहर के किलोमीटर 19.510 पर साइफन का निर्माण)	43502.002	36.00	1566072.07	40.00	1740080.08	4.00	11	174008.01

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य की मद	निष्पादित मात्रा	पुराने अनुबंध के अनुसार दर	पुरानी अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*6)	नये अनुबंध के अनुसार दर	नये अनुबंधित दरों के अनुसार राशि (स्तंभ 5*8)	अतिरिक्त दर (स्तंभ 8-6)	प्रतिशत	अतिरिक्त व्यय (स्तंभ 9-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16			जेनरेटर और पंप सेट द्वारा कार्यस्थल की जल-निकासी, जिसमें सभी सामग्री, श्रम, उपकरण और संयंत्र आदि की लागत सम्मिलित है (राप्ती मुख्य नहर के किलोमीटर 0.691 पर साइफन का निर्माण)	52531.600	36.00	1891137.60	40.00	2101264.00	4.00	11	210126.40
17			जेनरेटर और पंप सेट द्वारा कार्यस्थल की का जल-निकासी, जिसमें सभी सामग्री, श्रम, उपकरण और संयंत्र आदि की लागत सम्मिलित है (राप्ती मुख्य नहर के किलोमीटर 15.500 पर इनलेट का निर्माण)	45655.200	36.00	1643587.20	40.00	1826208.00	4.00	11	182620.80
	योग					**255291890.04**		**381247868.60**		**04 से 89**	**125955958.56 अर्थात ₹ 12.60 करोड़**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.20
मिट्टी कार्य एवं पक्की संरचनाओं के लिये गुणवत्ता परीक्षण मानदंड

(संदर्भ: प्रस्तर 3.7)

क्रम संख्या	परीक्षण का नाम	परीक्षण की आवृत्ति	परीक्षण का उद्देश्य	स्वीकृत सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	मिटटी कार्य			
1	कण आकार के विश्लेषण, वर्गीकरण और एटरबर्ग सीमा	प्रत्येक 3000 घन मीटर या प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार समय-समय पर	तटबंध में डाली गयी वास्तविक मिट्टी के वर्गीकरण को जानने के लिये	अनुबंध में उल्लेख नहीं
2	क्षेत्र घनत्व परीक्षण (स्थापन घनत्व परीक्षण, प्रॉक्टर घनत्व द्वारा नियंत्रित और असंयोजित मिट्टी के सापेक्ष घनत्व परीक्षण)	प्रत्येक 1500 घन मीटर मिट्टी कार्य के लिये एक परीक्षण और तटबंध की प्रत्येक परत में कम से कम एक परीक्षण	स्थापन घनत्व और आर्द्रता का निर्धारण करने के लिये	अनुबंध में उल्लेख नहीं
3	मानक प्रॉक्टर परीक्षण	प्रत्येक 10000 घन मीटर सघन मिट्टी के लिये या उत्खनन क्षेत्र में बदलाव या मिट्टी की बनावट में परिवर्तन होने पर, न्यूनतम 3 और अधिकतम 10 नमूने	मिट्टी का अधिकतम शुष्क घनत्व और इष्टतम आर्द्रता निर्धारित करने के लिये	अनुबंध में उल्लेख नहीं
4	आर्द्रता की मात्रा	प्रत्येक नमूने में एक परीक्षण	नमूने में आर्द्रता की मात्रा जानने के लिये	अनुबंध में उल्लेख नहीं
	पक्की संरचनाएं			
1	**सीमेंट**			
	अ) रासायनिक	प्रत्येक खेप के लिये	(i) क्षार तत्व	ओपीसी < 0.60 पीपीसी < 0.70
			(ii) लघु और प्रमुख ऑक्साइड कैलोरीमेट्री विधि द्वारा	अनुबंध बांड में उल्लेख नहीं
			(iii) क्लोराइड	पीपीसी/ओपीसी < 0.05
	ब) भौतिक	प्रत्येक खेप के लिये	(i) सूक्ष्मता	2250 वर्ग सेंटीमीटर प्रति ग्राम से कम नहीं
			(ii) ध्वंसता (ले शैटेलियर विधि द्वारा)	10 मिलीमीटर से अधिक नहीं
			(iii) स्थिरता	5 से 7 मिलीमीटर आधार से प्रवेश

क्रम संख्या	परीक्षण का नाम	परीक्षण की आवृत्ति	परीक्षण का उद्देश्य	स्वीकृत सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(iv)जमने की (प्रारंभिक एवं अंतिम)	प्रारंभिक समय ≤ 30 मिनट, अंतिम समय ≥ 600 मिनट
			(v) संपीडन शक्ति	3 दिवस -160 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर 7 दिवस -220 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर 28 दिवस - 330 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर
			(vi) जलयोजन की ऊष्मा	पीपीसी- 7 दिवस: 65 कैलोरी/ग्राम ओपीसी - 28 दिवस: 75 कैलोरी/ग्राम
			(vii) शुष्कन संकुचन	< 0.15
2	**सूक्ष्म समुच्चय**			
	(i) छलनी विश्लेषण (सूक्ष्मता मापांक)	प्रत्येक 150 घन मीटर कंक्रीट में प्रयुक्त रेत के लिये एक परीक्षण	रेत के कण आकार और सूक्ष्मता मापांक को जानने के लिये	2.2 से 3.2
	(ii) प्रति इकाई भार और रेत की आयतन वृद्धि	प्रत्येक 150 घन मीटर कंक्रीट में प्रयुक्त रेत के लिये एक परीक्षण (प्रत्येक पाली या प्रत्येक खेप पर भी)	रेत के कण आकार और सूक्ष्मता गुणांक को जानने के लिये	रेत की अधिकतम स्वीकृत आयतन वृद्धि सीमा: 20%
	(iii) कार्बनिक अशुद्धियाँ	प्रत्येक 150 घन मीटर कंक्रीट में प्रयुक्त रेत के लिये एक परीक्षण (प्रत्येक शिफ्ट या प्रत्येक खेप पर भी)	रेत की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिये	अनुच्छेद 4.2.2 में उल्लिखित अनुसार
	(iv) सुदृढ़ता	प्रत्येक 150 घन मीटर कंक्रीट में प्रयुक्त रेत के लिये एक परीक्षण	रेत की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिये	5 चक्रों के बाद Na_2SO_4 में डूबने पर हानि ≤ 10%
	(v) विशिष्ट गुरुत्व, आर्द्रता और जल अवशोषण	प्रत्येक 150 घन मीटर कंक्रीट में प्रयुक्त रेत के लिये एक परीक्षण	मिक्स डिज़ाइन गणना के लिये आंकड़े उपयोग करने हेतु	अनुबंध बांड में उल्लेख नहीं किया गया

क्रम संख्या	परीक्षण का नाम	परीक्षण की आवृत्ति	परीक्षण का उद्देश्य	स्वीकृत सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	**मोटा समुच्चय**			
	(i) छलनी विश्लेषण	प्रत्येक 150 घन मीटर या उससे कम के लिये एक परिक्षण	विभिन्न आकारों का वर्गीकरण और प्रतिशत ज्ञात करने के लिये	अनुबंध में उल्लेख नहीं किया गया
	(ii) सुदृढ़ता परीक्षण (सोडियम सल्फेट विधि)	प्रत्येक 150 घन मीटर या उससे कम के लिये एक परिक्षण	मोटे समुच्चय की गुणवत्ता एवं प्रतिशत जांचने के लिये	5 चक्रों के बाद Na_2SO_4 में डूबने पर हानि ≤ 12%
	(iii) कार्बनिक अशुद्धियाँ (माइका सामग्री)	प्रत्येक 150 घन मीटर या उससे कम के लिये एक परिक्षण	मोटे समुच्चय	1% से कम
	(iv) शैलिकी परीक्षण	एक कार्य सत्र में दो बार	हानिकारक घटकों और गाद की मात्रा जानने के लिये	हानिकारक तत्व एवं गाद 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए
4	**जल**			
		प्रत्येक स्रोत से 2 नमूने	pH मान (कार्बनिक)	6 से 8 (200 मिलीग्राम प्रति लीटर) से अधिक नहीं
			pH मान (अकार्बनिक)	3000 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं
5	**प्रबलन**	प्रत्येक खेप के लिये	भार, व्यास, अंतिम परीक्षण, क्षमता, उपज तनाव, बढ़ाव जानने के लिये	व्यास ≤ 8 मिलीमीटर ± 4 व्यास ≤ 8 मिलीमीटर ± 2.5 व्यास ≤ 25 मिलीमीटर ± 0.5
6	**चिनाई एवं कंक्रीट में सीमेंट गारा**			
	1. कंक्रीट के लिये घन परीक्षण	प्रत्येक 50 घन मीटर पर 3 परीक्षण नमूने (प्रति श्रेणी प्रति दिवस कम से कम 3 नमूने)	संपीडक शक्ति	कंक्रीट ग्रेड की शक्ति में परिवर्तन ± 15% से अधिक नहीं होना चाहिए
	2. चिनाई में सीमेंट गारा का घन परीक्षण	प्रत्येक श्रेणी के लिये प्रति दिवस 3 परीक्षण	संपीडक शक्ति	अनुबंध में उल्लेख नहीं किया गया

(स्रोत: अनुबंध की तकनीकी विशिष्टियां)

परिशिष्ट 3.21 (अ)
मुख्य अभियंताओं द्वारा निरीक्षण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.8.2.2)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष	स्थलीय निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षित संरचनाओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-I , अयोध्या	2020-21	18	53
		2021-22	02	02
2	मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-II, गोण्डा	2019-20	04	16
		2020-21	15	40
		2021-22	04	04
योग			**43**	**115**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.21 (ब)
अधीक्षण अभियंताओं द्वारा निरीक्षण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.8.2.2)

क्रम संख्या	मण्डल कार्यालय का नाम	वर्ष	स्थलीय निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षित संरचनाओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अधीक्षण अभियंता, नवम मण्डल, बहराइच	2019-20	04	17
		2020-21	07	45
2	अधीक्षण अभियंता, नहर निर्माण मण्डल, बस्ती	2020-21	01	10
3	अधीक्षण अभियंता, गुण नियंत्रण मंडल, अयोध्या	2020-21	01	01
		2021-22	02	02
4	अधीक्षण अभियंता, राप्ती नहर निर्माण मंडल-2 , बस्ती	2020-21	10	86
		2021-22	09	72
योग			**34**	**233**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.22

मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली में विलम्ब

(संदर्भ: प्रस्तर 3.10.3.1)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं अनुबन्ध की तिथि	अनुबंधित लागत	मोबिलाइजेशन अग्रिम की राशि	मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने की तिथि	अनुबंधित लागत के 80 प्रतिशत के बराबर राशि	तिथि जब तक 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया	कार्य के 80 प्रतिशत तक मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली	मोबिलाइजेशन अग्रिम की अंतिम वसूली की तिथि	अनुबंध लागत का 80 प्रतिशत भुगतान करने के बाद भी भुगतान वसूल नहीं हुआ (प्रतिशत में)	ठेकेदार के पास रखी गयी मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि की अतिरिक्त अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	मेसर्स मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड	03/एसई/13-14 (15.04.2013)	296.48	14.50	13.05.13	237.18	28.12.15	2.24	23.02.19	12.26	38 माह
2	मेसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	02/एसई/13-14 (19.04.2013)	360.89	18.04	22.04.13	288.71	23.10.19	13.17	22.12.20	4.97	14 माह
	योग			**32.54**						**17.23 (53)**	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.23
मशीनरी को दृष्टिबंधक न किया जाना
(संदर्भ: प्रस्तर 3.10.3.2)

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं अनुबन्ध की तिथि	मशीनरी अग्रिम की राशि	मशीनरी का विवरण	मशीनरी की संख्या	मशीनरी की क्रय तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मेसर्स वलेचा इंजीनियरिंग लिमिटेड	01/एसई/2013-14 (12.04.2013)	₹ 15.00 करोड़	डंपर	35	09.01.2015
				फैब्रिकेटेड फ्यूल बूस्टर	10	04.01.2015
				बैचिंग प्लांट	04	21.01.2015
				जेसीबी एक्सकेवेटर	08	07.01.2015
				जेसीबी लिफ्ट ऑल	07	22.01.2015
				एलपीटी 407 कैब	10	23.01.2015
2	मेसर्स पटेल एप्को जॉइंट वेंचर लिमिटेड.	02/एसई/2013-14 (09.04.2013)	₹ 12.00 करोड़	डब्ल्यूबी ट्रिपर डीजल	50	29.12.2012
				टारस डीजल इंजन	04	20.02.2013
				वोल्वो एक्सकेवेटर	01	15.02.2012
				ट्रांजिट मिक्सर	04	12.03.2013
				इलेक्ट्रिक जेनरेटर साइलेंट	01	09.12.2012
				डी.क्यू. इनक्यूबेटर	02	07.03.2013
				कंक्रीट बैच प्लांट	01	27.08.2013
	योग		**₹ 27.00 करोड़**		**137**	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.24
असमायोजित विविध अग्रिम
(संदर्भ: प्रस्तर 3.10.4)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	असमायोजित पड़े विविध अग्रिम					
		विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम		सामग्री की खरीद से संबंधित		अन्य	
		अवधि	राशि	अवधि	राशि	अवधि	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	08/2008 से 11/2018	1.00	03/2019 से 2/2021	1233.50	08/2002 से 03/2021	262.11
2	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	01/2009 से 06/2019	7.31	01/1998 से 1/2011	36.54	06/1998 से 08/2008	16.44
3	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	-	0.00	03/2001 से 1/2014	10.61	11/1998 से 07/2021	20.30
4	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	10/2002 से 07/2020	32.58	08/2003 से 3/2021	3010.11	03/1999 से 06/2021	520.75
5	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	09/2016[4]	35.07	12/2013 से 12/2016	7.66	08/2008 से 06/2021	493.91
6	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	12/1976 से 10/2017	28.33	03/2004 से 03/2015	242.06	02/1955 से 03/2019	39.30
7	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	07/1981 से 03/2018	8.77	09/1998 से 01/2019	81.62	09/1978 से 03/2021	35.21
8	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	05/2019 से 01/2021	14.83	03/2001 से 1/2021	61.19	05/1999 से 07/2015	109.70
9	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-3, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	12/2012 से 03/2017	37.71	12/2015 से 06/2021	937.22	01/2001 से 03/2020	354.75
10	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	-	0.00	-	0.00	03/2003 से 03/2021	9.12
	योग		**165.60**		**5620.51**		**1861.59**
	कुल योग		**₹ 7647.70 लाख अर्थात ₹ 76.48 करोड़**				

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

[4] 12 मामलों में से केवल एक मामले में विविध अग्रिम की तिथि अंकित की गयी थी और शेष 11 प्रकरणों में, जिनमें 34.07 लाख रुपये की राशि का विविध अग्रिम शामिल था, कोई तिथि नहीं बतायी गयी थी।

परिशिष्ट 4.1

मांग के सापेक्ष जल की आपूर्ति

(संदर्भः प्रस्तर 4.5.1.1)

(जल की आपूर्ति क्यूमेक में)

क्रम संख्या	वर्ष	खरीफ					रबी				
		जल की मांग		अवमुक्त जल		कमी प्रतिशत में (दिवसों की संख्या)	जल की मांग		अवमुक्त जल		कमी प्रतिशत में (दिवसों की संख्या)
		मात्रा	दिवस	मात्रा	दिवस		मात्रा	दिवस	मात्रा	दिवस	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
इमामगंज शाखा नहर											
1	2017-18	10 से 20	132	05 से 16	103	30-50 (35) 53-67 (32)	00	00	00	00	00 00
2	2018-19	12 से 15	98	05 से 14	60	20-47 (28) 53-67 (17)	15	14	07 से 10	11	33 (10) 53 (01)
3	2019-20	10 से 20	143	05 से 14	131	20-50 (18) 53-58 (28)	12	06	00	00	00 00
4	2020-21	05 से 10	122	03 से 10	97	10-50 (63) 60-70 (10)	08	115	02 से 7	88	13-50 (54) 63-75 (34)
5	2021-22	05 से 18	130	2.94 से 18	92	17-44 (27) 71 (02)	6 से 10	101	3 से 6.88	35	14-50 (18) 00
बस्ती शाखा नहर											
6	2017-18	25 से 65	132	5.45 से 60.30	94	12-50 (20) 51-84 (50)	00	00	00	00	00 00
7	2018-19	40 से 52.57	98	1.36 से 55.84	77	12-50 (25) 51-97 (32)	46.18	14	44.95 से 50	13	00 00
8	2019-20	15 से 69.52	132	8.99 से 68.46	104	10-50 (38) 54-82 (08)	33.42	06	19.53 से 26.86	02	20-42 (02) 00
9	2020-21	15 से 63.85	108	1.27 से 62.50	85	10-50 (32) 54-92 (18)	16.99 से 48.98	106	1.82 से 30.54	61	11-50 (07) 51-95 (47)
10	2021-22	42 से 73.88	91	7.90 से 68.54	39	13-50 (21) 62-88 (05)	29.72 से 58.89	56	12.54 से 54.98	14	12-39 (07) 54-77 (03)
गोण्डा शाखा नहर											
11	2017-18	28 से 50	132	4.43 से 51.96	120	11-50 (18) 54-89 (72)	00	00	00	00	00 00
12	2018-19	40 से 50	98	2.06 से 41.34	71	11-50 (37) 53-96 (28)	40	14	20.31 से 40.84	14	34-49 (13) 00
13	2019-20	25 से 46	143	8.03 से 57.40	120	10-49 (46) 52-81 (15)	00	00	00	00	00 00
14	2020-21	20 से 40	122	3.20 से 47.83	104	10-46 (25) 56-86 (07)	5 से 41	115	2.06 से 26.82	69	11-50 (12) 51-93 (50)
15	2021-22	5 से 63	144	0.81 से 62.26	49	13-50 (10) 51-98 (15)	28 से 36	29	10.15 से 33.62	17	10-36 (08) 53-64 (04)

(स्रोतः अधीक्षण अभियंता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 4.2
चयनित खण्डों में सिंचाई सघनता का सृजन
(संदर्भः प्रस्तर 4.6)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र0 सं0	वर्ष	नहरों का विवरण		नमूना जाँच किये गये खण्डों में नहर संचालन											
				खरीफ						रबी					
		नहरों की संख्या	कृषि योग्य क्षेत्र	नहरों की संख्या	कृषि योग्य क्षेत्र	लक्ष्य (कृषि योग्य क्षेत्र का 81.84 प्रतिशत[5])	सिंचित क्षेत्र	लक्ष्य के सापेक्ष सिंचाई (प्रतिशत में)		नहरों की संख्या	कृषि योग्य क्षेत्र	लक्ष्य (कृषि योग्य क्षेत्र का 42.52 प्रतिशत[6])	सिंचित क्षेत्र	लक्ष्य के सापेक्ष सिंचाई (प्रतिशत में)	
								उपलब्धि	कमी					उपलब्धि	कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	2017-18	336	380969	103	168349	137777	29214	21	79	69	144211	61319	8303	14	86
2	2018-19	336	380969	119	174943	143173	28574	20	80	52	102723	43678	7365	17	83
3	2019-20	336	380969	210	277493	227100	100901	44	56	111	141211	60043	27347	46	54
4	2020-21	336	380969	248	306761	251053	145088	58	42	183	243576	103569	59226	57	43
5	2021-22	336	380969	304	356404	291681	172780	59	41	249	323508	137556	92887	68	32

(स्रोतः नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

नोटः वर्ष 2017 में कृषि योग्य क्षेत्र में संशोधन कर 12.00 लाख हेक्टेयर से 11.29 लाख हेक्टेयर कर दिया गया, इस 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में खरीफ में सिंचाई सघनता को 81.84 प्रतिशत तथा रबी में 42.52 प्रतिशत तक बढ़ाकर लक्षित 14.04 लाख हेक्टेयर (खरीफः 9.24 लाख हेक्टेयर तथा रबी 4.80 लाख हेक्टेयर) सिंचाई क्षमता प्राप्त की जाएगी। संशोधन के पूर्व सिंचाई सघनता खरीफ और रबी में क्रमशः 77 प्रतिशत और 40 प्रतिशत थी।

[5] खरीफः पूर्व में 9.24×100/12= 77 प्रतिशत, बाद में 9.24×100/11.29= 81.84 प्रतिशत।

[6] रबीः पूर्व में 4.80×100/12= 40 प्रतिशत, बाद में 4.80×100/11.29= 42.52 प्रतिशत।

परिशिष्ट 4.3(अ)
'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना में वर्षवार आवंटन एवं व्यय
(संदर्भ: प्रस्तर 4.7.1)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	आवंटन			व्यय			समर्पण (स्तंभ 5-8)
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग (स्तंभ 3+4)	केन्द्रांश	राज्यांश	योग (स्तंभ 6+7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
वर्ष 2017-18								
1	गोण्डा	28.00	49.73	77.73	13.58	21.42	35.00	42.73
2	बलरामपुर	35.91	63.78	99.69	32.21	55.20	87.41	12.28
3	श्रावस्ती	13.74	24.41	38.15	13.59	24.54	38.13	0.02
4	बहराइच	40.91	72.67	113.58	17.02	29.99	47.01	66.57
5	गोरखपुर	44.60	79.21	123.81	41.14	65.67	106.81	17.00
6	बस्ती	28.92	51.36	80.28	7.22	11.59	18.81	61.47
7	संत कबीर नगर	12.77	22.68	35.45	11.36	18.76	30.12	5.33
8	सिद्धार्थनगर	18.00	31.97	49.97	5.48	8.88	14.36	35.61
	योग	**222.85**	**395.81**	**618.66**	**141.60**	**236.05**	**377.65**	**241.01**
वर्ष 2018-19								
9	गोण्डा	31.42	54.83	86.25	32.05	54.20	86.25	0.00
10	बलरामपुर	48.81	85.17	133.98	49.10	84.79	133.89	0.09
11	श्रावस्ती	33.54	58.52	92.06	33.10	58.73	91.83	0.23
12	बहराइच	63.30	110.46	173.76	62.42	111.34	173.76	0.00
13	गोरखपुर	61.51	107.33	168.84	53.70	89.78	143.48	25.36
14	बस्ती	40.47	70.63	111.10	41.53	69.08	110.61	0.49
15	संत कबीर नगर	20.48	35.74	56.22	20.86	35.31	56.17	0.05
16	सिद्धार्थनगर	55.26	96.43	151.69	56.34	95.25	151.59	0.10
	योग	**354.79**	**619.11**	**973.90**	**349.10**	**598.48**	**947.58**	**26.32**
वर्ष 2019-20								
17	गोण्डा	73.22	129.89	203.11	53.20	91.22	144.42	58.69
18	बलरामपुर	81.08	143.84	224.92	82.16	142.76	224.92	0.00
19	श्रावस्ती	61.18	108.52	169.70	54.02	91.83	145.85	23.85
20	बहराइच	92.58	164.23	256.81	87.80	157.28	245.08	11.73
21	गोरखपुर	101.81	180.60	282.41	100.26	173.15	273.41	9.00
22	बस्ती	108.39	192.28	300.67	112.43	186.25	298.68	1.99
23	संत कबीर नगर	48.96	86.86	135.82	49.41	86.19	135.60	0.22

क्रम संख्या	जनपद का नाम	आवंटन			व्यय			समर्पण (स्तंभ 5-8)
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग (स्तंभ 3+4)	केन्द्रांश	राज्यांश	योग (स्तंभ 6+7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	सिद्धार्थनगर	113.01	200.47	313.48	115.44	198.05	313.49	0.00
	योग	**680.23**	**1206.69**	**1886.92**	**654.72**	**1126.73**	**1781.45**	**105.48**
वर्ष 2020-21								
25	गोण्डा	54.19	96.22	150.41	55.01	95.39	150.40	0.01
26	बलरामपुर	138.66	246.19	384.85	130.77	254.02	384.79	0.06
27	श्रावस्ती	59.66	105.92	165.58	59.95	105.56	165.51	0.07
28	बहराइच	117.97	209.45	327.42	117.48	209.93	327.41	0.01
29	गोरखपुर	134.50	238.80	373.30	136.09	237.22	373.31	0.00
30	बस्ती	195.69	347.45	543.14	200.12	343.03	543.15	0.00
31	संत कबीर नगर	85.24	151.34	236.58	82.54	141.67	224.21	12.37
32	सिद्धार्थनगर	119.34	211.88	331.22	122.17	208.07	330.24	0.98
	योग	**905.25**	**1607.25**	**2512.50**	**904.13**	**1594.89**	**2499.02**	**13.50**
वर्ष 2021-22								
33	गोण्डा	59.22	105.06	164.28	58.60	105.55	164.15	0.13
34	बलरामपुर	69.62	123.50	193.12	64.22	127.62	191.84	1.28
35	श्रावस्ती	69.34	123.01	192.35	67.59	121.39	188.98	3.37
36	बहराइच	92.86	164.72	257.58	85.82	155.36	241.18	16.40
37	गोरखपुर	91.48	162.27	253.75	91.26	162.11	253.37	0.38
38	बस्ती	150.35	266.71	417.06	148.75	268.23	416.98	0.08
39	संत कबीर नगर	51.89	90.70	142.59	51.89	90.62	142.51	0.08
40	सिद्धार्थनगर	77.56	137.59	215.15	79.18	135.88	215.06	0.09
	योग	**662.32**	**1173.56**	**1835.88**	**647.31**	**1166.76**	**1814.07**	**21.81**

(स्रोत: निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 4.3(ब)

'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना में वर्षवार भौतिक उपलब्धि

(संदर्भः प्रस्तर 4.7.1)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	वर्ष के लिये भौतिक लक्ष्य	वर्ष के अंत में लक्ष्य प्राप्ति	उपलब्धि में कमी (स्तंभ 3-4)	कमी प्रतिशत में	उपलब्धि प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वर्ष 2017-18						
1	गोण्डा	312	140	172	55.13	44.87
2	बलरामपुर	413	290	123	29.78	70.22
3	श्रावस्ती	181	122	59	32.60	67.40
4	बहराइच	556	190	366	65.83	34.17
5	गोरखपुर	700	507	193	27.57	72.43
6	बस्ती	314	62	252	80.25	19.75
7	संत कबीर नगर	226	111	115	50.88	49.12
8	सिद्धार्थनगर	283	59	224	79.15	20.85
वर्ष 2018-19						
9	गोण्डा	607	277	330	54.37	45.63
10	बलरामपुर	617	617	00	0.00	100.00
11	श्रावस्ती	475	450	25	5.26	94.74
12	बहराइच	684	474	210	30.70	69.30
13	गोरखपुर	873	642	231	26.46	73.54
14	बस्ती	618	377	241	39.00	61.00
15	संत कबीर नगर	520	203	317	60.96	39.04
16	सिद्धार्थनगर	649	649	00	0.00	100.00
वर्ष 2019-20						
17	गोण्डा	492	351	141	28.66	71.34
18	बलरामपुर	997	997	00	0.00	100.00
19	श्रावस्ती	726	726	00	0.00	100.00
20	बहराइच	620	620	00	0.00	100.00
21	गोरखपुर	1076	972	104	9.67	90.33
22	बस्ती	909	898	11	1.21	98.79
23	संत कबीर नगर	504	379	125	24.80	75.20
24	सिद्धार्थनगर	949	949	00	0.00	100.00
वर्ष 2020-21						
25	गोण्डा	1760	367	1393	79.15	20.85
26	बलरामपुर	1768	1768	00	0.00	100.00
27	श्रावस्ती	1220	644	576	47.21	52.79
28	बहराइच	1846	659	1187	64.30	35.70

क्रम संख्या	जनपद का नाम	वर्ष के लिये भौतिक लक्ष्य	वर्ष के अंत में लक्ष्य प्राप्ति	उपलब्धि में कमी (स्तंभ 3-4)	कमी प्रतिशत में	उपलब्धि प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	गोरखपुर	2715	947	1768	65.12	34.88
30	बस्ती	2065	1281	784	37.97	62.03
31	संत कबीर नगर	1319	587	732	55.50	44.50
32	सिद्धार्थनगर	1864	981	883	47.37	52.63
वर्ष 2021-22						
33	गोण्डा	1425	207	1218	85.47	14.53
34	बलरामपुर	1354	859	495	36.56	63.44
35	श्रावस्ती	878	327	551	62.76	37.24
36	बहराइच	1434	727	707	49.30	50.70
37	गोरखपुर	2128	516	1612	75.75	24.25
38	बस्ती	1673	971	702	41.96	58.04
39	संत कबीर नगर	943	261	682	72.32	27.68
40	सिद्धार्थनगर	1660	409	1251	75.36	24.64

(स्रोत: निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 4.4
मानव संसाधन की उपलब्धता
(संदर्भ: प्रस्तर 4.9)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कुल पदों की संख्या	मानवशक्ति की कमी वाले पदों की संख्या	अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी (प्रतिशत में)	जिलेदार, सींच पर्यवेक्षक और सींचपाल की कमी (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	24	19	20-100	86
2	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच	21	10	25-100	40-100
3	सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा	22	18	11-100	33-100
4	सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	21	11	17-100	33-100
5	सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती	23	16	15-100	33-100
6	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	31	28	07-100	25-100
7	सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच	21	14	17-100	93-100
8	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	19	15	20-100	33-100
9	सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच	24	18	17-100	36-100
10	सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	22	14	06-100	11-100
11	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा	21	15	20-100	25-100
12	सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा	22	18	19-100	33-100
13	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर, बलरामपुर	19	15	55-100	100
14	सरयू नहर खण्ड, बांसी, सिद्धार्थनगर	20	17	21-100	80-100

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/uttar-pradesh